Page No.1

# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक २ ] तृतीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९६२ का तृतीय दिवस [ संख्या ३



शुक्रवार, दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२

---

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

---

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

[ शिक्षा, आबकारी एवं कर, उद्योग, राजस्व, सिंचाई, खनिज, सहकारिता, वन, एवं सामान्य प्रशासन-विभाग ]

**श्री अध्यक्ष :** प्रश्न। श्री बालचन्द डागा।

### किशनगढ़ के डिग्री कॉलेज का भवन

६६. **श्री बालचन्द डागा** ( किशनगढ़ ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ के डिग्री कॉलेज के लिये वर्तमान भवन अपर्याप्त है ?



(२) क्या यह सही है कि डिग्री कॉलेज के लिये नई इमारत बनाने को सात लाख रुपयों की स्वीकृति काफी समय पूर्व ही हो चुकी है ?

(३) अगर हां, तो अब तक कॉलेज के लिये नई इमारत क्यों नहीं बनाई गई और अब कब तक बन जावेगी ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री निरन्जननाथ आचार्य ) : (१) जी हां।

(२) कॉलेज के भवन निर्माण के लिये २ लाख रुपये की धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति २४ सितम्बर, १९६० को दी गई थी।

(३) भवन निर्माण के लिये अभी भूमि प्राप्त नहीं हुई है। भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही चालू है।

**श्री बालचन्द डागा :** क्या सरकार विश्वास दिलाती है कि ३० नवम्बर तक इसकी कार्यवाही शुरू हो जायगी ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** सरकार विश्वास दिलाने की स्थिति में नहीं है।

**श्री बालचन्द डागा :** क्योंकि यह रुपया लैप्स हो रहा है, क्या इन रुपयों से काम शुरू नहीं हो सकता ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** स्थिति यह है कि जो साइट इस भवन के लिये चुनी गई है वह साइट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कब्जे में है। यद्यपि यह जमीन सरकार की है पर जेल उसके पास होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से इस भवन का उसके पास निर्माण किया जाना उचित मालूम नहीं होता। कोई दूसरी जगह इस भवन के निर्माण के लिये चुनी जाय, इसके लिये सरकार प्रयत्नशील है।

**एक माननीय सदस्य :** एक स्कूल के बराबर में दूसरा स्कूल चलेगा तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** पास में जेल है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की जमीन है उसके पास ही जेल है, जेल और शिक्षा इनमें बहुत बड़ा विरोधाभास है; उधर भी आपत्ति, इधर भी आपत्ति। शिक्षा और होम डिपार्टमेन्ट ने इस चीज को समझा है और इसीलिये दूसरी जमीन तलाश कर रहे हैं।

**श्री बालचन्द डागा :** इस बिल्डिंग के लिये साइट चुनने का काम कब तक चालू हो जायगा ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** किशनगढ़ की स्थिति आप समझते हैं। जमीन का प्रश्न वहां बड़ा महत्व का प्रश्न है, फिर भी सरकार प्रयत्नशील है।

**श्री बालचन्द डागा :** सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** पहले तो होम डिपार्टमेन्ट से बात की, फिर समझ गए कि जेल के पास इसका होना उचित नहीं। फिर भी मैं आशा करता हूं कि इस मामले में माननीय सदस्य भी मदद करेंगे। वैसे हम बड़े सक्रिय हैं इस प्रश्न के बारे में।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

## अलवर नगर परिषद् को मनोरंजन-कर का हिस्सा

**६७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):** क्या मन्त्री, कर विभाग यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि मनोरंजन-कर का हिस्सा आमतौर पर राजस्थान की समस्त नगरपालिकाओं या नगरपरिषदों को दिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अलवर नगर परिषद् को मनोरंजन कर का हिस्सा नहीं दिया जाता है ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार अलवर नगर परिषद् को भी अलवर नगर से वसूल होने वाले मनोरंजन कर का भाग देने का विचार रखती है ?

Page No.3



**आबकारी एवं कर मन्त्री** (श्री बालकृष्ण कौल) : (१) जी नहीं। राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट, १९५७ की धारा १४ के तहत केवल कुछ ही नगरपालिकाओं या नगरपरिषदों को सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की रकम इन नगरपालिकाओं या नगरपरिषदों को उनकी पिछले तीन सालों की आमदनी की औसत के बराबर दी जाती है जो कि इस एक्ट के लगने के पहले थी।

(२) अलवर नगरपरिषद् को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है।

(३) अलवर नगरपरिषद् एक्ट की धारा १४ के अंतर्गत सब्सिडी पाने की हकदार नहीं है।

(४) जी नहीं। किसी भी नगर परिषद् को सब्सिडी नहीं दी जा सकती जब तक कि वह राजस्थान एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट, १९५७ की धारा १४ के अन्तर्गत काबिल अदायगी न हो।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सरकार यह बतायेगी कि जिस तारीख को सरकार ने उस एक्ट को मन्जूर किया उस तारीख को जहां जहां एन्टरटेनमेन्ट टैक्स लागू थे उन्हीं म्युनिसिपेलिटीज़ को हिस्सा दिया जावेगा, तो उसके पीछे न्याय का कौन सा आधार था ? क्या सरकार उस डेट को आगे बढ़ाने का विचार नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा था जिसको प्राप्त करने में टेक्निकल ग्राउंड्ज़ पर म्यूनिसिपेलिटीज़ वंचित हो रही हैं ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : यह मामला पॉलिसीज़ का है। यदि इस प्रश्न को स्वीकार किया जाय तो एक्ट की तब्दीली होती है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : क्या सरकार इस सिद्धांत को स्वीकार करती है कि मनोरंजन कर का कुछ हिस्सा म्युनिसिपेलिटीज़ को मिलना चाहिये ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : यह प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि सवाल यह था कि उनको एन्टरटेनमेन्ट टैक्स का हिस्सा मिलता है या नहीं, सरकार ने जवाब दिया है कि एक्ट के मातहत उनको नहीं मिलता है।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर) : क्या यह सही है कि मनोरंजन कर विधेयक जब इस विधान सभा में पेश हुआ था उस वक्त कैटेगोरिकली सरकार ने यह कहा था कि जिन जिन म्युनिसिपेलिटियों में मनोरंजन कर वसूल हो रहा है तो उनको पिछले तीन वर्ष की औसत देखकर उसका हिस्सा दिया जावेगा। उस वक्त यह प्रश्न भी आया था कि जहां म्युनिसिपेलिटी मनोरंजन कर वसूल नहीं कर रही है वहां क्या होगा तो उस पर सरकार ने यह एश्योरेन्स दिया था और कहा था कि तीन वर्ष की औसत लेकर जो कमी रहेगी उसकी पूर्ति करेंगे।

**श्री बालकृष्ण कौल** : मैं कह नहीं सकता लेकिन इतना कह दूं कि सरकार ने इतना जरूर माना है कि पिछले तीन वर्ष की उनकी औसत देखकर उनको हिस्सा दिया जाय, और जो कि पहले वसूल कर रही थी उन्हीं को देने का वायदा भी किया था। जिन्होंने कोई कर वसूल ही नहीं किया है तो औसत किसकी निकाली जाय ? यदि आप इस ओर ध्यान दिलायेंगे तो मैं इसको जरूर एक्ज़ामिन करूंगा।

# Page No.4



**श्री भैरोंसिंह** : यदि पिछली प्रोसीडिंग्ज़ मंत्री महोदय देखें तो उनका केटेगोरिकल एश्योरेन्स है कि जिन म्युनिसिपेलिटीज़ में मनोरंजन कर वसूल हो रहा होगा उनको कुछ हिस्सा देंगे । ऑफ हैंड तो मैं नहीं बता सकता लेकिन यदि सदन चाहे तो मैं वह प्रोसीडिंग्ज़ पेश कर सकता हूं जिनमें यह कहा गया था कि जिन म्युनिसिपेलिटीज़ ने कर नहीं लगाया और उन्हें नाटक वगैरह मामूली एन्टरटेनमेन्टों से जो केजुअल आमदनी होती थी उसकी औसत नहीं लगाई जावेगी फिर भी उनको कुछ हिस्सा अवश्य दिया जावेगा ।

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इसको देख लेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : इस वक्त गवर्नमेन्ट की क्या पॉलिसी है ? म्युनिसिपेलिटीज़ को मनोरंजन कर का हिस्सा मिलना चाहिये ?

**श्री बालकृष्ण कौल** : भाग ( ४ ) में इसका उत्तर दे चुका हूं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन ।

## नये बाट

**६८. श्री रामकिशन** ( वैर ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पुराने बाटों का नया सेट कितने रुपयों में आता था और नये की दर क्या है ?

(ख) क्या सरकार को जानकारी में है कि तोल के बाटों की कीमत अन्य प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान में सबसे अधिक है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

(ग) क्या सरकार की जानकारी में है कि भरतपुर जिले में नये बाट नहीं मिल रहे हैं ?

**उप-मन्त्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद) : (क) पुराने बाटों की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं थी और नये बाटों की कीमत भी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) भरतपुर जिले में नये बाटों की कोई कमी नहीं है ।

**श्री रामकिशन** : आपने जो नम्बर (२) का उत्तर दिया है कि और प्रान्तों से रेट ज्यादा नहीं है; आपकी इस जानकारी का क्या आधार है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : दूसरे प्रान्तों से राजस्थान में बाट आने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है । सुविधानुसार सबको इजाजत दी जाती है कि दूसरी स्टेट में बाट मेन्युफैक्चर होते हों तो यहां लाये जा सकते हैं । तो जब बाहर से बाट यहां आ सकते हैं तो बाहर कीमत कम हो और यहां ज्यादा हो और यह संभव नहीं है ।

**श्री रामकिशन** : बाहर से जब बाट लाते हैं तो पांच-चार रुपया देकर मोहर लगवानी पड़ती है इसलिए अधिक कीमत पड़ जाती है । वहां भी मोहर लगाई की कीमत देनी पड़ती है और यहां भी कीमत देनी पड़ती है । इस प्रकार १० रु० के करीब अधिक कीमत हो जाती है ।

**श्री चन्दनमल वैद** : ऐसा हिन्दुस्तान की हर स्टेट में करना पड़ता है ।

# Page No.5



**श्री रामकिशन** : एक बार उत्तर प्रदेश में मोहर लग गई, फिर दुबारा मोहर राजस्थान में क्यों लगे ?

**श्री चन्दनमल वैद** : बिना मोहर लगे आते हैं इसलिए मोहर लगाने की कीमत हर जगह देनी पड़ती है। तमाम स्टेट में यही तरीका है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): सारे गंगानगर में बाटों की कीमत ५० रु० है और पंजाब में ३५) रुपये में मिलते हैं। सारे व्यापारियों ने सरकारी बाटों को खरीदा नहीं क्योंकि उनको पास में सस्ती कीमत पर मिलते हैं। तो सरकार की ओर से सबका चालान हुआ है। आप पता लगायें कि चालान हुआ है या नहीं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जी नहीं। पता लगा लिया है। बाहर से मंगाने की सुविधा दी हुई है और अब भी दी जावेगी। मोहर राजस्थान में लगवानी पड़ेगी।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : गंगानगर के लिए निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वहां चालान नहीं हुआ है ?

**श्री अध्यक्ष** : गंगानगर का प्रश्न नहीं है।

**श्री चन्दनमल वैद** : यदि गंगानगर का प्रश्न उठाना चाहते हैं तो इसके लिए नोटिस दीजिये।

**श्री श्योपतसिंह** ( हनुमानगढ़ ) : दूसरे प्रान्तों के मुकाबले हमारे प्रान्त में बाटों की कीमत ज्यादा है या नहीं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल जयपुर ) : राजस्थान में बाट मैन्युफैक्चर करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : सब जगह लेनी पड़ती है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या सरकार ने रेस्ट्रिक्टेड नम्बर में बाट मैन्युफैक्चरार नियुक्त किये हैं जिस कारण बाट महंगे मिल रहे हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जी नहीं, भरतपुर में तीन हैं।

**एक माननीय सदस्य** : दूसरी जगह मान्यता प्राप्त नहीं करनी होती है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : हर जगह मोहर लगवानी पड़ती है।

**श्री रामकिशन** : क्या भरतपुर में बाहर से बाट लाने वालों का चालान नहीं हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : बाहर से लाने का सवाल नहीं है।

**श्री रामकिशन** : चालान हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : बिना सील बचे होंगे तो चालान हुआ होगा।

**श्री रामकिशन** : सरकार के नियमों का पालन किया है, फिर भी चालान हुआ है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रावतराम।

**श्री रामकिशन :** अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही अहम और आवश्यक सवाल है।

**श्री अध्यक्ष :** चालान हुए हैं तो कानून के अनुसार हुए हैं। सरकार की नीति और नियम क्या है, यह पूछ सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** नीति के खिलाफ भी तो हुए हैं।

**श्री रामकिशन :** नीति के खिलाफ हुए हैं, उनकी जानकारी चाहते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** यह निश्चित पूछिये। जो मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं उनके बारे में बहस नहीं होगी।

**श्री रामकिशन :** मैं इतनी ही जानकारी चाहता हूं कि इस प्रकार के चालान नहीं हुए हैं, यह मंत्रीजी विश्वासपूर्वक कह सकते हैं ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** प्रश्न यह है कि यू० पी० की मोहर लगे बाट राजस्थान में आये और उनको इस्तेमाल किया जाय तो उनको कानूनन मानते हैं या गैर कानूनन ?

**श्री अध्यक्ष :** यदि यहां लावेंगे तो उन पर भी राजस्थान की सील लगवानी पड़ेगी।

**श्री चन्दनमल वैद :** बाहर के जो मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उनके बाट यहां ला सकते हैं। राजस्थान के भी बाहर मंगाते हैं लेकिन मोहर तो लगवानी ही पड़ती है। उसके बगैर कैसे पता चले ?

**श्री अध्यक्ष :** वहां से प्रमाणित बाट यहां पर आएं तो सील लगवानी पड़ेगी क्या ?

**श्री चन्दनमल वैद :** राजस्थान की तो मोहर लगवानी ही पड़ेगी।

**श्री अध्यक्ष :** चाहे वे प्रमाणित हों या सील लगे हुए हों ?

**श्री चन्दनमल वैद :** जी हां।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह नया बेरियर खड़ा कर दिया है।

**श्री चन्दनमल वैद :** यह इसलिए है कि जांच-पड़ताल से पता चल जाय कि बाट चल रहे हैं वे जाली तो नहीं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारी सील लगे।

**श्री रामकिशन :** एक मीटर प्रणाली, तौल प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूर करली है तो क्या वह ठीक नहीं है ?

**श्री चन्दनमल वैद :** इसमें असुविधा क्या है, यह मेरी समझ में नहीं आया। जो तरीका मोहर लगाने का दूसरे प्रान्तों में है वही राजस्थान में भी है।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** राजस्थान में जो बाट मेन्युफैक्चर होते हैं क्या राज्य सरकार उसके लिये कीमत निर्धारित नहीं कर सकती ?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री कह चुके हैं। निर्धारित नहीं हैं।

**श्री विजयसिंह झाला :** क्यों नहीं निर्धारित कर सकती जब कि राजस्थान में मेन्युफैक्चर होते हैं ?

**प्रश्न संख्या ६९**

**श्री अध्यक्ष :** श्री रावत राम।

(अनुपस्थित)

### लोहा, सीमेन्ट आदि का वितरण

७०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर में सन् ६१-६२ में लोहा, टीन, सीमेन्ट व कोयले का कुल कितना कोटा दिया गया ?

(२) यह कोटा सरकार ने किस किस के द्वारा किस प्रकार वितरित करवाया ? सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): १. बीकानेर में सन् ६१-६२ में लोहा, टीन, सीमेन्ट व कोयले का निम्न कोटा दिया गया :-

| | |
|---|---|
| लोहा व टीन | ६४४ टन |
| सीमेन्ट | १९६८ टन |
| कोयला : | ... |
| स्टीम हार्ड कोक | १०६ वेगन |
| सोफ्ट कोक | ७९ वेगन |

२. उपरोक्त वस्तुओं का कोटा जिले के स्टॉकिस्टों द्वारा मंगवाया जाता है तथा जिलाधीश व जिला उद्योग अधिकारी के परमिटों पर इनके द्वारा वितरित किया जाता है ।

**श्री मुरलीधर व्यास :** सूची सदन की मेज पर रखी नहीं गई है । मैंने सवाल में पूछा था कि कोटा वितरित किसके द्वारा करवाया गया ?

**श्री चन्दनमल वैद :** मैंने अपने जवाब में निवेदन किया, कोटा जिले के स्टॉकिस्टों द्वारा मंगवाया जाता है तथा जिलाधीश व जिला उद्योग अधिकारी के परमिटों पर इनके द्वारा वितरित किया जाता है ।

**श्री मुरलीधर व्यास :** जिन स्टॉकिस्ट्स को आप कोटा देते हैं वे व्यापारियों को वितरित करते हैं और उनके द्वारा आम लोगों को दिया जाता है ऐसे कौन से व्यापारी हैं, उनकी सूची मांगी थी ।

**श्री चन्दनमल वैद :** कोटा स्टॉकिस्टों द्वारा मंगवाया जाता है तथा जिलाधीश व जिला उद्योग अधिकारी उसके लिये परमिट इश्यू करते हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास :** सूची सदन की मेज पर रखी नहीं गई ।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) **:** वे स्टॉकिस्ट कौन हैं जिनके जरिये आम लोगों को लोहा आदि वितरित होता है ?

**श्री चन्दनमल वैद :** लोहे के लिये अलग है, सीमेन्ट के लिये अलग है, कोयले के लिये अलग है ।

**श्री विजयसिंह झाला :** (नाथद्वारा) जिला-वाइज् वितरण किस आधार पर करते हैं ?

**श्री मुरलीधर व्यास :** अध्यक्ष महोदय, मैं लिस्ट चाहता हूं ताकि यह मालूम हो सके कि किन किन को कोटा दिया जाता है । क्योंकि गाड़िया लोहार हैं उन लोगों को किसी प्रकार भी कोटा नहीं मिलता जिनकी आजीविका का साधन ही लोहा है, इसलिये मैं लिस्ट चाहता हूं । जिन लोगों को सरकार बसाना चाहती है उन लोगों को लोहा, जो उनका आजीविका का साधन है, उपलब्ध हो सके उसके लिये क्या व्यवस्था है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : गाड़िया लोहार स्टॉकिस्ट नहीं हो सकते। स्टॉकिस्ट को परमिट देकर ही उनको माल दिलाया जा सकता है। वे स्टील एन्ड आयरन कन्ट्रोलर से माल नहीं मंगा सकते और उनको सीधा स्टॉकिस्ट भी नहीं बनाया जा सकता।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जिस प्रकार दूसरे लोहारों को कोटा मिलता है, सीधा डाइरेक्ट कोटा मिलता है, उसी तरह गाड़िया लोहारों को क्यों नहीं मिलता ?

**श्री चन्दनमल वैद** : गाड़िया लोहार अगर एक वेगन से ज्यादा माल खपा सकते हैं तो इस बारे में सोचा जा सकता है।

**श्री भैरोंसिंह** : माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जितना कोटा दिया गया उतने ही कोटे के परमिट इश्यू किये गये और जितने परमिट इश्यू किये गये उतना ही माल बीकानेर भेजा गया ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह प्रश्न अलग है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा निवेदन यह है कि कितना कोटा दिया गया और कितने परमिट इश्यू हुए ? और जितने का परमिट इश्यू किया गया उतना माल बीकानेर भेजा गया या नहीं ?

**श्री चन्दनमल वैद** : यह सवाल पूछते तो इसका भी जवाब दिया जा सकता था।

**श्री भैरोंसिंह** : जितना कोटा गवर्नमेंट इश्यू करती है और जितने परमिट इश्यू करते हैं उतना कोटा स्टॉकिस्ट्स को मिलता है या नहीं ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : वहां की आबादी के दृष्टिकोण से, खपत के दृष्टिकोण से कोयला, लोहा या टीन दिया जाता है, क्या वह पर्याप्त है ?

**श्री चन्दनमल वैद** : जो स्टेट को कोटा मिलता है वह पर्याप्त न होते हुए भी जितना मिलता है उसके हिसाब से वितरण किया जाता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सारी स्टेट के लिये जो कोटा मिलता है और उसका वितरण होता है वह क्या आधार रखकर देते हैं ? बीकानेर के इलाके में बहुत कम और दूसरे इलाकों में उससे दस गुना ज्यादा, यह किस आधार पर देते हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

### पान की खेती

७१. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान में पान की खेती कहां कहां होती है ?

(२) क्या राजस्व के अलावा भी और कोई लगान पान की खेती पर लिया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) क्या भरतपुर जिले के खरेरी, बागरेन, खानखेड़ा तथा उमरेड़ आदि गांवों में पान की खेती होती है ?

(४) क्या यह सत्य है कि अधिक सर्दी के कारण उक्त गांवों में पान की खेती गत वर्ष नष्ट हो गई थी ?

(५) क्या इन किसानों ने सरकार से कोई तकाबी की सहायता मांगी थी ? यदि हां, तो इनके प्रार्थना-पत्रों पर क्या निर्णय हुआ ?

# Page No.9



**उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):** (१) व (२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(३) जी हां।

(४) जी हां। संवत् २०१८ में।

(५) जी हां। २५,००० रुपये की धन-राशि राजस्व विभाग द्वारा सन् १९६१-६२ में तकावी ऋण स्वरूप वितरण हेतु स्वीकार की जाकर वितरित हो चुकी है।

( कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

**श्री रामकिशन:** ये जो प्रार्थना-पत्र दिये गये उनमें चार गांव के कितने परिवार थे?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** प्रार्थना-पत्र तीन गांव के आये थे, उसके बाद चार नुमाइन्दों के प्रार्थना-पत्र बाद में प्रस्तुत हुए। उनको ऋण दिये जाने का मसला विचाराधीन है।

**श्री रामकिशन:** तीन गांवों के कितने परिवारों के लिये आपने २५ हजार का अनुमान किया? क्या सरकार इतनी तकावी को पर्याप्त समझती है?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** तकावी पर्याप्त हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। सरकार के पास जितनी धनराशि उपलब्ध है और जितनी इस काम के लिये दी जा सकती है उनके नुकसान को देखते हुए वह २५ हजार की राशि तीन गांवों के लिये दी गई और यह फिलहाल काफी समझी जा सकती है।

**श्री रामकिशन:** लगान के अलावा पान पर टैक्स लिया जाता है वह किस आधार पर; इसका कारण बताने की कृपा करेंगे?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा:** सूची सदन की मेज पर रख दी है।

**श्री रामकिशन:** सूची हमें तो मिली नहीं। टेबल पर रखी जाती है वह हमें मिलनी चाहिये। उसके बिना हम प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं?

**श्री अध्यक्ष:** सूची टेबल पर आ गई है, आप पहले देख लेते।

नैक्स्ट।

## नहर-योजना

७२. **श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर):** क्या मंत्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बंध मोरेल से तहसील बामनवास में नहर बनाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसका अब तक कार्य शुरू न होने का कारण क्या है?

**उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी):** जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं है।

**श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर):** इस पर योजना बनाने की कोई सरकार योजना रखती भी है या नहीं, ताकि वहां की जमीन आबपाशी में जा सके?

**सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई):** पानी को युटिलाइज करने के लिये तमाम तरीकों के सम्बन्ध में प्रयत्न किया जा रहा है और इसके लिये एक कमेटी भी मुकर्रर की गई है। वह जांच करेगी कि किस प्रकार से पानी का उपयोग किया जा सकता है।

**श्री गोविन्दसहाय** : मंत्री महोदय ने फरमाया कि वहां सर्वे नहीं हुई। सर्वे हो गई और वहां तो बहुत जल्दी वर्क शुरू होने के लिए कहा गया था ?

**श्री अध्यक्ष** : सरकार यथा-संभव कोशिश कर रही है। कमेटी बना दी गई है।

**श्री गोविन्दसहाय** : यह कोशिश कब तक पूरी हो जायगी ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## कोटा नगर के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का एलॉटमेन्ट

७३. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा नगर के इन्डस्ट्रियल एरिया में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि किन किन कार्यों के लिये कब कब एलॉट की गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त कार्यों में से कौन कौन से कार्य कब कब आरम्भ किये गये ?

(३) जिन व्यक्तियों ने आज तक कार्य आरम्भ नहीं किये उनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(४) उक्त व्यक्तियों से सरकार की किन किन में कितनी कितनी राशि लीज़ मनी व डेवलपमेंट चार्जेज़ की बकाया है और कब से ?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): (१) २४ पार्टियों को कारखाना लगाने हेतु जमीनें दी गई हैं जिनके नाम आदि संलग्न स्टेटमेंट (तालिका) में अंकित हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : स्टेटमेन्ट नोटिस ऑफिस में नहीं है। अभी मुझे स्टेटमेन्ट दे दिया जाय। इस क्वेश्चन को बाद में ले लिया जाय।

### प्रश्न संख्या ७४

**श्री अध्यक्ष** : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित - कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

## कैली में मिडल स्कूल

७५. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि कैली (निम्बाहेड़ा) में मिडल स्कूल बनाया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम कैली के निवासी स्कूल खुलवाने में काफी योगदान दे चुके हैं ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कैली (निम्बाहेड़ा) में प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(२) यहां शाला भवन के लिये तीन कमरे ५० प्रतिशत जनता के योगदान से व एक और कमरा किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। इस तरह से कुल चार कमरे हैं जो कि माध्यमिक शाला के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

# Page No.11



**श्री अब्दुलजब्बार** : माध्यमिक शाला के लिये कितने कमरों की आवश्यकता होती है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मिनिमम आठ कमरे २४ बाई २० के, एक हैड मास्टर का कमरा १२ बाई १२ का और वाटर रूम और स्टोर रूम।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में ऐसे कितने माध्यमिक स्कूल हैं जो आपके स्टेन्डर्ड के अनुसार कमरे रखते हैं और चल रहे हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यद्यपि यह अलग प्रश्न है, फिर भी मैं निवेदन कर दूं कि ऐसे कई स्कूल हैं जो इस स्टैन्डर्ड को सेटिस्फाई करते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सभी जगह यह स्टैन्डर्ड स्ट्रिक्टली फोलो होता है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : एजूकेशन डिपार्टमेंट बड़ा फ्लैक्सिबिलिटी का है। जगह जगह की परिस्थिति और बैक ग्राउन्ड को देखते हुए फ्लैक्सिबिलिटी का उपयोग आवश्यक है।

**श्री अब्दुलजब्बार** : क्या मन्त्री महोदय को यह भी ज्ञात है कि किन्हीं जगहों पर टाट पट्टी भी नसीब नहीं होती, लेकिन फिर भी स्कूल चल रहे हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : यह अलग प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

**अकलेरा हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं**

७६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा सु०): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कस्बा अकलेरा, जिला झालावाड़ हाई स्कूल में साइंस क्लास खोले जाने हेतु साइन्स रूम हेतु सरकार ने १५,०००) रु० स्वीकृत किये थे और ६,०००) रुपये वहां की जनता ने दिये थे ? इन रुपयों का क्या उपयोग किया गया ?

(२) साइन्स क्लास खोले जाने की स्वीकृति किस तारीख को दी गयी थी।

(३) क्या यह सही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्शन न होने से वहां का कार्य बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है ?

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) कस्बा अकलेरा, जिला झालावाड़ हाई स्कूल में साइन्स क्लास प्रारम्भ करने के लिए जनता ने ६,०००) रुपये का साइन्स का सामान खरीदने के लिए दिया था। उस धन में से सामान खरीदा गया है। कुछ धन-राशि बाकी है जिसका भी सामान खरीदने की कार्यवाही चल रही है। सरकार द्वारा १५,०००) रुपये की स्वीकृति नहीं दी गई।

(२) साइन्स क्लास खोलने की स्वीकृति सन् १६६० में दी गई थी पर शर्त यह थी कि पहले वहां की जनता इस विषय को खोलने के लिए या तो आवश्यक एकोमोडेशन, लेबोरेटरी साइन्स के सामान सहित, दे या फिर सामान खरीदने के लिए ६,०००) रु० जमा कराये। बाद में फिर दिनांक १-८-६२ को स्वीकृति दी गई।

**(श्री निरंजननाथ आचार्य)**

(३) यह कार्य फण्ड्स उपलब्ध न होने के कारण से बन्द है।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** : जब जनता ने ६,०००) रु० जमा करा दिये तो बाकी काम पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार ने क्यों नहीं पूरी की ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : सरकार की नेकनीयती है काम को पूरा करने में, पर आर्थिक व्यवस्था भिन्न होने से कठिनाई आती है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : छः हजार में से कितने का सामान लाया गया और कितना बाकी पड़ा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ विश्नोई—

**रेकॉर्ड दुरुस्ती के फैसलों की तामील**

**७७. श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में रेवेन्यू कोर्ट के कई फैसलों की तामीलें बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती के पेन्डिग पड़ी हैं ? ऐसी कितनी तामीलें होनी बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) रेकॉर्ड दुरुस्ती की ऐसी तामीलें अब तक न होने के क्या कारण हैं ? अब यह तामील कब तक होने की उम्मीद है ?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। ऐसी १२ तामीलें हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) तामीलें हाल ही में आई हैं। कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में कई फैसले कोर्ट सांचोर द्वारा हुए हैं। पांच सौ केस ऐसे हैं जो पेंडिग में पड़े हैं और जिनकी दुरुस्तियां नहीं होतीं और इस कारण क्रिमिनल केस और झगड़े वहां काफी होते हैं। यह जानकारी है क्या आपको ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ऐसे फैसलों की तामील हो चुकी हैं। केवल १२ फैसले होने बाकी हैं। उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है और इन फैसलों की सूचना सम्बन्धित तहसीलदारों के पास तारीख २३-५-६२ से २९-८-६२ के दर्म्यान आई है और वहां भी ८-१०-६२ को तामील के लिए भेज दी गई है, जिसकी तामील एक सप्ताह के अन्दर हो जावेगी।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): पहले तामील नहीं किये जाने का क्या कारण था ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : श्री उमरावसिंह !

# Page No.13



### बनेड़ा के पास लोहे की खान

७८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बनेड़ा के पास लोहे की खान है ?

(२) क्या यह सही है कि इसका ठेका किसी को दिया गया है ? यदि हां, तो किसको व कितने समय तक के लिये ? अगर नहीं दिया गया, तो क्या सरकार इसका ठेका देने का विचार रखती है ?

(३) क्या सरकार ने इसका कोई सर्वे व इससे निकलने वाले लोहे की जांच कराई है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार अब इसका कोई उचित प्रबन्ध कराने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

**उप-मन्त्री, खनिज** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) हां, बनेड़ा के पास लोहे का खनिज निकालने का खनन् पट्टा श्री नरेन्द्र कुमार माथुर, निवासी जयपुर को दिनांक ४-३-५८ से २० वर्ष के लिये दिया गया है।

(३) इस क्षेत्र में खनन् पट्टा स्वीकार किया जा चुका है। अतः सर्वेक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री उमरावसिंह** : यह जो खनन् पट्टा स्वीकार किया गया है वह किस फर्म के नाम पर है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : कहा न कि श्री नरेन्द्रकुमार माथुर, निवासी जयपुर।

**श्री उमरावसिंह** : इसका सर्वे कराना इसलिये जरूरी है कि यह १६ मील लम्बे एरिया में है और इसके लिये अगर सरकार अपनी तरफ से सर्वेक्षण कराके फिर इसको खुदाये तो ज्यादा लाभ हो सकता है। जिनको ठेका दिया गया है वह करीब तीन साल से माल निकाल नहीं रहे हैं और जो माल निकाला हुआ पड़ा है वह भी बाहर नहीं जा रहा है।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : बात यह है कि जो लोहा वहां से निकलता है वह ६० पर्सेन्ट से कम ग्रेड का है इसलिए मार्केटेबल नहीं है और इस कारण यह प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है और इसीलिये वह बन्द पड़ा है। पर जितने अर्से के लिए खनन् पट्टे पर यह दिया गया है उसका डैड रेन्ट और जो नियमानुसार चार्जेज़ होते हैं वे वसूल होते जा रहे हैं। सरकार को हानि नहीं है। रहा सवाल माल बेचने का, तो जब उसको मार्केट मिलेगा तब बेचेगा।

**श्री उमरावसिंह** : इसका पर्सेन्टेज ६० पर्सेन्ट का है, इसका क्या आधार है ? निकलने वाले माल की जांच कराई गई क्या ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट !

### को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, श्री गंगानगर को गेहूं बाहर भेजने का परमिट

७९. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सन् ५९-६० में गंगानगर जिले में किसान को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, श्री गंगानगर को गेहूं बाहर भेजने का परमिट दिया गया था ?

( श्री केदारनाथ )

(ख) क्या उस परमिट से गेहूं बाहर भेजने से सोसाइटी को कोई लाभ हुआ है ? अगर हां, तो किन हिस्सेदारों में वितरित किया गया ?

**उप-मंत्री, सहकारिता** (श्री भीमसिंह):

(क) जी हां।

(ख) लाभ नहीं हुआ; अतः उसके वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष : श्री** मोहनलाल सारस्वत।

**रतनगढ़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय**

**८०. श्री मोहनलाल सारस्वत** ( रतनगढ़ ) [ श्री मानिकचन्द सुराणा ( कोलायत ) द्वारा पूछा गया ]: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार का रतनगढ़ में विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार है ?

(२) यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ?

**उप-मंत्री, शिक्षा** ( श्री निरंजननाथ आचार्य ): (१) जी नहीं।

(२) वहां पहले ही सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो मौजूदा हालत में पर्याप्त ही है। नये विद्यालय को खोलने का प्रावधान भी नहीं है।

**श्री मानिकचन्द सुराणा:** क्या यह सही है कि चूरू कस्बे में, जहां की आबादी रतनगढ़ से कम है वहां ३ हायर सैकन्डरी स्कूल हैं और रतनगढ़ में एक ही है ?

**श्री अध्यक्ष:** श्री रामानन्द अग्रवाल।

**श्री मानिकचन्द सुराणा:** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आवश्यक है।

**श्री अध्यक्ष:** आप स्वयं जानते हैं इसका उत्तर।

**वन विभाग द्वारा सीमाओं का विस्तार**

**८१. श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि वन विभाग ने नया बन्दोबस्त करके अपनी सीमाओं का कुछ विस्तार कर लिया है ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम उमरेण श्योदानपुरा, बख्तपुरा, ढहलावास, रोगडा, रिंगसपुरी, अहमदपुर, माधोगढ़ आदि की जनता की यह शिकायत है कि वन विभाग ने अपनी सीमाओं का विस्तार करके उनके गांवों की जमीनें दबा ली हैं ?

(३) क्या सरकार इन गांव वालों को अपने गांवों की सीमाएं दुरुस्त कराने के लिये अब मौका देने का विचार रखती है ?

**वन मन्त्री** (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर पूरा नहीं है, पर जो उत्तर प्राप्त हुआ है उससे मैं माननीय सदस्य को सन्तोष करा सकूंगा।

(१) जी नहीं। वन विभाग ने नया बन्दोबस्त करके अपनी सीमाओं का कोई विस्तार नहीं किया है। बल्कि स्थिति यह है कि जो रकबेजात जंगल मकबूजा जंगलात थे उनकी एडहॉक बेसिस पर मीनाराबन्दी कर दी गई थी। अब उनका बाकायदा सर्वे होकर फॉरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर मौके पर लोगों

( श्री भीखाभाई )

के उजरात सुनकर फैसला दे रहे हैं। उसके अनुसार कुछ रकबे जंगल की हद के बाहर निकलते हैं और कुछ अन्दर आते हैं।

(२) जी हां, हो सकता है कि उक्त बन्दोबस्त व मीनाराबन्दी के तरीकों में कुछ गांव की जमीनें जंगल की हद में आ गई हों, परन्तु ऐसा बाद सुनने उजरात जनता की शिकायत दूर कर दी जाती है। अगर किसी खास गांव या व्यक्तिगत ऐसा मामला हो तो बतलाया जावे ताकि उसको तत्काल रफा किया जा सके।

(३) जब तक वन बन्दोबस्त का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक गांव वालों के उजरात सुने जाते हैं। इसलिये गांव वालों को चाहिये कि वह उनके उजरात असिस्टेन्ट फॉरेस्ट सैटलमेन्ट ऑफिसर करौली के समक्ष वगैर किसी देरी के रखें और कार्यवाही मुनासिब करावें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** क्या मन्त्री महोदय यह बता सकेंगे कि सरकार ने अपनी सीमाएं निर्धारित करने में एक मौलिक परिवर्तन कर लिया है? पहले रिज़र्व फॉरेस्ट की किसी भी विलेज में सीमा पहाड़ की चोटी पर होती थी और ढाल गांव वालों के हिस्से में होता था जिससे गांव के मवेशी कभी भी वहां चोटी पर जा नहीं सकते थे और गांव वालों को हैरेसमेन्ट नहीं होता था। अब सरकार ने अपनी नीति परिवर्तित करके चोटी के वजाय पहाड़ की एड़ी में सीमाएं रख दी हैं जिससे रोजमर्रा गांव वालों को भी और सैटलमेन्ट के कर्मचारियों को भी हैरेसमेंट होता है और आपस में झगड़े होते रहते हैं। उनके मवेशी उधर चले जाते हैं और इससे उनको रोजमर्रा हैरेसमेन्ट होता है। तो यह जो पहाड़ की पहली सीमा थी पहाड़ की चोटी पर उसको बदलकर एड़ी में लिया है, इसका क्या आधार है? यदि इसको सरकार ने नीति बना लिया है तो किस आधार पर?

**श्री भीखाभाई :** अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि जहां इस प्रकार का डिस्प्यूट पैदा हो तो दो प्रकार की चीजें हैं; एक तो यह कि पहले रेवेन्यू ऑफिसर उस मामले को सुनता है, और इसके बाद में कलेक्टर को भी अधिकार है अपील में उसको सुनने का और अगर ऐसी जमीन हुई तो वे निकाल देते हैं। मुझे भी अलवर के बारे में कहा गया। अगर वह स्टेज है तो मुझे भी एग्ज़ामिन करना पड़ेगा। फिर भी क्या रेमेडी इसकी होगी, यह नहीं कह सकता। पर अभी तो फॉरेस्ट सेटलमेन्ट का फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुआ है; तो मैं निवेदन करूंगा कि दुरुस्त करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न किसी एक ही जगह का या एक ही गांव का नहीं है, सारे राजस्थान का है। मैं इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि १९५५ से पहले जो एक्ट था उसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज नहीं थी। १९५५ के एक्ट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जैसी नई चीज ईजाद की जिसके फलस्वरूप गांव वालों के राइट तो उस एरिया में वहीं रक्खे, पर यह कह कर कि दरख्तों की रक्षा करना चाहते हैं, उनका नाम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रखा।

अब सरकार ने उस प्रोटेक्टेड फोरेस्ट की भी सीमा निर्धारित की थी, रिज़र्व फोरेस्ट

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

की सीमा भिन्न दी है। इसी तरह से कानून के मुताबिक भी आश्वासन दिया गया था कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा होना चाहिये कि गांव वालों को अधिकार रहे। पर अब उसको खत्म करके उस एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह से ही निर्धारित कर रही है।

गांव वालों को इस कानून की जानकारी नहीं थी। गांव वालों की अनभिज्ञता की वजह से जो मियाद थीं वह मियाद निकल चुकी थी मेरा यह निवेदन है कि एक-दो गांव का प्रश्न नहीं है इसलिये आप गवर्नमेन्ट बेसिस पर दुबारा तमाम सवाल को रीओपिन करें और इससे गांव वालों को जो बहुत भारी हैरेसमेन्ट हो रहा है उसको दूर करने की चेष्टा करें।

**श्री भीखाभाई** : अभी मैंने निवेदन किया कि जहां तक सारे राजस्थान की नीति का सवाल है मैं नहीं समझता कि कोई नीति में परिवर्तन हुआ है। राजस्थान में जहां तक रिजर्व फॉरेस्ट और प्राटेक्टेड फॉरेस्ट का सवाल है मैं समझता हूं कि मैं डूंगरपुर से आया हूं और डूंगरपुर के अन्दर भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट थे। इसी प्रकार से दूसरे राज्यों की तो जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा मंत्री महोदय (श्री नाथूराम मिर्धा की ओर संकेत) ने कहा है जिनको जंगलात के बारे में पुराना अनुभव है उन्होंने बताया कि सब जगह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि हैरेसमेन्ट होता है, यह उनको भ्रान्ति है....

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ने तो सरकार की नीति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित किया है कि उन्होंने जो विचार रखे हैं उनके ऊपर पुनः विचार करें क्योंकि जो आपने नीति अपनाई है उससे गांव वालों को दिक्कतें होती हैं।

**श्री भीखाभाई** : मैं कहता हूं कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे माननीय सदस्यों को भ्रान्ति है कि रिजर्व फॉरेस्ट में आदमियों को तकलीफें हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जंगलों के अन्दर चराई के लिए मुमानियत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनको भी इस प्रकार की भ्रान्ति है और रोजमर्रा शिकायत आती है सदन में कि यहां पर दिक्कत है...

**श्री भैरोंसिंह** (किशन पोल, जयपुर): माननीय मंत्री महोदय जिस भ्रान्ति के लिए कह रहे हैं शायद उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि उनके मन में ही भ्रान्ति है। यदि इस पर वे विचार कर लें तो उनको पता चल जायेगा।

**श्री भीखाभाई** : मेरा दिमाग बिलकुल साफ है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** ( रायसिंह-नगर): ऐसी कई घटनायें होती हैं जहां जंगलात हैं वहां पशु जाने से रोके गये हैं; इसलिए यह भ्रान्ति हुई है।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

( व्यवधान )

देखिये प्रश्नोत्तर का मतलब यह है कि आप सूचना सरकारी पक्ष से ले लें। अगर आप इस पर कोई बहस उठाना चाहते हैं, नीति परिवर्तन के लिए बहस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सामने नियम मौजूद हैं या दूसरे तरीके से कर सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** इसी सवाल से संबंधित एक सवाल है......

**श्री अध्यक्ष :** नेक्स्ट । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है ।

**श्री अध्यक्ष :** और भी तो बहुत सवाल अभी बाकी हैं ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) :** अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी करना चाहते हैं....

(अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

**श्री अध्यक्ष :** ऑर्डर प्लीज ! दूसरा प्रश्न पूछा जा चुका है । आप चाहें तो इस पर बहस कर लें ; घन्टे, दो घन्टे, जितनी आपको जरूरत है । पर उसके लिए दूसरा समय है ।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

### खनिज विकास निगम

८८२. **श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):** Will the Minister for Mines be pleased to state:—

1. Whether a corporation in the name of Mineral Development Corporation has been formed by the Government of Rajasthan ? If so, who are its members

2. Whether it has started functioning ?

3. If so, what has been its activity so far ?

**उप-मंत्री, खनिज (श्रीमती कमला बेनीवाल) :** 1. No.

2. Question does not arise.

3. Question does not arise.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** The Hon. Minister will repeat the reply. I have not heard.

**श्री अध्यक्ष :** आप उत्तर वापिस दे दें कृपया ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उत्तर दुबारा देने का कष्ट करें ।

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** थोड़ा ध्यान करके सुनें ।

1. No.

2. Question does not arise.

3. Question does not arise.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदय......

**श्री अध्यक्ष :** इस पर भी सप्लीमेन्टरी ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** हां । पिछले बजट सेशन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस प्रकार का डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन बहुत जल्दी ही बना दिया जायेगा और वह अपना काम करने लगेगा । क्या माननीय मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि वह आश्वासन कब पूरा होगा ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल :** बजट के अन्दर इस कॉर्पोरेशन के लिए १२ लाख रुपया मंजूर है, लेकिन वह कॉर्पोरेशन नहीं बनेगा । एक तो पलाना लिग्नाइट बोर्ड और दूसरा डूंगरपुर में फ्लोराइट के लिए बोर्ड बनाने का, ये दोनों बोर्ड अलग अलग बनेंगे । कॉर्पोरेशन के तहत यह मेन्शन किया गया है कि यह १२ लाख रुपया दोनों बोर्ड्स के लिए निर्धारित है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : यानी गवर्नमेन्ट ने इस कॉर्पोरेशन बनाने के आइडिया को गिव-अप यानी छोड़ दिया है ?

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : कॉर्पोरेशन के बजाय दोनों के लिए अलग अलग बोर्ड बनेगा । पलाना का बन चुका है परन्तु उसका काम अभी जारी नहीं हुआ है । डूंगरपुर वाला बोर्ड बनने वाला है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)** : पलाना लिग्नाइट बोर्ड के मेम्बर्स कौन कौन हैं ?

**श्री अध्यक्ष** : वह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** : १२ लाख रुपये में दो बोर्ड बन रहे हैं......

**श्रीमती कमला बेनीवाल** : मैं मेम्बर्स के नाम बता दूं, यदि आप कहें तो ।

**श्री अध्यक्ष** : जी नहीं । सदन का अधिक समय नहीं लिया जा सकता; और भी तो क्वेश्चन्स बहुत हैं ।

**प्रश्न संख्या ८३**

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

**चरणोट की जमीन-देवगढ़**

८४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आधा बीघा प्रति मवेशी चरणोट की जमीन सुरक्षित रखने की सरकारी आज्ञा है, फिर भी देवगढ़ तहसील में कई गांवों में चरणोट की जमीन मवेशियों की संख्या के अनुपात में कम है ?

(२) क्या यह सही है कि पंचायत कालागुण में जमीन ३५० बीघा है और मवेशी १००० हैं, अर्जुनगढ़ में जमीन ४०० बीघा है और मवेशी ११०० हैं, ताल पंचायत में १२७२ बीघा जमीन हैं और मवेशी २१०० हैं ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार मवेशियों की गिनती कराई जाकर फिर से चरणोट में परिवर्तन कराने का विचार रखती है ?

**उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा)** : (१) जी हां । सिर्फ तीन गावों में जमीन की कमी के कारण चरणोट की जमीन मवेशियों की संख्या के अनुपात से कम है ।

(२) जी हां ।

(३) इस संबंध में सरकार द्वारा समस्त जिलाधीशों को आदेश दिनांक ७-९-६२ को प्रचलित कर दिये गए हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)** : क्या सरकार यह बतायेगी कि यह आधा बीघा फी मवेशी भूमि चरणोट के लिए निर्धारित करने का आधार क्या है ?

**श्री अध्यक्ष** : यह भी सप्लीमेन्टरी अराइज़ नहीं होता ; क्या आधार है, क्या नहीं, यह तो एक पॉलिशी का सवाल है ।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली)** : आपने जो पशु लिखे हैं उनमें भेड़-बकरी को नहीं माना है, क्या यह सच है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामानन्द अग्रवाल।

## कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रश्न

८५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राजस्थान के विभिन्न कॉलेजों को विभिन्न कक्षाओं में इस साल कितने विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिला और क्यों?

(२) क्या सरकार कुछ ऐसे उपायों पर विचार कर रही है जिनसे इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी बिना प्रवेश न रह सकें? अगर हां, तो वे क्या हैं?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्थान के सारे कॉलेजेज़ से संबंधित है और आंकड़े मांगे गये हैं और इन आंकड़ों को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न भी किये......

श्री अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेकिन बीच में छुट्टियां आ जाने से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए इन्तजार है। इसको पोस्टपोन कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

## सर्किट हाउसेज़

८६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) राज्य में किन किन स्थानों पर सर्किट हाउसेज हैं?

(२) इन पर खर्च कितना होता है और आमदनी कितनी होती है?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राज्य में निम्न १० स्थानों पर सर्किट हाउसेज़ हैं :

(१) जोधपुर, (२) बीकानेर, (३) बूंदी, (४) माउन्ट आबू, (५) अलवर व सिलीसेड, (६) अजमेर (७) न्यू देहली, (८) जयपुर, (९) कोटा और (१०) उदयपुर।

(२) इन पर सन् १९६१-६२ में खर्चा ७,३८,२०३ रु० हुआ व आमदनी ६,८७,२६६ रु० हुई है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : अभी कितनी रकम बकाया वसूल करनी है?

श्री परसराम मदेरणा : बकाया के लिए आप अलग प्रश्न पूछ लीजिए। आपने आमदनी और खर्च के बारे में पूछा था वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द डागा।

## मिडल स्कूल, किशनगढ़ की नई इमारत

८७. श्री बालचन्द डागा (किशनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ मिडल स्कूल के लिए नई इमारत बनाई गई है?

(२) क्या यह भी सही है कि यह इमारत अभी तक मिडल स्कूल के काम में नहीं आ रही है?

(३) अगर हां, तो क्यों व कब तक यह इमारत मिडल स्कूल को संभला दी जावेगी।

**उप-मन्त्री, शिक्षा** (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य है कि राजकीय माध्यमिक शाला, किशनगढ़ के लिए गत वर्ष नई इमारत बनाई गई है।

(२) यह भी सत्य है।

(३) यह भवन माध्यमिक शाला को सुविधानुसार दे दिया जायेगा।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : वह सुविधा होने में क्या आपत्ति है ? असुविधा क्या है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : मैंने पहले प्रश्न में निवेदन किया था और जिक्र किया था असुविधा का। यह कॉलेज के प्रश्न से ही इन्टरलिंक्ड है।

**श्री बालचन्द डागा** : क्या यह सही है कि मिडल स्कूल की इमारत इसलिए नहीं दी जा रही है कि उसमें कॉलेज के छात्र पढ़ते हैं ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जरा जोर से। यहां तक आवाज नहीं पहुंच पाई।

**श्री बालचन्द डागा** : क्या यह सही है कि उस बिल्डिंग के अन्दर कॉलेज के छात्र पढ़ते हैं इसलिए वह मिडल स्कूल के छात्रों को नहीं दी जा रही है ?

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : जी हां। बहुतांश में यह ठीक ही है ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री रघुनाथ बिश्नोई !

### गोचर जमीन

८८. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम एवं राजस्थान लैंड रेवेन्यू अधिनियम में गोचर जमीन करार देने का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार अब उक्त कानून में कोई संशोधन कर गोचर जमीन डिक्लेयर कराने का प्रावधान रखने के बारे में सोच रही है ? यदि हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो ऐसे राइट्स डिक्लेयर करने के बारे में रेवेन्यू लॉज में क्या प्रोवीजन है ?

**उप-मंत्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, १९५५ में गोचर भूमि करार दिये जाने संबंधी डिक्लेरेटरी दावों का कोई खास प्रावधान नहीं है। राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट सन् १९५६ में चरागाह के लिए भूमि पृथक निर्धारित की जाने का प्रावधान है।

(२) हाल में राजस्व मण्डल ने निर्णय दिया है कि गोचर भूमि करार दिये जाने संबंधी दावे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा ९१ के तहत दायर किये जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक्ट में संशोधन की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : राजस्व उप-मंत्रीजी खुद मानते हैं कि इससे गड़बड़ हो सकती है। अभी दो खिलाफ में और एक फेवर में डिसीज़न राजस्व मंडल से हुआ है। उस बात को देखते हुए इस प्रोवीजन को डिलीट करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : यह झगड़े का प्रावधान नहीं है। but 'otherwise provided' की डेफिनिशन में इस तरह के केसेज पर

# Page No.21



(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुल बैन्च डिसीजन ले चुकी है। इस प्रकार के डिसीजन्स दफा ९६ के तहत हो सकते हैं। हम अभी यह अनुभव नहीं करते हैं कि अभी इस एक्ट में कोई संशोधन किया जाय।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन): क्या यह सही है गोचर भूमि का नीलाम किया जा रहा है और इससे किसानों में असंतोष है?

(उत्तर नहीं दिया गया)

**श्री अध्यक्ष** : श्री उमरावसिंह।

## बनेड़ा हाई स्कूल का हायर सेकन्डरी में परिवर्तन

**८९. श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार बनेड़ा हाई स्कूल को हायर सेकन्डरी स्कूल में बदलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो क्या जुलाई, १९६३ से वहां हायर सेकन्डरी स्कूल खोलदी जायगी?

(२) क्या यह सही है कि यहां १०वीं कक्षा के ६० के करीब छात्र हर साल इम्तिहान में बैठते हैं?

**उप-मंत्री, शिक्षा** (श्री निरन्जननाथ आचार्य): (१) सत्र १९६३-६४ में किसी भी उच्चशाला को उच्चतर माध्यमिक-शाला में परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है।

(२) यह कतई सत्य नहीं है। उच्च-शाला, बनेड़ा से हाई स्कूल की परीक्षा में १९६०-६१ में ३२ छात्र व १९६१-६२ में २० छात्र बैठे हैं।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया** : आप जो यह नम्बर बता रहे हैं वह पास होने वालों का है या बैठने वालों का है?

**श्री निरंजननाथ आचार्य**: बैठे हैं तो उनमें से कई गिरे होंगे। पास होने वालों का प्रश्न नहीं है; बैठने वालों का प्रश्न है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** (रायसिंह-नगर): और उस स्कूल में बैठने के बाद पास होने का प्रश्न नहीं रहता।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : वह स्कूल माननीय सदस्य से सम्बन्ध रखता है। बहुत अच्छा होगा। पास होते हैं या नहीं, आप ऐसा समझते हैं तो आप आपस में निबटारा कर लें।

**श्री उमरावसिंह ढाबरिया**: आपने जो नम्बर बताया है वह बिल्कुल सही नहीं है। १९६०-६१ में ५८ और ६१ लड़कों ने इम्तिहान दिया है। अगर आप पास होने का नम्बर बता रहे हैं तो उतना हो सकता है। १९६२ में उसको हायर सेकेन्डरी नहीं बनाने का क्या कारण है?

**श्री अध्यक्ष** : श्री हरिराम।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : पहले प्रश्न का उत्तर है कि हमारे आंकड़े सही बोलते हैं; आपकी जबान है वह क्या बोलती है, यह मैं नहीं कह सकता।

( श्री निरंजननाथ आचार्य )

दूसरे प्रश्न का जवाब है कि आर्थिक स्थिति है वह आपकी समझ में है। उसी आधार पर जिला चित्तौड़ में कहीं परिवर्तन नहीं किया गया है। उससे आपको संतोष होना चाहिए।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): माननीय उपमंत्रीजी ने यह कहा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे आंकड़े तो बोलते हैं और आपकी जुबान क्या बोलती है; वह मैं नहीं कह सकता। तो आखिर में उन्होंने कहा है कि ५८ छात्र परीक्षा में बैठे हैं न कि २० बैठे हैं। जहां तक बैठने का सवाल है प्रश्न अपने आप में कहता है कि इतने छात्र बैठे हैं। तो प्रश्न अपने आप में स्पष्ट है कि इस प्रकार का उत्तर किस प्रकार से दिया जाता है?

**श्री निरंजननाथ आचार्य:** अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य आकर देख लें अपनी आंखों से। मैं बतला दूंगा, जो बैठे हैं उनकी निश्चितरूप से यह संख्या है। उसमें कहीं परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर कहीं भ्रम है, हमको भी कहीं भ्रम हो सकता है, आपके समझने में भी हो सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। आंकड़े जो बोलते हैं, रेकॉर्ड जो बोलता है उसका क्या करें?

## भूमिहीन किसानों को भूमि

**९०. श्री हरिराम चौहान** (तिजारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर जिले में बहुत बड़ी तादाद में भूमिहीन किसान रहते हैं?

(२) क्या यह सही है कि राज्य में बिना मूल्य के लाखों बीघा जमीन भूमिहीनों को बांटी गई है?

(३) यदि हां, तो अलवर और भरतपुर जिले में कितनी जमीन भूमिहीन किसानों को दी गई है?

(४) सरकार की नीति भूमिहीन किसानों के सम्बन्ध में क्या है?

**उप-मन्त्री, राजस्व** (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां।

(२) जी हां। नियमानुसार भूमिहीनों को भूमि अलॉट की गई है।

(३) १५,३९१ बीघा भूमि जिला भरतपुर में भूमिहीन किसानों को अलॉट की गई थी। इसी प्रकार १३,२५३ बीघा भूमि जिला अलवर में अलॉट की गई थी। ये आंकड़े १९५३ से १९५९ तक के उपलब्ध हैं।

(४) जहां काश्त करने योग्य भूमि है वहां नियमानुसार भूमिहीन किसानों को अलॉट करना ही सरकार की नीति है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या यह जो एलॉटमेंट के नियम हैं...

**श्री अध्यक्ष**: श्री हरिराम।

**श्री हरिराम चौहान**: क्या यह सही है कि भूमिहीनों को जमीन नहीं देकर बड़े बड़े जागीरदारों को जमीन दी गई है?

# Page No.23



**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि खुदकाश्त के लिये खुदकाश्त कमिश्नर ने उनको वहां लैण्ड एलॉट की है जो किसी कानून के अन्तर्गत पाने के मुस्तहक हैं। वह खुदकाश्त की बात नहीं है। बाकी किसी ऐसे जागीरदार को इस प्रकार से कोई भूमि नहीं दी गई।

**श्री हरिराम चौहान** : अध्यक्ष महोदय, वह किसी न किसी कानून के तहत ही देंगे। वह बिस्वेदारों को दी है, जमींदारों को दी है वह वगैर किसी कानून के नहीं दे सकते हैं; लेकिन हाउस के अन्दर कहा जाता है कि इसके तहत नहीं दिया गया है, इसके तहत दिया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से यह पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीन है इस तरह की जो भूमिहीनों को दी गई है ? जो सिवाय चक थे, जो बंजर थी जिसके लिए भूमिहीन एक एक बीघा के लिये तरस रहे हैं, वह उनको न देकर उनको दी गई है जो बिलकुल काश्त नहीं करते हैं, जो अपनी जमीनें बेच चुके हैं और अब भी सरकारी जमीन को लेकर बेचना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को जमीनें दी गई हैं उसके आंकड़े आपके पास हैं कि नहीं ?

**विद्युत मंत्री** (श्री हरिश्चन्द्र) : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि ऐसे कई जागीरदार हैं जिनके पास में एक इंच भी जमीन नहीं है और वे भी भूमिहीन हो सकते हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : सवाल यह नहीं है, सवाल तो यह है......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या यह प्रश्न माननीय मंत्रीजी के विभाग से सम्बन्धित है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इस विधान सभा ने एक्ट बनाया है और उसके अन्तर्गत रूल्स बने हैं और इस एक्ट व रूल्स के अन्तर्गत अगर वे जमीन पाने वाले हैं तो अपनी एस्टेट के आस-पास और अगर वहां पर नहीं दी जा सकती है और दूसरी जगह नहीं दी जा सकती है तो इसके अलावा और क्या विकल्प हो सकता है कि उनको वहां दी जाय।

**श्री हरिराम चौहान** : वही तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीन वहां पर दी गई है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। यह प्रश्न आपके प्रश्न से बिलकुल भिन्न है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : अलवर जिले की कौन कौनसी तहसील के अलग अलग आंकड़े आप बता सकते हैं ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : जिले का कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट तो मेरे पास में है, तहसीलवाइज़ नहीं है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौनसे सन् से कौनसे सन् तक का है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : मैंने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है १९५३ से १९५९ तक है।

**श्री हरिराम चौहान** : कितने भूमिहीन किसानों की इन चार महीनों के अन्दर अन्दर दर्ख्वास्तें आई हैं और उनमें से कितनों को दी गई है ? पहले दे दी है उसका सवाल नहीं है। अब कितने लोगों को दी है, इस किस्म के आंकड़े हैं क्या ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री केदारनाथ।

गंगानगर जिले के किसानों की भूमि

६१. श्री केदारनाथ (गंगानगर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान बिस्वेदारी तथा जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, १९५९ की धारा ५, उपधारा (४) के अनुसार श्री गंगानगर जिले के किसानों की भूमि राज्य सरकार में निहित हुई है ? अगर हां, तो कितने एकड़ भूमि ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। गंगानगर जिले के किसानों की भूमि सरकार में निहित नहीं हुई है।

(२) प्रश्न नहीं उठता

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जब सरकार में निहित नहीं हुई है तो किसमें निहित हुई है जब कि मिल्कियत खत्म हो गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह दूसरा प्रश्न है। उन्होंने यह प्रश्न नहीं किया है। उनका प्रश्न है कि किसानों की जमीन सरकार में निहित हुई है क्या ? तो मैंने जवाब दिया है कि किसी किसान की कोई जमीन इन अधिनियमों के मातहत निहित नहीं हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार को......

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ : नीति का प्रश्न यह है कि जमींदारी और बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट के तहत लोगों की जितनी जमीन सरकार में वेस्ट हुई है उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो उसके प्रोप्राइटर हैं और जिनके पास में सीलिंग लिमिट से जमीन है। इस एक्ट की मन्शा बिस्वेदारी और जमींदारी के खिलाफ थी लेकिन उसका असर उन लोगों पर पड़ा है जिनकी अनइकोनामिक होल्डिंग्स थीं और जिनके वे प्रोप्राइटर्स थे और साथ ही साथ उसकी कीमत सरकार को अदा करके वे मालिक बने थे। इसीलिए किसान का मतलब इस एक्ट में 'मालिक' लिखा गया है। टैक्निकल आप राइट हैं...........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपकी ओर से जिस प्रकार का सवाल पूछा गया था, उसी प्रकार का जवाब दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अब तो जवाब दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब की बात नहीं है। स्पेसिफिकली आप पूछेंगे तो अलग से उत्तर दे दिया जायगा।

श्री केदारनाथ : सरकार की क्या पॉलिसी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जो सूचना प्राप्त की है वह आपके प्रश्न के अनुसार प्राप्त की है। अब सवाल दूसरा है तो उसके अनुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है।

श्री केदारनाथ : इस विषय में सरकार की क्या पॉलिसी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आप अलग से पूछेंगे तो उस समय बता दिया जायगा।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्रीजी से कि उस प्रकार से कितनी धरती खाम हुई है; आपके पटवारियों के रिकॉर्ड में कितनी धरती खाम हुई है, कितनी धरती एकत्रित की है ?

**मुख्य मंत्री** (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह आपके प्रश्न की मंशा नहीं है । किसान के बजाय अगर आप जमींदार करते कि कितनी जमीन जमींदारों से खाम हो गई है तो उत्तर जो आप चाहते हैं उसका मिल जाता ।............

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सरकार ने उस धरती को उठाया है ।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : लेकिन जहां तक नीति का प्रश्न जुड़ा हुआ है जो जमींदारों की जमीन से संबंधित है तो स्पष्ट तौर से अगर आप यह पूछें कि कितने जमींदारों की जमीनें सरकार के पास चली गईं तो उसकी सूचना एकत्रित करके जवाब दिया जा सकता है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में जमींदारी थी...

**श्री केदारनाथ** : जमीन सरकार में वेस्ट है । आखिर जो जमीन सरकार में वेस्ट हुई है वह लैंडलैस से नहीं हो सकती । वह हो सकती है किसानों से या जमींदारों से । तो किसानों से कितनी जमीन जब्त हुई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : इस प्रश्न में आपने पूछा कि किसानों की जमीन सरकार के पास कितनी जब्त हुई, उसका जवाब यह दिया गया कि किसानों से जमीन नहीं ली गई । दूसरी यह मंशा है कि जमींदार थे उनकी जमीन कितनी जब्त हुई ; वह अलग सवाल है । अलग से पूछेंगे तो बतायेंगे ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : कौनसे एक्ट में किसान का मतलब यह है कि वह जमीन का मालिक नहीं है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : किसान का मतलब जमीन के मालिक से नहीं है ।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह कौनसे एक्ट में है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : किस परिभाषा में मालिक का अर्थ नहीं है ? किसान दो प्रकार के हो सकते हैं, यह दूसरी बात है । यदि धरती सरकार में वेस्ट होती है, आपकी धरती आप में वेस्ट है......

**श्री अध्यक्ष** : श्री उमरावसिंह ।

## सिंचाई विभाग के तालाबों से पीवल होने वाली जमीन की पिलाई

९२. **श्री उमरावसिंह ढावरिया** (बनेड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बनेड़ा तहसील के सिंचाई विभाग के तालाबों से पीवल होने वाली जमीन की पिलाई बढ़ा दी गई है ?

(२) क्या जागीर रिज़म्पशन के पहले इनकी पिलाई १) रु० व ९ आना प्रति बीघा ही थी ?

(३) क्या सेटलमेन्ट के समय इन तालाबों की जमीन का भू-राजस्व पिलाई जोड़ कर रखा गया था जो अभी तक भी वसूल हो रहा है ? यदि हां, तो पिलाई ज्यादा क्यों वसूल की जा रही है ?

**सिंचाई मंत्री** (श्री भीखाभाई) : जी नहीं। अभी हाल में कोई शरह नहीं बढ़ाई गई है। पहले राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. ३ (१२) आइजी।५३ पार्ट २ दि० ११-१२-५८ से शरह बढ़ाना मंजूर हुआ था जो सन् १९५८-५९ के रवी फसल से लागू है।

(२) राजस्थान सिंचन व जल विकास अधिनियम, १९५४ की धारा २२ के खंड ४ के अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार जागीर रिज़म्पशन होकर सरकारी रेट ही वसूल होती है।

(३) जहां पिलाई की दर लगान में शामिल है वहां अलग से पिलाई नहीं ली जाती है।

**श्री उमरावसिंह ढावरिया** : जैसा आपने फरमाया है कि यहां पर कोई रेट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन प्रश्न के दूसरे हिस्से में साफ जाहिर किया गया है कि जागीर रिज़म्पशन से पहले वहां तालावों से पिलाई की रेट १ रु० ६ आना प्रति वीघा ली जाती थी वहां अब जो डिमान्ड नोटिस जारी हुए हैं वे ३ रु० २० नये पैसे प्रति वीघा के हिसाब से मिले हैं। करीव एक महीना पहले भीलवाड़ा जिले के कलेक्टर ने सारी तहसील में पिलाई के लिये स्टे-ऑर्डर दे दिये हैं। आपकी सूचना सही है या वे सही हैं ?

**श्री भीखाभाई** : जो बात कही गई उसको समझने में फर्क है, ऐसा लगता है पहले प्रश्न का जवाब......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : मंत्रीजी बार बार समझ में फर्क बता रहे हैं...

**श्री उमरावसिंह** : शरह नहीं बढ़ाई गई है तो ३ रु० २० नये पैसे के हिसाब से डिमान्ड नोटिस कैसे सर्व हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : अभी समझ रहे हैं।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत): यहां मंत्रीजी के समझने का क्या प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है।

**श्री अध्यक्ष** : समझ कर उत्तर दें तो ज्यादा अच्छा है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : मंत्रीजी हमारी समझ में हेर-फेर समझते हैं या उनकी समझ में हेर-फेर है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : मंत्री होने से ही कोई समझ ज्यादा हो जाती है क्या ?

**श्री भीखाभाई** : मैंने निवेदन किया है कि अभी शरह नहीं बढ़ाई गई, नेशनलाइज़ेशन हुआ उस समय बढ़ाई गई थी। जागीरें आने से नेशनलाइज़ेशन हुआ, उसके वाद किसान जो वाटर लेने लगे उसमें बढ़ोतरी करते समय भी यह ध्यान रखा गया है कि जो वे पहले दे रहे थे उससे ज्यादा एक्सीड न करें। दूसरी तरफ माननीय सदस्य ने कहा कि स्टे-ऑर्डर निकालने का सवाल है वह हमारे यहां से निकला है। यह इसलिये निकाला है कि जहां वाटर रेट लैंड रेवेन्यू के अन्दर शामिल थी उस वारे में कम्पलेन्ट्स कोटड़ी तहसील से और कई जगह से आई थीं। हमने उसके लिये कमेटी वैठाई है और वह सारे राजस्थान के लिये जांच कर रही है। जहां शिकायत है और कम्वाइन्ड रेट है इर्रिगेशन की और लैंड रेवेन्यू की, जहां तालावों से पिलाई की जाती है उसकी जांच करने के लिये कमेटी बनाई है।

# Page No.27



**श्री अध्यक्ष** : सब समझ में आगया साहब !

श्री मुरलीधर व्यास ।

## जैसलमेर में खनिज सर्वे

९३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या मंत्री, खनिज विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जैसलमेर जिले में खनिज विभाग द्वारा किन किन स्थानों का सर्वे किया गया है ? सर्वे की क्या रिपोर्ट है ?

(२) जैसलमेर में ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जिन पर कार्य हो रहा है तथा ऐसे कौनसे हैं जिन पर कार्य नहीं हो रहा है ?

(३) क्या जैसलमेर में सीमेन्ट का पत्थर और रामरज आदि भी पाई जाती हैं ?

**उप-मन्त्री, खनिज** ( श्री रामप्रसाद लड्ढा ) : (१) जैसलमेर जिले के निम्न स्थानों में खनिज विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया :-

जैसलमेर, रामगढ़, तानोट, किशनगढ़, बांडा, नाचनां और मोहनगढ़ ।

सर्वेक्षण के फलस्वरूप नाचनां और मोहनगढ़ में जिप्सम के भंडारों का पता चला है, अन्य स्थानों पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार खनिज तेल की सम्भावना के सम्बन्ध में और विस्तारपूर्वक जियोफिजिकल शोध कार्य और भौगर्भिक नक्शे तैयार करने आवश्यक बताये गये हैं । यह कार्य रूसी विशेषज्ञों के सहयोग में किया गया था ।

(२) मुल्तानी मिट्टी, रामरज ।

जिप्सम को भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिये रिजर्व किया है ।

(३) जैसलमेर में रामरज तथा जूरासिक युग का चूने के पत्थर पाये जाते हैं । यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता कि इकॉनोमिकली यह सीमेन्ट बनाने के उपयुक्त हैं या नहीं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने यह कहा कि यहां बहुत से खनिज पदार्थ हैं और उनका सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है तो क्या उसके लिये सरकार ने इस काम को प्रारम्भ कर दिया है ?

**श्री रामप्रसाद लड्ढा** : उसके बाद फ्रान्स की फ्रेन्च पेट्रोलियम नामक कम्पनी के साथ शोध कार्य करने के लिये हिन्दुस्तान सरकार का समझौता हो गया है । वे कार्य कर रहे हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमरसिंह ।

## नहर कला बंध कालक से बंध छापरवाड़ा को जाने वाली फीडर केनाल के सम्बन्ध में

९४. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या फीडर केनाल कालक सागर में काश्तकारों को बरसाती पानी देने के लिए मोरियां शुरू से ही सिंचाई विभाग द्वारा रखी गई हैं ?

(२) अगर हां, तो क्या अब इन्हें बंद करने के लिए हुक्म दे दिये गये हैं ? क्या इन मोरियों को बंद कर देने से काश्तकारों के बंधे खाली रहेंगे तथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा ?

(३) क्या जहां मोरियां बंद कर दी गई हैं, वहां के काश्तकारों को सरकार मुआवजा देने का विचार करती है ?

**उप-मन्त्री, सिंचाई** ( श्री दिनेशराय डांगी ) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं। इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या बोल रहे हैं साहब ?

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न नहीं उठता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : सुनने का प्रश्न नहीं उठता या कोई प्रश्न नहीं उठता ?

**श्री दिनेशराय डांगी** : (३) नाडों तथा तलाइयों को भरनेवाली कोई भी मोरी बंद नहीं की गई, अतः मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

**राजस्थान की उत्पादित ऊन**

९५. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को जानकारी है कि राजस्थान की उत्पादित ऊन को बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश की सरकार खरीदती है और अपने उद्योग केन्द्रों द्वारा कंबल बना कर लाखों की कीमत के कम्बल डिफेन्स मिनिस्टरी को सप्लाई करती है ?

(२) क्या सरकार इसी प्रकार राजस्थान में छोटे बड़े कारखाने, ऊन के केन्द्र स्थापित कर कम्बल बनाने के उद्योगों को प्रोत्साहन देने का तथा इन केन्द्रों में उत्पादित कम्बलों की सप्लाई डिफेन्स मिनिस्टरी तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में, जैसे मेडिकल और पुलिस विभाग में करने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

**उप-मन्त्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): जी हां, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के अन्य प्रदेश; जैसे पंजाब, काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार आदि भी राजस्थान की ऊन खरीदते हैं। इतना ही नहीं, यू० के० और अन्य कोमोफीयन कंट्रीज में भी राजस्थान की ऊन पहुंचती है।

(२) जी हां, विचार ही नहीं, इस तरह की व्यवस्था आज से पहले किसी अंश में की जा चुकी है। ऊन उत्पादन केन्द्र, बीकानेर से कम्बलों की काफी तादाद में राजस्थान के पुलिस विभाग और मेडिकल विभाग में सप्लाई की जा चुकी है। डीफेन्स मिनिस्ट्री से भी उनके स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार नमूना एप्रूव हो चुका है और डीफेन्स मिनिस्ट्री को कंबलें सप्लाई करने के प्रयत्न जारी हैं। इसी उद्देश्य को लेकर एक और यूनिट एक्स-सोल्जर्स की तरफ से नवलगढ़ में चालू किया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भैरवलाल 'काला बादल'।

**चम्बल नहरी क्षेत्र के खेतों में जुताई**

९६. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** ( अकलेरा ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) कोटा चम्बल नहरी क्षेत्र में इस वर्ष कितने खेतों में नहर के कारण पानी भरा रहने से हंकाई, जुताई नहीं हो पाई है ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

ऐसे खेतों का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या चम्बल क्षेत्र के लोगों ने उपरोक्त समस्या का हल करने के बारे में सम्बन्धित विभागों को प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं? यदि हां, तो किस तारीख को और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :** (१) इस साल की रबी फसल की हंकाई व जुताई अब शुरू हुई है, इस कारण ये आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(२) इस प्रश्न की जांच के लिये एक कमेटी नियुक्त की गई है जो शीघ्र ही राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :** खरीफ का क्या हुआ?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** पूछा नहीं।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) :** गत वर्ष कितने गांव थे चंबल क्षेत्र में जिनकी हंकाई बुवाई नहीं हुई और जमीन ऊसर गई?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** यह अलग प्रश्न है, इस वक्त आंकड़े नहीं हैं।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :** मेरा प्रश्न साफ था, इस वर्ष का मतलब किस तारीख से मानते हैं?

**श्री नाथूराम मिर्धा :** रबी फसल शुरू हो रही है।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :** मैंने कहां रबी के बारे में पूछा? किसान का वर्ष आषाढ़ से शुरू होता है। वहां फसल हुई या नहीं और कितने खेतों में पानी भरा है, मेरा प्रश्न साफ है। मैंने पूछा है कि कोटा चम्बल नहरी क्षेत्र में इस वर्ष कितने खेतों में नहर के कारण पानी भरा रहने से हंकाई, जुताई नहीं हो पाई है। इसका जवाब यह मिलता है कि हंकाई-जुताई अब शुरू हो रही है!

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैं यह नहीं कह रहा हूं।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :** जो वहां हो रहा है वह बताना चाहिये था।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैंने कहा लोग अब जमीन तैयार कर रहे हैं।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :** मगर आषाढ़ में क्या है? वहां ज्वार की फसल बोई नहीं है। साल आषाढ़ में शुरू होता है, चैत से शुरू होता है जब किसान फसल बोते हैं। आप रबी का जवाब दे रहे हैं!

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैंने कहा, बहुत सी जमीन नहर के लीकेज की वजह से डूबी, ऐसी जमीन, जो कि पर्मानेन्टली बिगड़ गई है। उस पर खेती होने की गुंजाइश नहीं है। उस जमीन को सरकार स्वयं एक्वायर करना चाहती है और कम्पेन्सेशन देना चाहती है केश (Cash) के रूप में, जमीन के रूप में। यह कार्यवाही चल रही है कि उसके बारे में पर्मानेन्टली क्या इलाज हो, उस जमीन का क्या किया जाय। जैसा मैंने कहा, इसके लिए कमेटी का गठन

( श्री नाथूराम मिर्धा )

किया है, जो यह देखेगी कि वाटर लोगिंग की ट्रबल है नहर की वजह से उसको किस तरह से, किस तरीके से हल किया जाय। इस पर विचार किया जा रहा है और हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है और जो जमीन बिगड़ गई है और जो रबी और खरीफ फसल के काम में नहीं आ रही है, उसका प्रोपर कम्पेन्सेशन देकर लेने की कार्यवाही चल रही है।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (मंडावर) : क्या यह सही है कि जिन खेतों में पानी भरा हुआ है उनसे पिलाई वसूल की गई है ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : बिल्कुल लगान की वसूली की कार्यवाही रोक दी गई है। अगर आप कोई स्पेसिफिक केस बतायें तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

**श्री हरिप्रसाद शर्मा** : ऐसा कोई केस नहीं है.........

**श्री अध्यक्ष** : श्री कृष्णकुमार गोयल। ऑर्डर प्लीज ! कोई केस हो तो आप मंत्री महोदय के ध्यान में लायें।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : ९७।

**श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** : थोड़े से और सवाल हैं।

**श्री अध्यक्ष** : ९७।

## कोटस मेन्यूफेक्चरिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, बूंदी

९७. **श्री कृष्णकुमार गोयल**, (कोटा) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि कोटस मेन्यूफेक्चरिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी बूंदी को सन् ५८-५९ में दस हजार रुपया ऋण दिया गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त सोसाइटी लिक्विडेट हो चुकी है ? अगर हां, तो कब ?

(३) क्या यह सत्य है कि उक्त सोसाइटी के सदस्यों का पता नहीं लग रहा है ?

(४) सरकार ने आज तक रकम की वसूली के लिये क्या कदम उठाए तथा आगामी कदम क्या उठाने का विचार है ?

**उप-मंत्री, सहकारी** (श्री भीमसिंह) : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि इसकी पूर्ण जानकारी नहीं आई इसलिए इसे एक सप्ताह के लिए स्थगित किया जाय।

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन।

## भरतपुर जिले से विभागों को हटाना

९८. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

प्रशासनिक कटौती (मितव्ययता अभियान) के अन्तर्गत भरतपुर जिले के कौन कौन से विभाग हटाये जा रहे हैं ?

**मुख्य मन्त्री** ( श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, इसकी भी पूर्ण जानकारी नहीं आई है।

# Page No.31



**श्री रामकिशन** : आपने बड़े विभाग हटा दिये हैं, फिर पूर्ण जानकारी क्यों नहीं आई ?

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : जानकारी नहीं आई है। बड़े हों या छोटे हों, जानकारी करने में समय लग जाता है।

**श्री रामकिशन** : आपको जानकारी है; बड़े नहीं हटे, छोटे हटे हैं।

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया** : डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस, भरतपुर में था, धौलपुर में था; वह कम हो गया है। सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट कम हुआ है। मैंने जानकारी की है, मैं पूरी जानकारी देदूंगा तो उचित रहेगा।

**श्री रामकिशन** : अधूरी जानकारी आप.....

**श्री अध्यक्ष** : श्री कृष्णकुमार गोयल।

**श्री रामकिशन** : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**श्री अध्यक्ष** : तभी तो वापिस उत्तर देंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : यह जानकारी छिपाने का प्रयत्न है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री कृष्णकुमार गोयल।

**श्री मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : आपको जानकारी है तो पूछते क्यों हैं ?

## कोटा नगर के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का अलॉटमेंट

**७३. श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) कोटा नगर के इण्डस्ट्रियल एरिया में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि, किन किन कार्यों के लिए कब कब एलॉट की गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) उक्त कार्यों में से कौन कौन से कार्य कब कब आरम्भ किये गये ?

(३) जिन व्यक्तियों ने आज तक कार्य आरम्भ नहीं किये उनके विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(४) उक्त व्यक्तियों में से सरकार की किन किन में कितनी कितनी राशि लीज़-मनी व डेवलपमेन्ट चार्जेज़ की बकाया है और कब से ?

**उप-मंत्री, उद्योग** (श्री चन्दनमल वैद): (१) २४ पार्टियों को कारखाना लगाने हेतु जमीनें दी गई हैं। जिनके नाम आदि संलग्न स्टेटमेंट (तालिका) में अंकित हैं।

(२) २४ उद्योगों में से सिर्फ नाईलोन फैक्ट्री ही मार्च, १९६२ से चालू हुई है।

(३) जिन व्यक्तियों ने आज तक कार्य आरम्भ नहीं किया है उनके खिलाफ राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया अलॉटमेंट रूल्स की धारा ७ के अनुसार २ वर्ष अवधि समाप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(४) बकाया लीज़ मनी व डेवलपमेन्ट चार्जेज की राशि संलग्न तालिका के कॉलम नं० ८, ९ में अंकित है।

( कृपया परिशिष्ट ३ देखिये )

# Page No.32



**श्री रघुनाथ बिश्नोई (संवोट) :** अध्यक्ष महोदय, जैसा उप-मंत्री ने कहा, दो वर्ष की अवधि एक्ट में है। एग्रीमेन्ट उनके साथ किया हुआ है, उस एग्रीमेंट के पूरा न होने पर सरकार ने क्या किया है ?

**श्री अध्यक्ष:** अलॉटमेंट किस तारीख से समझेंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद:** जिस रोज से पज़ेशन लिया है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई:** सरकार की तरफ से एग्रीमेंट था कि कब से प्रॉडक्शन शुरू कर देंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद:** मैंने निवेदन किया कि रूल्स में प्रावधान है कि दो साल में कार्य शुरू करना पड़ेगा। दो साल में कार्य शुरू नहीं करेंगे तो वह वापिस गवर्नमेंट की तरफ रिवोर्ट हो जायगी।

**श्री भैरोंसिंह :** आप डेट शुमार करके चल रहे हैं, वह डेट ऑफ ऑक्युपेशन से मान कर चल रहे हैं या डेट ऑफ अलॉटमेंट से मान कर चल रहे हैं या जिस दिन से पज़ेशन कर लेगा उस दिन से मान कर चल रहे हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद:** डेट ऑफ पज़ेशन से।

**श्री भैरोंसिंह:** इसमें पज़ेशन की बात नहीं है। आप दो वर्ष के बाद कैसे लेंगे ?

**श्री चन्दनमल वैद:** अगर पज़ेशन नहीं लेता है तो दो साल से पहले ले लेते हैं।

**श्री भैरोंसिंह:** आप कह रहे हैं कि पहले ले लेते हैं तो जिन लोगों ने पज़ेशन नहीं लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद :** वह जमीन तो हमारे पास है।

**श्री भैरोंसिंह:** वह ठीक है, लेकिन जो बाकी के एप्लीकेन्ट्स हैं जिनकी एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की है, अगर उनको कब्जा मिल जाता तो वे उस पर कब्जा करके इन्डस्ट्रियल एरिया में अपना काम चालू कर देते। उसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करने या रिजेक्ट करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

**श्री चन्दनमल वैद:** इस बात का ख्याल रखा जाता है कि लैंड अलॉट होने के बाद अगर पज़ेशन न ले तो दूसरी एप्लीकेशन है उनके एप्लीकेन्ट्स को अलॉट कर देते हैं।

**श्री श्योपतसिंह ( हनुमानगढ़ ) :** क्या ऐसा किया जा रहा है ?

**श्री चन्दनमल वैद:** किया जाता रहा है।

**श्री भैरोंसिंह:** आप कहते हैं तो क्या सरकार ने रूल्स बनाये हैं कि इतने समय तक पज़ेशन नहीं लिया तो उस जमीन से डिस्प्लेस किया जाकर उस लैंड को दूसरे को दे सकते हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद:** रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह सरकार के डिस्क्रिशन पर है। जमीन हमारे ही पास है उसे दूसरे को अलॉट कर देते हैं।

**श्री भैरोंसिंह**: आपके डिस्क्रिशन का बेसिस है, एक आदमी दो वर्ष तक पजेशन नहीं ले और दूसरा दो महीने तक नहीं ले। तो दो महीने वाले की जमीन का आप अलॉटमेंट कर देते हैं और दूसरे के लिए आप दो साल तक इन्तजार करते हैं तो क्या आपके डिस्क्रिशन को रेगुलेट करने के लिए कोई रूल्स हैं ?

**श्री चन्दनमल वैद**: अभी तक ऐसी जरूरत महसूस नहीं हुई है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)**: जब तक ऐसी सिचुएशन एराइज न हो जाये तब तक आप जरूरत महसूस नहीं करते।

( उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न समाप्त हुए।

**श्री रामकिशन (वैर)**: प्रश्न संख्या ७४ श्री नत्थीसिंहजी का है, यह प्रश्न रह गया था, वे मुझे ऑथोरिटी दे गये थे।

## कुराराम के शरीर की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना

**स्वास्थ्य मंत्री (श्री बरकतुल्लाखां)**: माननीय अध्यक्ष, कुराराम की बॉडी की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट देने के लिए बोर्ड बनाया गया था, उस बोर्ड की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आ गई है, जो मैं सदन की मेज पर रख देना चाहता हूं।

( कृपया परिशिष्ट ४ देखिये )

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)**: क्या रिपोर्ट है ?

**श्री अध्यक्ष**: वह देख लीजिये पूरी रिपोर्ट है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)**: अध्यक्ष महोदय, वह रिपोर्ट बता दें तो अच्छा हो।

**श्री अध्यक्ष**: टैक्निकल रिपोर्ट है जो चार पेज की है; आप देख लें और जो चाहें देख लें।

**श्री रामानन्द अग्रवाल**: नम्बर ऑफ...

**श्री अध्यक्ष**: आप देख लीजिये।

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय संबंधी वाद-विवाद

**श्री हरदत्तसिंह (नोहर)**: अध्यक्ष महोदय, मैंने आज राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय राजस्व मंत्रीजी का ध्यान दिलाने हेतु एक सूचना दी थी, जिसको नियमों के मुताबिक आपकी अनुमति प्राप्त हुई या नहीं, उसकी सूचना प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने के बाद मुझे मिल जानी चाहिए, वह नहीं मिली है।

**श्री अध्यक्ष**: कोई आवश्यक नहीं है कि आपको सूचना मिले उस समय।

**श्री हरदत्तसिंह**: मुझे सूचना मिलनी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष**: सूचना चाहने के लिए सदन में प्रश्न उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप सेक्रेटेरियट से पूछ सकते हैं। ऐसे कई प्रश्न हैं जो सदन के सामने नहीं आने चाहिएं और सदन का समय उन प्रश्नों के लिए नहीं लेना चाहिए।

**श्री हरदत्तसिंह**: यह दुरुस्त है।

**श्री अध्यक्ष**: लिस्ट ग्रॉफ बिजनैस में जिन विषयों का उल्लेख होता है, जो चीज उसमें है, उस पर बाद-विवाद या चर्चा जरूर की जा सकती है। इसके बारे में अलग तरीके से चर्चा की जानी चाहिए ग्रौर इसके कई तरीके ग्रौर हैं।

## तारांकित प्रश्नोत्तर
(पूर्व क्रम से)

**श्री रामकिशन** (वैर): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का क्या हुग्रा ?

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य नहीं हैं।

**श्री रामकिशन**: मुझे ग्रॉथोरिटी दे गये थे। वह मैंने सेक्रेटरी को दे दी थी।

**श्री अध्यक्ष** : खैर, फिर से पूछ लीजिये, वैसे कॉल किया गया था।

क्वेश्चन नम्बर ७४।

**बाढ़ के पानी के निकास की योजना**

**श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) [ श्री रामकिशन (वैर) द्वारा पूछा गया ]: क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या भरतपुर के समीप उत्तर प्रदेश की सोन नदी से ग्राने वाले बाढ़ के पानी को भरतपुर जिले में होकर निकालने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस पानी को निकालने के लिए भरतपुर जिले की कुम्हेर सब-तहसील के गुनसारा, ताखा, रारह तथा सांतरुक ग्रामों की सीमा में होकर कोई नाला निकाला जा रहा है ? यदि हां, तो इन गांवों की कितनी जमीन इस नाले के कारण खराब होगी ?

(३) क्या राजस्थान की सीमा में होकर इस नाले के निकालने की स्वीकृति राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दे दी है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस नाले को उत्तर प्रदेश की ही सीमा में होकर निकाला जा सकता है ग्रौर पहले इसकी सर्वे भी उत्तर प्रदेश की सीमा में होकर ही हुई है ?

**सिंचाई मन्त्री** ( श्री भीखाभाई ): (१) बाढ़ के पानी को निकालने के लिए भरतपुर जिले व उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप गोवर्धन डेम नामक योजना है। यह डेम भरतपुर जिले के थोड़े से ही क्षेत्र में होकर निकलेगी जो एक इन्टर-स्टेट योजना है।

(२) यह नाला कुम्हेर सब-तहसील के गुनसारा, ताखा, रारह तथा सांतरुक ग्रामों की सीमा में से होकर निकलेगा। इस नाले में उक्त ग्रामों की निम्नलिखित भूमि आवेगी :—

(१) ताखा ५१:६ एकड़ (२) गुनसारा ३५:८ एकड़ (३) सांतरुक, ग्रठेरा, रारह १०१:३ एकड़। कुल १८८:७ एकड़।

(३) चीफ इन्जीनियर के स्तर पर स्वीकृति की सिफारिश की है।

(४) ग्रावश्यक सर्वे के पश्चात् यह ही ग्रलाइनमेंट उपयुक्त पाया गया।

**श्री रामकिशन** : उत्तर प्रदेश में जो सर्वे हुग्रा था उसको उपयुक्त नहीं समझा गया। सोन नदी में पानी आयेगा ग्रौर वह टूट गया तो फिर पानी भर जायगा।

**श्री भीखा भाई** : यह टैक्निकल सवाल है। जहां टैक्निकल ओपीनियन दूसरी प्रकार की है तो हमें टैक्निकल ओपिनियन से बाध्य होना पड़ेगा। दोनों राज्यों के चीफ इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने अलाइनमेंट को एक्जामिन किया है। उसके बाद मुनासिब समझा कि इस क्षेत्र में–भरतपुर जिले के क्षेत्र में जानी चाहिए।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए।

( १२-१० म. प. )

## वाटर लोगिंग समस्या सम्बन्धी ध्यान आकर्षित करना

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब आदि सभी जगह वाटर लोगिंग प्रोब्लम है और वे सब उस पानी को निकाल रहे हैं। राजस्थान में जैसे राजस्थान के हिस्से भरतपुर में मवेड़ा और गुड़गांव जिलों का पानी आया, उधर से मथुरा जिले का आया इसलिए इस प्रोब्लम पर अपने प्रांत के हित की दृष्टि से अपने यहां के टेक्नीशियनों की राय लेकर गम्भीरता से विचार करें।

## राजस्थान पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२

( खंडशः विचार-विमर्श एवं पारित )

**श्री अध्यक्ष** : वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स बिल, १९६२ पर बहस चल रही थी। माननीय मंत्री कृपया उस बहस पर उत्तर दें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि इस बिल को एक सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे और उसके समर्थन में उन्होंने अपने विचार इस सदन के सामने रखे। सदन में दोनों तरफ से विचार प्रस्तुत हुए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजने की आवश्यकता नहीं। दोनों तरह की विचारधाराएं सामने आई और जो दलीलें इसके समर्थन में दी गई उसका स्पष्टीकरण बहुत से माननीय सदस्यों ने किया। मैं कुछ दलीलें जो खासतौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने रखीं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

उन्होंने इस बिल के कुछ क्लॉजेज की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि यह बिल सदन में आया उससे तो उनको बहुत खुशी है; बहुत देर से आया, मगर आया जरूर। मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह मानता हूं कि यह देर की बात नहीं है। हमारा राजस्थान पशु-धन के लिए बड़ा महत्व का है। राजस्थान पशु-धन में अहमियत रखता है और इसके लिए हमारे पशु-धन की नस्ल को सुधारा जावे, उनको बीमारियों से बचाया जावे, उनका लालन-पालन किया जावे और उनकी जो सेवा की जा सके वह की जावे। ये बुनियादी तौर से दो-तीन सिद्धांत होते हैं जिससे हम अपने पशु-धन को सुधार सकते हैं। इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध कार्यवाही,

( श्री नाथूराम मिर्धा )

प्रथम और द्वितीय योजना में चली है। पहली योजना में बहुत कम काम किया गया। जहां करोड़ों की तादाद में पशु-धन है उनके लिये बहुत कम धन-राशि रखी गई। परन्तु दूसरी योजना में दो करोड़ रुपयों की धन-राशि इस पशु-धन के विकास करने के दृष्टिकोण से खर्च की गई। तीसरी योजना में पहले से काफी ज्यादा खर्च करने का सोचा था, लेकिन अब ढाई पौने तीन करोड़ की धनराशि पशु-धन के लिए योजना पर खर्च करना चाहते हैं। इस तरह से इतने बड़े पशु-धन के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वह बहुत कम हुआ है। अब यह बिल सदन में रखा गया है वह इस दृष्टिकोण से रखा गया है कि पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि बनाये गये हैं और अब चिकित्सक भी उपलब्ध हैं। हम उन्हें काफी मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान में जितने वेटेरिनरी डॉक्टरों की जरूरत है प्राप्त कर सकते हैं और आगे आने वाले पांच सालों में भी प्राप्त कर सकेंगे। हम इस साल से या पिछले साल से ही इस स्टेज पर आ सके हैं। दो प्लान में ये उपलब्ध नहीं थे और अब प्रचुर मात्रा में हम डॉक्टरों को उपलब्ध कर सकते हैं। अब वह स्टेज है कि कौंसिल बना कर जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उपलब्ध करावें। पहले इतने लोग उपलब्ध नहीं थे। इसलिए इस बिल के बारे में यह कहना कि यह बिल बहुत पहले आना चाहिये, यह प्रोपर नहीं था। आगे एक स्टेज ऐसा भी आ सकता है कि ऐसे जो लोग हों वे प्राइवेट क्षेत्र में काम करें और रिटायर होने के बाद अपनी आफ्टर लाइफ में काम करें और पशु-धन की सेवा कर सकें। इसलिए यह कौंसिल धारा ४ के नीचे बनाई है। वह लोगों का रजिस्ट्रेशन करे जैसा कि उसके ऑब्जेक्ट्स में दिया गया है कि ऐसे लोग उनकी सर्विस कर सकें और सही तरीके से हर तरह से पशुओं को मेन्टेन कर सकें। इस दृष्टिकोण से यह उपयुक्त स्टेज है।

इस बिल का सदन के माननीय सदस्यों ने स्वागत किया, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। इसके साथ कुछ धाराओं के लिये कहा कि धारा ३५ के अन्तर्गत कौंसिल को चाहे जब सस्पेन्ड कर सकते हैं; उन लोगों पर सूट किया जा सकता है। ऐसी बात भी कही कि इन धाराओं पर विचार करना चाहिए और इसके लिये इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष, हम इसी सदन में उन पर विचार कर सकते हैं और जब जब हम विचार करेंगे और माननीय सदस्य कहेंगे और उस पर विचार करने लायक कोई बात होगी उस पर यहीं विचार कर सकेंगे।

दूसरी बात यह कही गई कि पुराने जमाने के लोग अनुभव के तौर पर सेवा कर रहे हैं, उनके लिये इसमें कोई प्रावधान नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी आयुर्वेद का रजिस्ट्रेशन होता है, एलोपेथी में डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन होता है। कोई घर में आदमी है। उसका पेट दुखता है। उसे अजवान दे देता है तो क्या उसको अनुभवी और माहिर मान कर उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए, जब कि हमारे यहां ४–५ साल ट्रेनिंग के बाद ही किसी को एक्सपर्ट मानते हैं? उन लोगों के साथ उनको जोड़ना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। हो सकता है वे पशुओं की सेवा

( श्री नाथूराम मिर्धा )

करते हैं, यह मैं भी मानता हूं। बहुत से लोग अगर हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने का काम करते हैं। उन लोगों को जाने दें जो टोना-टमना से इलाज करते हैं।

हम तो सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ के डिप्लोमाज़, डिग्रियों को इस तरह मान्यता दें, इस कौंसिल के कार्य को अच्छी तरह चला सकें, इसके स्टेन्डर्ड को मेन्टेन कर सकें, इस तरह यह व्यवस्था राजस्थान में जमा रहे हैं। वह आगे सुचारु रूप से चल सके, इस बारे में हमें सोचना है। तो इनको भी कानून के पर्व्यू में लाकर प्रेक्टीशनर्स के तरीके से रजिस्टर करना मैं उपयुक्त नहीं समझता। हां, लोग उनके अनुभवों का फायदा उठाते हैं। पर कई लोग नुकसान भी उठाते हैं। ह्यूमन बीइंग्ज़ को भी कई बार इस तरह के इलाजों से नुकसान उठाना पड़ता है। तो इनके रजिस्ट्रेशन के प्रश्न को इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

इसके अलावा और कई छोटे मोटे प्रश्न उठाये गये; जैसे इसका चेयरमैन डाइरेक्टर को क्यों कर किया; इसका इलेक्टेड चेयरमैन होना चाहिये, इन बातों पर तो हम जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार करेंगे उस समय विचार कर लेंगे। ऐसी हालत में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके कारण इस वक्त इस बिल पर विचार न करके इसे सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय, वे अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस ले लें।

**श्री अध्यक्ष** : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं क्या वे उन्हें वापिस लेना चाहते हैं ? श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री रामकिशन, श्री गंगासिंह, श्री मुरलीधर व्यास। क्या ऐसा मान लिया जाय कि वापिस लेते है?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो माननीय सदस्य अपने संशोधन के प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं उन्हें अपने प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( स्वीकृत )

अनुमति प्रदान की गई।

**श्री रामकिशन** ( वैर ) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

**श्री गंगासिंह !**

**श्री गंगासिंह राठोड़** (जायल) : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

[सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, नत्थीसिंह, मुकुटबिहारीलाल एवं मुरलीधर व्यास की अनुपस्थिति के कारण उनके प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। ]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान वेटेरिनरी प्रेक्टीशनर्स बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

( स्वीकृत )

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

( विराम )

खण्ड २ और ३ पर कोई संशोधन नहीं है।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बनें ?

( स्वीकृत )

( श्री अध्यक्ष )

खण्ड २ और ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

( विराम )

खण्ड ४ श्री विजयसिंह झाला

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : [संशोधन इस प्रकार है :

"Sub clause (1); (i) Substitute the word 'six' for the 'four' occurring in part(d)

(ii) Delete part (f)

(iii) Replace sub-clause (2) by the following :

'The President of the Council shall be elected by the members of the Council from amongst themselves." ]

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज ४ पर मैं तीन संशोधन रख रहा हूं; पहला संशोधन मेरा यह है कि क्लॉज़ ४ के (डी) पार्ट में जो कौंसिल के सदस्य चुनाव द्वारा नियुक्त किये गये हैं वे चार की जगह छः कर दिये जायं । इसके साथ ही साथ इसी क्लॉज़ के पार्ट (ई) में जो दो सदस्यों को सरकार द्वारा नोमीनेट किये जाने का प्रावधान रखा गया है, इस पार्ट (ई) को विलोपित कर दिया जाय और ये दो सदस्य भी पार्ट (डी) द्वारा चुने हुए होने चाहियें । क्योंकि आज हम डेमोक्रेटिक कन्ट्री में रह रहे हैं और जनतान्त्रिक तरीके की कौंसिल बनाने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कोई भी सदस्य इस कौंसिल में सरकार द्वारा नोमीनेट किया हुआ नहीं होना चाहिये । जब कि हमने एक ऐसा मार्ग इसमें रखा है जिसके द्वारा चुने हुए सदस्य ले सकते हैं तो ऐसी हालत में मैं इस धारा के पार्ट (ई) को आवश्यक नहीं समझता, इसको विलोपित कर दिया जाय । इसके द्वारा लिये जाने वाले दो सदस्य (डी) द्वारा चुने जाकर लिये जाने चाहिये । डाइरेक्टर और प्रिन्सिपल सरकारी सदस्य हैं । इनके अलावा दो और सदस्यों को सरकार द्वारा नोमीनेट किया गया तो इस कौंसिल में सारे के सारे सरकारी सदस्यों की डिक्टेटरशिप हो जायगी और कौंसिल का कार्य ठीक तरह से नहीं चल सकेगा ।

मेरा दूसरा संशोधन कौंसिल के प्रेसीडेन्ट के बारे में है । इसके लिये क्लॉज २ के अनुसार " The Director shall be the President of the Council.

मेरा संशोधन है कि डाइरेक्टर इसका प्रेसीडेन्ट न होकर जो कौंसिल के सदस्य हों वे जिसको प्रेसीडेन्ट चुने वह प्रेसीडेन्ट होना चाहिये । हो सकता है कि प्रिन्सिपल डाइरेक्टर से भी ज्यादा योग्य हो या जो अन्य सदस्य चुने गये हैं उनमें कोई इनसे भी अधिक योग्य हो । तो किसी भी कौंसिल का प्रेसीडेन्ट जिसमें कि सदस्य चुन कर आते हैं सरकार द्वारा नोमीनेटेड डाइरेक्टर हो, यह उचित नहीं होगा । इसलिये मैं संशोधन रखता हूं कि कौंसिल का प्रेसीडेन्ट चुना हुआ हो । सदस्य चुने हुए होने चाहियें । (ई) के द्वारा दो सदस्य नोमीनेट किये जाने के बजाय पार्ट (डी) द्वारा चुने जाने चाहियें और पार्ट (ई) को विलोपित किया जाना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह !

# Page No.39



**श्री गंगासिंह राठोड़** ( जायल ) :

[संशोधन इस प्रकार है :

" Sub clause 1 : (i) The word 'six' be substituted for the word 'four' in part (d)

(ii) Part (e) be deleted "]

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरा अमेंडमेंट है कि क्लॉज़ ४ के (डी) पार्ट में जो चार इलेक्टेड मेम्बर्स रखे हुँ वे चार के बजाय छः कर दिये जायं और (ई) पार्ट को डिलीट कर दिया जाय। जहां तक कम्पोजिशन ऑफ कौंसिल का सवाल है सरकार की मंशा मैं समझ सकता हूं कि वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स में से ६ का रिप्रेज़ेन्टेशन करना चाहती है। साथ ही चाहती है कि चार इलेक्टेड हों और दो नोमीनेटेड हों। मैं समझता हूं, अगर सरकार वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स में से मुकर्रर करना चाहती है तो सारे के सारे इलेक्टेड होने चाहियें, न कि नोमीनेटेड। इस सिलसिले में मेरा अमेंडमेंट है कि पार्ट (डी) में चार मेम्बर्स इलेक्टेड रखे गये हैं उनकी जगह छः कर दिये जायें और पार्ट (ई) को डिलीट कर दिया जाय। मैं समझता हूं, यह वाजिब अमेंडमेंट है, इसे मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं। यह जो क्लॉज़ ४ रखा गया है इसमें वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स में से नोमीनेशन रखे गये हैं इसका कोई वाजिब कारण नजर नहीं आता। आम तौर पर दूसरे विधेयकों में भी गवर्नमेन्ट ने यह नोमीनेशन का पॉवर रखा है तो उसमें यह दृष्टिकोण रहा है कि विशेष काम के लिये कोई विशेषज्ञ हो वह चुनाव के जरिये नहीं आ पायें तो उनको गवर्नमेन्ट उसमें रख पाये। पर इस मौजूदा विधेयक में वह बात नहीं है। इसलिये सिवाय इसके कि सरकार की यह मंशा है कि इसमें बिल्कुल गारन्टीड तौर पर इस प्रकार के लोग मेजोरिटी में हों, जो गवर्नमेन्ट के इशारे पर चल सकें, इसके अलावा और कोई मंशा इन दो आदमियों को नोमीनेट करने में नजर नहीं आती। इस प्रकार की कौंसिल, जिसके हाथ म कोई बहुत बड़ा इन्तजाम नहीं है, इस प्रकार की संस्था को भी इस प्रकार के लोगों पर विश्वास करके गवर्नमेन्ट नहीं चला सके कि जिसमें उनकी मेजोरिटी संदेहास्पद हो तो फिर इस सरकार को डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूलों में ही शक है और अनावश्यक तौर पर चुने हुये लोगों में सन्देह है। इसलिये मेरा निवेदन है कि दो आदमियों का नोमीनेशन है उसको हटा देना चाहिये और चार के बजाय छः का संशोधन में है उसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

इसके अतिरिक्त इस कौंसिल का प्रेसीडेन्ट जो डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेन्डरी को सजेस्ट किया गया है, वह अफसर अपने जो एक्ज़ीक्यूटिव काम हैं, प्रशासनिक कार्य हैं उनके अन्दर ही बहुत व्यस्त रहेगा और उस की शक्ति का अधिक उपयोग भी इधर होना चाहिये। यह जो काम है कौंसिल का यह तो एक तरह से रेगुलेटिंग काम है और इसके अन्दर डाइरेक्टर साहब प्रेसीडेन्ट बन कर उसकी जिम्मेदारियों को सम्हाले, यह उनके समय का भी अपव्यय करना होगा। इसके अतिरिक्त डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण से जितने मेम्बर होते हैं वे ही डाइरेक्टर चुन लेते हैं,

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

चाहे कोई आ जाय। एक वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर है वह भी बन जाय तो उसमें कोई बड़ी आपत्ति नहीं होनेवाली है, क्योंकि जिम्मेदारी आप कौंसिल पर छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ उस हालत में भी जब कि अपील के अधिकार सरकार अपने हाथ में रख रही है तो कोई खतरा नहीं मालूम होता है कि प्रेसीडेन्ट उस कौंसिल का सरकार का नहीं होगा तो कौंसिल एस्ट्रे चली जावेगी। इसलिए मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं और अपील करता हूं कि नोमीनेशन के प्रस्ताव को हटा कर प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होना चाहिये।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में कौंसिल के एस्टेब्लिशमेन्ट की बात कही गई है और क्लॉज़ ४ पर विचार करते हैं तो इस कौंसिल के कॉन्स्टीट्यूशन, उसकी शक्ति और पॉवर्स आदि पर दृष्टिपात करना पड़ेगा। यह जाहिर है कि यह कौंसिल एक सलाहकार बॉडी के रूप में काम करेगी। सरकार उस सलाह को माने या न माने, यह क्लॉज़ ३ के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों में सीमित रखा है। अगर इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट के लिए फोर दी टाइम बीइंग यह मान लिया जाय कि वे स्वीकार न किये जायं तो पोजीशन यह रहेगी कि प्रेसीडेन्ट डाइरेक्टर रहेगा, वेटेरिनरी कॉलेज के जितने प्रिन्सिपल्स हैं हम कहते हैं कि हमारा राज्य विकासशील है, हम यह महसूस करते हैं कि इन कॉलेजेज की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ेगी, यदि उनकी संख्या ४-६ हो जाय तो उनके जो प्रिन्सिपल्स हैं वे सब इस के एक्स ऑफिशियो मेम्बर होंगे; फेकल्टी के सदस्य चुन कर आवेंगे। इस तरह से इनकी संख्या अधिक होगी और इसके प्रतिकूल जो प्रेक्टीश्नर हैं, जो इस कौंसिल में अपने व्यू पोइन्ट्स को रख सकें और सरकार तक किसी प्रकार उनकी मांग पहुंचनी चाहिये यह वह चाहते हैं, इसके प्रसार के सम्बन्ध में कोई सलाह दें तो वह नगण्य रूप में हो जावेगी और अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यदि मैं एक शब्द का उपयोग करूं तो वह अनुपयुक्त नहीं होगा, वह है नक्कारखाने में तूती की आवाज। कम से कम मैं इस विश्वास का हूं कि ४ की जगह ८, १०, ११ करने चाहिये ताकि दो, दो जिलों के बीच में एक व्यक्ति तो हो जो इस प्रोफेशन के बारे में अपने सुझाव दे और जो शक्ति सरकार में प्रदत्त है उसको बांटना चाहें तो वैसा कर सकें। आप उनको मौका दीजिये कि पॉलिसी मैटर में सलाह दें, अनुनय-विनय करें। तो आपको, मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह बड़ा अहम प्रश्न है और इसको सरकार को खुले दिल से मंजूर कर लेना चाहिये।

इसके अतिरिक्त डाइरेक्टर को प्रेसीडेन्ट रखने की बात कही गई है वह हास्यास्पद सी मालूम पड़ती है। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति एक पॉलिसी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे कौंसिल के प्रेसीडेन्ट की हैसियत से और उसको सरकार ठुकरा दे तो उसकी एक हास्यास्पद पोजीशन बन जावेगी। वेटेरिनरी मामलों में सबसे बड़ा अध्यक्ष माना जाता है जो सरकार की पॉलिसी को एक्ज़ीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वह प्रेसीडेन्ट की हैसियत से कोई चीज़ करे और यदि इसमें यह होता कि जो कौंसिल करेगी वह फाइनल होगा तो कोई माने भी होते और

( श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल )

इसकी पोजीशन ही दूसरी होती लेकिन आगे जाकर आपने यह रखा है कि सरकार में अधिकार निहित होंगे, सरकार उसको मानें या ना मानें यह एक कॉन्ट्रेडिक्टरी चीज हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्लॉज् ४ के सब-क्लॉज (२) में रखा है "The Director shall be the President of the Council." इसकी जगह यदि आप मोस्ट जनतान्त्रिक पद्धति को स्वीकार करें तो यह बात मान लेनी चाहिये : "President to be elected by the persons constituting that Council."

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स बिल पर क्लॉज् ४ पर अमेन्डमेन्ट पेश किये हैं, मैं उनके समर्थन में अर्ज करना चाहता हूं। इस बिल में यह साफ है कि इस कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन होगा उसके लिए जो चुनाव की पद्धति है और साथ साथ रजिस्टर्ड मैंडिकल प्रेक्टीशनर लेने का प्रावधान इसमें रखा गया है, सबसे पहले हमारे सोचने के लिए यह आता है कि बोर्ड का कॉन्स्टीट्यूशन ही नहीं होता है उसके पहले ही कौंसिल को अधिकार है कि वह रजिस्ट्रार मुकर्रर करे। तो जब कौंसिल ही एस्टेब्लिश नहीं होती है तो रजिस्ट्रार भी नहीं हो सकता और रजिस्टर्ड मैडिकल प्रेक्टीशनर कैसे मान सकते हैं। इसमें डाउट जाहिर किया गया है कि मैडिकल प्रेक्टीशनर नहीं होते हुए भी नोमीनेट किया जा सकता है। हम रजिस्ट्रार अपोइन्ट करने के पॉवर्स देते हैं और जब पहले से ही रजिस्ट्रार न हो तो किस प्रकार गवर्नमेन्ट मुकर्रर करेगी? इसलिए यह मान लेने लायक है कि कौंसिल कॉन्स्टीट्यूट ही नहीं होती है तो रजिस्ट्रार मुकर्रर नहीं हो सकता है और रजिस्ट्रेशन जैसा कि क्लॉज १८ में दिया हुआ है, वहां पर नहीं होता है। इसलिए यह साफ जाहिर है कि क्लॉज् ४ में जो नोमीनेटेड मेम्बर हैं उनके लिए यह लगाना चाहिये "entitled to be registered" जैसा दूसरे चार मेम्बरों के लिए रखा गया है उसी प्रकार दो गवर्नमेन्ट के नोमीनेटेड रखे गये हैं। In the first election they should be nominated on the consideration that they are actually entitled to be registered ऐसा कन्सीड्रेशन कर दिया जाय। Actually they have not been registered. They must be considered, if they will be registered. ऐसी सूरत में यह डाउट यहां है तो क्यों नहीं छः ही सदस्य मैडिकल प्रेक्टीशनर्स में से ले लें जो आगे जाकर रजिस्टर्ड हो जावेंगे; जैसा इसमें प्रोविजन रखा गया है and then they are entitled to cast their vote? इस तरह छः मेम्बर्स हो जाने के बाद में हम वास्तव में एक चुनी हुई बॉडी का निर्माण कर सकेंगे और सही तरीके से एक कॉन्स्टीट्यूटेड बॉडी हो सकेगी। इसलिए जो संशोधन माननीय सदस्य ने रखे हैं मानने योग्य हैं और साधारण तरीके से यह हो जावेगा।

**श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने क्लॉज् ४ की सब-क्लॉज् (डी) और (ई) में अमेन्डमेन्ट रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानने योग्य है। क्योंकि यह बिल जिसका नाम 'राजस्थान वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स बिल' है हम इस बिल द्वारा प्रेक्टीश्नर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं। उनका कार्य किस प्रकार रूल्स और

( श्री सम्पत्तिलाल बोहरा )

रेगुलेशन्स के तहत चले उसके लिये यह बिल है। इस क्लॉज़ के तहत चार प्रेक्टीशनर्स चुनकर कौंसिल में लिये जायेंगे, उसके लिये अमेन्डमेन्ट है कि उसकी जगह छः रखे जायं यह ज्यादा उपयुक्त होगा। इसके पार्ट (ई) में यह है कि वे ही व्यक्ति सरकार द्वारा नोमीनेट हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स हों। वैसी हालत में चुने हुए प्रेक्टीशनर्स की संख्या चार के बजाय छः कर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। रजिस्टर्ड प्रेक्टीशनर्स में से चार इलेक्टेड होंगे और दो नोमीनेटेड होंगे। इन दोनों में जो फर्क रखा गया है उसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता। चार व्यक्तियों की जगह छः का रखना, मैं समझता हूं, ज्यादा श्रेयस्कर होगा। क्योंकि बाकी के लोग जो होंगे वे थ्योरेटिकल प्रेक्टीशनर्स रहे होंगे जैसे वेटेरिनरी कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल्स हैं, डाइरेक्टर हैं– ये सब पॉलिसी मेकर्स हैं। इनको थ्योरेटिकल प्रेक्टिस है, उसमें सलाह दे सकते हैं, लेकिन जो फील्ड में काम करने वाले हैं वे तो वेटेरिनरी डॉक्टर्स हैं जिनको प्रेक्टिकल काम करने का अनुभव होता है। वे सही तरीके से पशुओं की चिकित्सा सम्बन्धी चीजों को रख सकते हैं। उन्हीं की बातें मान्य होती हैं। इसमें रखा है– "The Director shall be the President of the Council."

यह जनतन्त्रात्मक पद्धति नहीं है। इसके अलावा चुने हुए व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा; जब कि यह एडवाइज़री बोर्ड है, इसकी राय सरकार माने या न माने; यह तो सरकार की मर्जी पर निर्भर रहेगा। सरकार का व्यक्ति अगर अध्यक्ष रहता है और उसकी राय अगर अमान्य हो जाती है तो वह डाइरेक्टर की पोज़ीशन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रहेगा, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। उसकी इस तरह से इज्जत समाप्त हो जायगी। जब इस बोर्ड को एडवाइज़री बोर्ड के रूप में रखते हैं तो यह आवश्यक है कि उसका अध्यक्ष भी चुना हुआ व्यक्ति ही होना चाहिये। फिर उसकी बात सरकार माने या न माने उसमें सरकार के डाइरेक्टर की पोज़ीशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये मेरा निवेदन है कि ईन दोनों अमेन्डमेन्ट्स को सरकार मान्य करके उदारता का परिचय दे।

**श्री दुर्गालाल बादृदार** ( हवामहल, जयपुर ): अध्यक्ष महोदय, यह पशु चिकित्सकों के बारे में क्लॉज़ ४ में जो तरमीम चाही गई है यह तरमीम महत्वपूर्ण है। यह तरमीम एक प्रकार से आवश्यक हो जाती है इसलिये कि जिस पर्पज़ को लेकर कानून बनता है वह पर्पज़ सही रूप से जनता के सामने आये। उसके लिये यह आवश्यक है कि ये संशोधन स्वीकार किये जायें तभी जिस भावना को लेकर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वह भावना पूरी हो सकती है। इसी दृष्टिकोण से मैं भी इस बिल के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात उपस्थित करना चाहता हूं।

पहली चीज यह है कि हमारे प्रजातंत्री शासन में जहां हम कानून बनाते हैं उस कानून में चुने हुए आदमियों के अधिकारों की रक्षा समान रूप से और पूरी होनी चाहिये। आपने इस क्लॉज में जो मेम्बर्स रखे हैं उनकी गिनती ९ होती है; एक डाइरेक्टर, वेटेरिनरी कॉलेज के प्रिन्सिपल्स

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

का एक एक प्रतिनिधि, ४ मेम्बर्स और २ नोमीनेटेड मेम्बर्स - इस तरह से ९ की संख्या होगी। प्रिन्सिपल और डाइरेक्टर और दो नुमाइन्दे ऐसे होंगे जो राज्य सरकार के कहने के अनुसार चलेंगे, उन्हीं को राज्य सरकार नोमीनेट करके भेजेगी । इसके अलावा जो और व्यक्ति होंगे वे या तो राज्य के मुलाजिम होंगे या ऐसे व्यक्ति नोमीनेट होंगे जो राज्य सरकार से सम्बन्धित होंगे। वास्तव में जब हम प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को लेकर कानून बनाना चाहते हैं तो यह होना चाहिये कि जिनके लिये हम कानून बनाना चाहते हैं उनका सही मायने में उसमें प्रतिनिधित्व हो। यदि हम यह चाहते हैं तो यह क्लॉज़ इस प्रकार का नहीं होना चाहिये। बिल के लाने में जो आपकी भावना है वह उत्तम है। प्रजातंत्रात्मक भावनाओं का आपको निरादर नहीं करना चाहिये। मैं नहीं कहता यह बात आपने जान-बूझ कर इसमें नहीं रखी। हो सकता है बिल को ड्राफ्ट करनेवाले इसको ठीक न समझते हों। लेकिन मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय प्रजातन्त्रात्मक भावना की कद्र करने वाले हैं- हो सकता है उनकी निगाह से भी यह बात रह गई हो। इसलिये उनके ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि जिस भावना को लेकर वे आगे बढ़ना चाहते हैं वह इससे पूरी नहीं होती। इन मेम्बर्स में चार वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स आप चुनाव करके लेंगे उसमें तरमीम करके हम चाहते हैं कि उसकी जगह छः कर दिया जायं। उसी के साथ में जो इसमें रखा है कि "The Director shall be the President of the Council" इस चीज पर पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये। अगर आप अध्यक्ष की जगह डाइरेक्टर को रखना चाहते हैं, जो सरकार का एक महत्वपूर्ण ऑफिसर है, वैसी हालत में जो चीजें सरकार को मान्य होंगी उसी प्रकार के निर्णय करेंगे। वे इस प्रकार प्रेक्टीश्नर्स के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। आप जहां चिकित्सकों में से चुन कर चार आदमी भेजते हैं, वह इसलिये कि वे जाकर वहां उनके अधिकारों की रक्षा कर सकें। लेकिन डाइरेक्टर जो सरकार का एक बड़ा ऑफिसर है और दूसरे अधिकारी जो उस कौन्सिल के मेम्बर्स हैं वे डाइरेक्टली उसके सबोर्डिनेट की तरह होंगे तो वे किसी भी तरह से उसके सामने अपनी आवाज उठा नहीं सकेंगे और दूसरी तरफ प्रेक्टीश्नर्स के प्रतिनिधि चार होंगे जो अल्प मत में होंगे। वैसी हालत में निश्चयात्मक रूप से जो बातें सरकारी पक्ष के लोग तय करना चाहेंगे या किसी प्रकार की नीति का निर्धारण करना चाहेंगे वह उसी प्रकार की होगी जो सरकार को मान्य हो। ऐसी हालत में यह मुश्किल हो जायगा कि वहां प्रेक्टीश्नर्स के हित की रक्षा हो। इस तरह से डाइरेक्टली या इनडाइरेक्टली प्रजातंत्र का गला घोटना होगा। यह जो तरमीम चाही गई है उससे आपका वर्तमान प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली वास्तविक रूप से प्रतिपादित हो सकेगी उस पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचेगा। आशा है, माननीय मंत्री महोदय उदार वृत्ति को धारण करते हुए इस तरमीम को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में जो तीन संशोधन विरोधी पक्ष वाले माननीय सदस्यों ने रखे हैं और उनका जो समर्थन

( श्री नाथूराम मिर्धा )

किया गया है। मेरा ख्याल है अगर वे इस पर थोड़ा सा और ज्यादा विचार करें और जो मैं बातें रख रहा हूं अगर वे उनको सुनेंगे तो वे खुद महसूस करेंगे कि इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं। उन्होंने एक संशोधन में यह कहा.....

**श्रीमुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है, हाउस में कोरम नहीं है।

(१ म०प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

**श्री नाथूराम मिर्धा :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से कोरम पूरा है। उस संशोधन में यह कहा गया है कि क्लॉज़ (डी) में चार के बजाय छः सदस्य कर दिये जायं। प्रेक्टीश्नर्स के इलेक्टेड नुमाइन्दे चार के बजाय छः कर दिये जायं।

दूसरी बात यह कही गई है—दो का नम्बर हटा दिया जाय और तीसरी बात यह कही गई है, डाइरेक्टर को कौन्सिल का प्रेसीडेन्ट न रख कर इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट को रखा जाय।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त कोई यह मान कर चले कि धारा ४ के नीचे जो रजिस्ट्रार होने वाला आदमी है वह करीब करीब गवर्नमेंट की सर्विस में से ही लिया जावेगा और इस वजह से गवर्नमेंट की सर्विस में वेटेरिनरी प्रेक्टीश्नर्स हैं और वे ही जब रजिस्टर करवावेंगे तो उस वक्त हमारी दो मेन संस्थाएं डिपार्टमेंट और कॉलेज इनकी तरफ से ही इसमें रिप्रेज़ेन्टेशन हो सकता है। इसमें किनका रिप्रेज़ेन्टेशन है। वे सब लोग हमारे सामने हैं। इसलिए इस बैकग्राउन्ड को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यह बोर्ड ऐसा बनने वाला है जिसमें न जनता का प्रश्न है, न ग्राम लोगों का कन्सर्न है, प्रेक्टीश्नर्स को किस तरह से रजिस्टर्ड करवा कर किस तरह प्रोब्लम्स को रफा किया जा सकता है, और आगे इस वेटेरिनरी साइंस की प्रोग्रेस किस तरह से की जा सकती है, या सरकार को पोलिसी मैटर में सही एडवाइज़ किस तरह से की जा सकती है और इस प्रोफेशन को किस तरह से तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है, यह इसका एम रहेगा। यही इसका मुख्य काम होगा। ऐसी सूरत में अब इसमें जो अरेन्जमेन्ट है इसको भी देखें तो नोमीनेटेड आदमी या अपनी पोस्ट की वजह से एक्स ऑफिशियो आदमी एक है और इलेक्टेड पांच हैं। चार इसमें प्रेक्टीश्नर्स की तरफ से इलेक्ट किये जायेंगे और एक कॉलेज के स्टाफ की तरफ से। तो इलेक्टेड ५ हैं, नोमीनेटेड २ और एक्स ऑफिशियो २ हैं। तो ९ की कौंसिल में पांच इलेक्टेड हैं और चार अपने ओहदे की वजह से या नोमीनेटेड हैं।

नोमीनेट का क्लॉज़ रखने के बारे में लोगों की फीलिंग है, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर ऐसा जो कानून हम लाते हैं तो दूसरे प्रान्तों के कानूनों को भी हम देखते हैं; यू० पी० है, बम्बई है वहां भी ऐसा है और हमारे यहां खुद का मेडीकल प्रेक्टीश्नर्स की कौंसिल का कानून मौजूद है। उन सबके अन्दर नोमीनेशन का प्रोविज़न है और यह होना जरूरी है; इसलिये कि इस प्रकार के लोग भी हो सकते हैं जो बहुत काबिल हों, अच्छे हों, काबिल और अच्छे होते हुए भी

( श्री नाथूराम मिर्धा )

चुनाव लड़ने की इच्छा न रखते हों। तो ऐसे लोगों को सर्विस करने का मौका इस क्लॉज़ के बिना कैसे दिया जा सकता है? इस दृष्टिकोण से नोमीनेशन का क्लॉज़ रखना जरूरी है। हमारे और भी कई काननों में यह मौजूद है तो इस नोमीनेशन के पीछे यह मंशा और भावना है।

तीसरी बात कही है कि इलेक्टेड चेयर-मैन होना चाहिये। इसमें जो डाइरेक्टर इस विभाग का है वे इस महकमे में सबसे सीनियर हैं इस प्रोफेशन में। अगर सीनियर को जूनियर के साथ इलेक्शन लड़ना पड़े तो पहले तो वह लड़ना पसन्द नहीं करेगा और लड़ कर जूनियर आ गयी सीनियर के रहते यह कोई अच्छी तस्वीर नहीं बनेगी।

तो यह तीन संशोधन जिस प्रकार रखे हैं और जिस प्रकार के अरेंजमेन्ट की कल्पना कर रखे हैं वह दूसरे प्रकार की कल्पना है। यह इसलिये जो अरेन्जमेन्ट कौंसिल का हमने रखा है वह सुन्दर स्ट्रक्चर होगा और इस वजह से मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस बात पर गौर करके अपने संशोधनों को वापिस लेने की कृपा करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको देखते हुए क्या संशोधन वापिस लेना चाहेंगे, माननीय सदस्य महोदय ?

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो बातें स्पष्ट करानी हैं। कहा गया है कि नोमीनेशन इसलिए किया जा रहा कि नॉमीनेशन से काबिल आदमी को लेना है। तो इससे क्या आप यह समझते हैं कि चुनाव से जितने भी आदमी आवेंगे वे सब नाकाबिल होंगे ? अगर दरअसल में ऐसा नहीं है तो चुनाव के द्वारा भी काबिल आदमी आ सकते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री): मैंने यह कभी नहीं कहा कि चुनाव में नाकाबिल आदमी आते हैं। मैंने तो यह कहा था कि जो चुनाव के झगड़े में पड़ना पसन्द नहीं करते पर वास्तव में काबिल होते हैं तो उनको सर्विस का अवसर देने और उनकी सेवाओं का लाभ लेने की दृष्टि से नोमीनेशन की यह बात रखी गई है।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह तो आपकी कल्पना है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह तो फिर लम्बा विवाद का विषय हो जायगा।

**श्री विजयसिंह झाला** : यह तो फिर कोई आधार नहीं हो सकता कि जो काम नहीं करना चाहता, जो आना नहीं चाहता चुनाव में जीत कर उसको आप कौंसिल में मूर्ति की तरह जबरदस्ती स्थापित करना चाहते हैं।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैं चाहता हूं क्योंकि यह लम्बी बहस हो जावेगी इसलिए या तो आप वापिस लीजिये या फिर वोट लीजिये।

**श्री विजयसिंह झाला** : मैं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ और अपना संशोधन वापिस लेना नहीं चाहता।

# Page No.46



**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

( मत-दान के पश्चात् )

'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : आवाज के आधार पर तो हम जीते हैं ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : वैसे नम्बर से भी हम जीत रहे हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : I put it again. मैं इसको दुबारा पुट-अप करता हूं ।

जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने क्लॉज चार में रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(मतदान के पश्चात)

'ना' पक्ष जीता ।

**श्री विजयसिंह झाला** : हां पक्ष जीता, साहब । Noes seem to be louder. वोट ले लीजिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Would you claim division ?

**श्री विजयसिंह झाला** : Yes, Sir.

( मत-विभाजन घंटी )

I shall put the question again.

प्रश्न यह कि क्लॉज ४ में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ।

(हां और ना की आवाजें)

**श्री रामकिशन** (वैर) : अंग्रेजी में 'नो' कहा है ।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : The Hon'ble Members perhaps don't know what is the amendment. You must tell them at least what is the amendment.

**श्री बरकतुल्लाखां** (स्वास्थ्य मंत्री) : It is not my fault, if my friend does not know the parliamentary practice.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : We want a healthy parliamentary practice.

**श्री दुर्गालाल बाढ़दार** ( हवामहल, जयपुर ) : आश्चर्य यह है कि 'हां' बोलने वाले 'ना' बोल रहे हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या आप डिविज़न प्रेस करना चाहेंगे ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : यह सिद्धान्त का सवाल है ।

**श्री उपाध्यक्ष** : I think it is very clear.

जो पक्ष में हों वे हां और.........

**श्री राधाकृष्ण गोयल** ( टोंक ) : डिविज़न क्लेम नहीं कर रहे हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : I put it again.

प्रश्न यह है कि.......

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर) : I think Voice vote is quite enough.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने क्लॉज़ ४ में रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकार किया गया)

Sri Gangasingh ! Do you also press your amendment ?

**श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :** Yes, I press.

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ४ में श्री गंगासिंह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ४ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री गंगासिंह।

**श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) :** उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के क्लॉज़ ५ के अन्दर मेरा यह अमेन्डमेन्ट है कि "nominations" और "and a person" के बीच में "for a period of three months" और जोड़ा जायें। इस बिल का क्लॉज़ इस प्रकार है :-

"In the event of the requisite number of members not being elected under any of the clauses (c) and (d) of Section 4, the State Government may fill up the vacancy or vacancies by nomination and a person so nominated shall be deemed to be member duly elected."

इसमें सर्वप्रथम जो बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट होगा उसके अन्दर ऐसा है कि अगर (सी) और (डी) के अन्दर कोई इलेक्शन नहीं हो सका तो ऐसी परिस्थिति में स्टेट गवर्नमेन्ट उसका नोमीनेशन कर देगी और स्टेट गवर्नमेन्ट का नोमीनेशन जो इस धारा के अन्तर्गत है उसके अन्दर भी जहां तक मेरा ख्याल है मयाद ५ साल की है। वे मेम्बर भी ५ साल तक रह सकेंगे। परन्तु इस क्लॉज के अन्दर ऐसा अमेन्डमेन्ट नहीं किया गया कि वे मेम्बर जो कि नोमीनेटेड होंगे वे किस टाइम तक रह सकेंगे। जहां तक इस बिल के क्लॉज ९ में "Filling of casual vacancies" आई हैं अब क्लॉज ९ की जो मन्शा है वह क्लॉज ५ से पूरी नहीं होती। क्लॉज ५ के अन्दर तो जो सर्वप्रथम बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट होगा उसके अन्दर अगर कोई क्लॉज (सी) और (डी) के अन्तर्गत मेम्बर इलेक्ट नहीं होगा तो उसकी पूर्ति की जायेगी और क्लॉज ९ के अन्दर एक बार इलेक्शन हो जायेगा और बोर्ड कॉन्स्टीट्यूट हो जायेगा उसके बाद केजुअल वेकेन्सीज़ से यह सारा संबंधित है। तो मैं यह समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास इतनी पॉवर्स न हों कि वे पूरे ५ साल तक जो लगातार इलेक्टेड मेम्बर्स हैं उनका नॉमीनेशन कर दे। ऐसी परिस्थिति में मेरा अमेन्डमेन्ट है कि इसके अन्दर जैसा कि क्लॉज ९ के अन्दर ज्यादा से ज्यादा अर्सा ३ माह का रखा गया है इस क्लॉज के अन्दर भी ३ माह का अर्सा रखा जाये।

**श्री विजयसिंह भाला** (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव रखूंगा कि क्लॉज़ ५ सारा ही डिलीट कर दिया जाये और यह इसलिए आवश्यक नहीं है कि....

**श्री उपाध्यक्ष** : There is no amendment from you ?

**श्री विजयसिंह भाला** : इसी संशोधन का समर्थन करते हुए मैं कह रहा हूं कि इस क्लॉज ५ को सारा का सारा ही डिलीट किया जाये और वह इसलिए डिलीट करना आवश्यक है कि क्योंकि क्लॉज ३ के अन्दर जो वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ही कौंसिल का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में हम आवश्यक नहीं समझते कि ऐसे क्या कारण उपस्थित हो सकते हैं कि जिनकी वजह से सब क्लॉज (डी) के अनसार रिप्रेजेन्टेटिव का चुनाव उन प्रेक्टिशनर्स का नहीं हो सकता है और ऑलरेडी जब प्रिन्सिपल ऑफ वेटेरिनरी कॉलेज का निर्माण हो चुका है और उसका मेम्बर है और उसका रिप्रेजेन्टेटिव लिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में सब क्लॉज़ (सी) के अनुसार भी कोई कारण उपस्थित नहीं हो सकता, जिसकी वजह से नोमीनेशन की आवश्यकता हो। सब क्लॉज़ (डी) के अनुसार भी इसलिए आवश्यक नहीं हो सकता कि क्योंकि क्लॉज़ ३ के अनुसार जब रजिस्टर्ड हो जायेगा तो उसके बाद में कौंसिल का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में क्लॉज़ ५ की आवश्यकता नहीं है। केवल सरकार थोड़े से कारण लेकर यह बता देगी कि अमुक वजह से इलेक्शन नहीं हो सकता और सारे के सारे कौंसिल में नुमाइंदे नोमीनेटेड कर देगी जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप हो जायेगी और जब कि क्लॉज़ ४ में संशोधन रखा था वह स्वीकार नहीं हुआ और केवल ४ सदस्य इलेक्टेड हो सकते हैं वह भी क्लॉज़ ५ के अनुसार नोमीनेटेड कर लेंगे और उनका इलेक्शन नहीं करायेंगे। इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा कि क्लॉज़ ५ को डिलीट कर दिया जाये; उसकी आवश्यकता नहीं है।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि क्लॉज़ ५ के संबंध में अमेन्डमेन्ट रखा गया है मैं इसके समर्थन में इतना अर्ज करना चाहता हूं कि क्लॉज़ ५ है : "In the event of the requisite number of members not being elected under any of the caluses (c) and (d) of Section 4, the State Government may fill up the vacancy or vacancies by nomination and a person so nominated shall be deemed to be member duly elected." और इसी बात को यह चाहते हैं But very soon the Government will take immediate steps for the election and the member so nominated shall cease to be a member of the Council. इस प्रकार यह होगा कि जो चुनावों में विश्वास करते हैं और जनतन्त्र की प्रणाली में विश्वास करते हैं उनमें से आसानी के साथ कौंसिल का निर्माण चुने हुए मेम्बरों से हो सकता है, वर्ना जो अवधि, जो टर्म ऑफ वर्क मेम्बरों के लिए कौन्सिल का होता है उसके आधार पर एक नोमीनेटेड मेम्बर, दो नोमीनेटेड मेम्बर या as many as the Government thinks fit उनको पूरे चार साल या पांच साल मेम्बर रहने का अवसर मिलेगा और जो वास्तव में चुनी हुई बॉडी नहीं होगी और चुनी हुई बॉडी नहीं होने

(श्री अब्दुलजब्बार)

की वजह से कई खराबियां हो सकती हैं। इसलिए मैंने जो एडीशन रखा है और माननीय सदस्य ने जो एमेंडमेंट चाहा है उसके आधार पर वह एडीशन कर दिया जाय तो यह जो क्लॉज ५ है इसकी मन्शा पूरी हो जायगी। क्लॉज ५ की जो मन्शा है वह यह है कि ऐसी सूरत में जब कि पोस्ट खाली हो जाय तो नोमीनेटेड मेम्बर्स से भर ली जाय, लेकिन नोमीनेटेड मेम्बर से भरी हुई सीटें कितने साल तक चलाई जायं यह प्रोविजन होना चाहिए। उसी आधार पर मैंने यह जो एडीशन रखा है वह होना चाहिए।

**श्री दुर्गालाल बाहदार** (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ५ में तरमीम चाही जा रही है। यह वैसे एक महत्वपूर्ण तरमीम है और इस तरमीम से जिस भावना को लेकर आप इस बिल में आगे आ रहे हैं उस भावना की पुष्टि होती है बल्कि उस भावना पर किसी प्रकार का कोई आघात होता हो या जिस दृष्टिकोण को लेकर आप कानून बना रहे हैं उस दृष्टिकोण में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता हो, ऐसी बात नहीं है। आप एक कौंसिल का कॉन्स्टीट्यूशन कर रहे हैं, एक कौंसिल को बना रहे हैं और उस कौंसिल को बनाने में कुछ नियम ऐसे रखे हैं जिनके अन्तर्गत उसमें कुछ सदस्य आप ऐसे रखेंगे और जैसा कि क्लॉज ४ को अभी अभी पास किया है उसी प्रकार वे मेम्बर आयेंगे। अब आप विचार कीजिये कि उसमें केवल चुने हुए नुमायन्दे लाने के दृष्टिकोण से आपने केवल दो क्लॉजेज रखे हैं और उनके बाद भी इस क्लॉज ५ को, इस बिल के क्लॉज ५ को यथावत् आप रख देते हैं तो एक प्रकार से जिस भावना को लेकर डेमोक्रेटिक सेट-अप का जो सिद्धान्त है उन सिद्धान्तों को लेकर आप यह दिखावा करना चाहते हैं या इस प्रकार का कानून बनाना चाहते हैं कि जिसमें यह केवल भावना का दिखावा मात्र ही रह जाय और वास्तविक रूप में इसको क्रियान्वित नहीं कर सकें, ऐसी बात नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इस क्लॉज ५ के अनुसार यदि किसी प्रकार से आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो उसका कोई बहाना हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। यह भी हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि जिनमें चुनाव नहीं हो सकें, यह भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न कर दी जायं कि जिसके कारण से इसका चुनाव नहीं हो सके तो आपके लिए कानून की धारा ५ जिसे आप पास कर देंगे और वह धारा बन जायगी और उस धारा के अन्तर्गत जब आप चाहेंगे, जिसे भी आप चाहेंगे उसको आप नोमीनेट कर देंगे और वह नोमीनेशन भी कैसा होगा कि उस नोमीनेशन का पूरे ५ वर्ष का पट्टा मिलेगा और जो चुनाव में चुनने के बाद मिलता है—लेकिन यह पट्टा राज्य सरकार बगैर चुने हुए देकर क्लॉज़ ४ जिसको अभी हमने पास किया है और जिसको उतने ही सम्मान की दृष्टि से देखना चाहते हैं, क्योंकि यह वह कानून है जिसको आप सबने मिल कर बनाया है इसलिए इस कानून को मानना आपका कर्त्तव्य और परम धर्म हो जाता है, जिस कानून को अभी हाल बनाया उसी कानून को एक कदम आगे जाकर मटियामेट करना चाहते हैं और आप उस कानून के आधार पर नहीं चलना चाहते हैं, यह एक विचित्र विडम्बना की बात होगी, जिस पर विचार करना चाहिये।

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

आप देखिये कि जहां पर यह कह करें आये हैं कि चुनाव होगा और चुनाव होने के बाद में कुछ व्यक्ति इस कौन्सिल में आयेंगे और किसी कारण से कुछ परिस्थितियां ऐसी हों कि जिनके सबब से चुनाव नहीं हो सकते हैं तो आप अपनी तरफ से नोमीनेट कर देंगे। नोमीनेट होने वाले आदमियों को भी वे ही अधिकार होंगे जो चुने हुए आदमी को होंगे, जो उसमें जाकर बैठेंगे। आप चाहते यह हैं कि कौन्सिल आपको काम नहीं कर सके और यह नहीं चाहते हैं कि कौन्सिल बराबर काम करती रहे। आप नोमीनेशन के पावर्स रखें और नोमीनेशन भी कर दें। आप अपनी कौन्सिल को पूरा बनाकर आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, लेकिन जो नोमीनेटेड मेम्बर होगा वह नोमीनेटेड मेम्बर केवल ३ महीनों के लिये होना चाहिए। उसके तीन महीनों के बाद चुनाव करा लें और चुनाव कराने के बाद में फिर देखा जाय कि उस कौन्सिल में ऐसे मेम्बर लाये जायं जो चुने हुए हों। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप स्वयं विचार कीजिये कि एक तरफ तो जिन सिद्धान्तों को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और यह बताते हैं कि हमारी प्रत्येक शासन-प्रणाली में, प्रत्येक कार्य-प्रणाली—हमारे शासन के प्रत्येक कार्य में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली को प्रश्रय देते रहते हैं, उसको उन्नत करते रहते हैं। ऐसी भावना से आप खुद कानून या बिल को इन्ट्रोड्यूस करके पास कराना चाहते हैं उस पर एक प्रकार का कुठाराघात करते हैं। मैं यह आक्षेप की दृष्टि से निवेदन नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, प्रजातन्त्रात्मक भावनाओं का प्रश्रय प्राप्त करने की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, उनका सम्मान करते हुए आपकी उन्हीं भावनाओं को जागरूक करना चाहता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप उनकी भावना का सम्मान करना चाहते हैं तो इस अमेंडमेंट को स्वीकार कीजिये और स्वीकार करने के बाद में आप यह कहियेगा कि वास्तव में जो तरमीम चाही जा रही है वह समुपयुक्त तरमीम है। उसमें आपका ही सम्मान होगा। इसमें किसी आघात या आक्षेप की चीज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि यह जो तरमीम है यह परमावश्यक है और इस तरमीम के द्वारा यह बिल जिस भावना को लेकर आगे चल रहा है उस भावना को सही प्रकार से सहारा मिलेगा। और मैं समझता हूं कि यह तरमीम बहुत समुपयुक्त है।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ): माननीय उपाध्यक्ष, जो माननीय सदस्य ने इसमें संशोधन प्रस्ताव रखा है और दूसरे माननीय सदस्य ने यह जाहिर किया है कि इस पूरी क्लॉज़ को हटा दिया जाय, माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ की जो मन्शा है वह इसके पढ़ने से मालूम पड़ती है:—

"In the event of the requisite number of members not being elected under any of the clauses (c) and (d) of Section 4, the State Government may fill up the vacancy or vacancies by nomination and a person so nominated shall be deemed to be member duly elected." (सी) एण्ड (डी) में जो समय निर्धारित है वह रूल्स के अनुसार जो

( श्री रघुनाथ बिश्नोई )

कि बाद में बनेंगे उसमें हो जायगा । इलेक्शन नहीं हो पाये उस हालत में ऐसा प्रोविजन होना जरूरी है कि जिससे कौन्सिल का काम रुके नहीं और किसी तरह से आगे बढ़े । ज्यादा देरी नहीं होने की वजह से काम के संचालन के लिए यह नोमीनेशन का प्रावधान रखने की मन्शा प्रतीत होती है । उसमें नोमीनेशन कितने अर्से तक रहे, पूरे तीन साल की अवधि तक रहेगा या लिमिटेड समय तक रहेगा और नोमीनेशन किस तरह से होगा इसके लिए क्लॉज ३४ है वह बड़ा वाइड सेक्शन है । उसमें रूल्स और रेग्युलेशन्स के लिए यह दिया है–

"In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules—(a) to regulate elections under this Act, ......"

उसमें इससे पहले यह लिखा है ।

"The State Government may, after previous publication, from time to time make rules consistent with this Act to carry out the purposes of this Act."

और इस एक्ट के क्लॉज का जो पर्पज है वह इससे जाहिर होता है कि कौंसिल का काम रुके नहीं । उसमें इसी तरह से इलेक्शन का प्रावधान रखा है । अगर किसी कारण से निर्धारित समय में वे प्रेक्टिशनर्स फेल हो जायं और जो बोडी बनाई गई इलेक्टोरेट की है तो उस हालत में इस नोमीनेशन के जरिये कौंसिल का काम चल सके और उसके अलावा और कोई दूसरी मन्शा नहीं हो सकती है । नोमीनेशन के जरिये जो इलेक्शन का प्रावधान रखा है उसको ही डिफीट करने की सदस्य की मन्शा हो, ऐसी खास बात प्रतीत नहीं होती है । तो नोमीनेशन के प्रावधान से ऐसा कोई खतरा प्रतीत नहीं होता है, जिससे पूरे इलेक्शन के रूप का जो प्रावधान रखा गया है उसकी मन्शा को डिफीट कर दिया जाता हो ।

तो इस तरह से, यही मेरी, माननीय उपाध्यक्ष, इस बारे में प्रार्थना है कि यह जो मन्शा है उसको माननीय मंत्रीजी स्पष्ट करेंगे तो मेरे विचार में यही धारणा प्रतीत होगी । इसमें इलेक्शन का प्रावधान होते हुए ऐसा खतरा जाहिर नहीं होता है । यह अमेन्डमेंट डेमोक्रेसी की भावना के प्रतिकूल है इसलिये जो अमेन्डमेंट रखा गया है उस पर जोर देने की खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज ५ रखा गया है यह बिल्कुल ही अनावश्यक है । इसको यदि हटा भी दिया जाय तो मैं समझता हूं इस एक्ट पर कोई आघात नहीं होने वाला है । क्योंकि यह केजुवल वेकेन्सीज को रोकने के लिए रखा है ६ में और ५ में यह बात कह दी जावे जिसकी लिखावट इस तरह से चलती है:—

"In the event of the requisite number of members not being elected under any of the clauses (c) and (d) of Section 4, the State Government may fill up the vacancy or vacancies by nomination and a person so nominated shall be deemed to be member duly elected."

# Page No.52



( श्री मुकुटबिहारीलाल )

इसका मतलब यह होगा कि चुना नहीं जावे। अब इसमें कोई भी कारण दर्ज नहीं किया है कि किन कारणों से चुनाव नहीं होगा। ऐसा हो कि देश में एमर्जेन्सी आ जाय, फ्लड आ जाय, डिजास्टर आ जाय, बड़ा तूफान आ जाय हिन्दुस्तान में या राजस्थान में तब यह बात मानी जा सकती है कि चुनाव नहीं हो सके, लेकिन वह स्थिति ५ साल तक लगातार चलेगी, यह समझ में नहीं आता है। मैं समझता हूं इस तरह का प्रतिनिधित्व लेने का मतलब यह है कि सरकारी पक्ष के ऊंचे से ऊंचे अफसर जो एक्ज़ीक्यूट करनेवाले हैं, वे डाइरेक्टर इसके चेयरमैन के रूप में मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार की जितनी पॉलिसी है, प्रोग्राम है उसको एक्जीक्यूट करने वाला सबसे बड़ा हैड है वैटेरिनरी का डाईरेक्टर वह व्यक्ति जिम्मेदार है एक्जीक्यूट करने के लिये और सरकार का तो नाम है; क्योंकि वह सरकार काम करती है अपनी एजेन्सी के थ्रू। डाइरेक्टर जिसको नोमीनेट करेगा सरकार उसको डिटो कर देगी। इसका मतलब यह होगा कि एक पक्ष के आदमी आ जायेंगे। कौंसिल का मतलब यह है कि पॉलिसी मैटर्स से प्रोफेशनल मैटर्स से वेटेरिनरी के मैटर्स, में सलाह दी जा सके और यह बात पूरी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे अन्दर मानसिक दुर्बलता है, यह बात मान कर चलना चाहिये। एक व्यक्ति अच्छा है। यह भी हो सकता है कि सरकारी व्यक्ति आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है जो विरोधी आदमियों को बर्दाश्त नहीं कर सके। यदि इस तरह की चीज हुई और यस मैन को चुन लिया, नोमीनेट कर दिया तो क्या होगा? ५ साल लगातार यह चीज रही तो उसका मतलब है कि पहली बार तो सरकार यह कह सकती है कि यह नया नया राग है. चुनाव लिस्ट नहीं बनाई है......

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): १५ वर्ष हो गये हैं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मेरे दोस्त अनआॅथोराइज्ड तरीके से कह रहे हैं कि १५ वर्ष हो गये। यदि १५ वर्ष हो गये हैं तब तो सरकार के दायित्व पर लांछन है कि चुनाव क्यों नहीं हों? पहले जनतांत्रिक तरीके का केवल दिखावा करके एक हाथ से पटकवाना और दूसरे हाथ से जेब में रखना है। आज शर्म से राजस्थान की चुनाव की समस्या को चुनौती है। राजस्थान में जितनी नगरपालिकाएं हैं उनमें से आधी के चुनाव नहीं हुए....

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : यह वेटेरिनरी का बिल चल रहा है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : यदि यहां इस तरह की बॉडीज स्थापित करना चाहते हैं तो क्यों सरकार इस तरह के रोल प्ले करना चाहती है, जो जनतंत्र की हामी भरने वाली सरकार के लिये एक कलंक का परिचय दे? सरकार की स्वेच्छाचारिता का परिचय दें। यदि ऐसी परिस्थिति आ जाय जिससे सरकारी मशीनरी फेल हो जाती है, चुनाव कराने में अपने आप को असमर्थ समझती है तो नोमीनेशन करने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन वह महीने, दो महीने या तीन

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

महीने तक ही चले, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि या तो इसे शीघ्र समाप्त कर दिया जाय या रिकॉन्टीट्यूट करके अवधि रखनी चाहिये जिससे कोई बात तो बने।

**श्री गिरधारीलाल (आसीन्द) :** उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से क्लॉज ५ में अमेन्डमेन्ट रखा गया है मेरे ख्याल से वह उचित प्रतीत नहीं होता है। जैसा कि क्लॉज ४ के सब क्लॉज़ेज (सी) और (डी) का हवाला दिया है उसमें इलेक्टेड मेम्बर्स का जिक्र है। जिस प्रकार युनिवर्सिटीवाले एक इलेक्ट करेंगे और (डी) में चार आदमियों को वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स इलेक्ट करके भेजेंगे। यदि दोनों बॉडीज अपनी ड्यूटीज में कामयाब नहीं होती हैं, इलेक्ट नहीं कर सकती हैं वैसी अवस्था में गवर्नमेन्ट को यह अधिकार दिया है कि इस प्रकार से दोनों संस्थाएं अपनी ड्यूटीज को परफोर्म नहीं कर सके उस हालत में गवर्नमेन्ट को यह अधिकार है और परिषद् को चलाने के लिये व्यवस्थित तरीके से इस प्रोविज़न को आधार माना है। यदि इस प्रकार का प्रोविजन न हो और दोनों बॉडीज इलेक्ट नहीं कर सके, वैसी हालत में कौंसिल का काम बंद हो जायगा और बड़ा भारी नुक्सान होगा।

बहुत से भाइयों ने तरह तरह की बातें कहीं। अभी एक भाई ने म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव का जिक्र किया है। कहां म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव की बात है और कहां वेटेरिनरी कौन्सिल की बात है। इस प्रकार की अलग अलग बात को मिला कर इस प्रकार की भावना व्यक्त की जाय और यह बताया जाय कि म्यूनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव नहीं हो रहे हैं, इतना समय हो गया है, इसमें और वेटेरिनरी कौन्सिल में......

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :** वह तो आपकी नीति बताई थी कि वह कैसी है ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) :** इससे इस बात का परिचय है कि आपकी भावना कैसी है ?

**श्री गिरधारीलाल :** हमारी नीति इस प्रकार की नहीं होती तो चुनाव के अधिकार आप लोगों को नहीं दिये जाते।

**श्री विजयसिंह झाला :** देकर वापिस लेना चाहते हैं, यह आपकी नीति है।

**श्री गिरधारीलाल :** वापिस लेने का प्रश्न नहीं है, देते ही जा रहे हैं। पंचायतों में इतने बड़े अधिकार दुनिया की किसी गवर्नमेन्ट ने नहीं दिये हैं, जब कि राजस्थान ने सबसे पहले दिये हैं, उसका जिक्र नहीं करके म्यूनिसिपल इलेक्शन की बात करते हैं, जब कि राजस्थान गवर्नमेन्ट ने विकेन्द्रीकरण की इतनी बड़ी योजना के लिये सबसे पहल की है उसकी कोई प्रशंसा नहीं करके म्यूनिसिपल बोर्ड के चुनाव नहीं होने में भावना को बताया जाय जो कलुषित है...

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) :** अब पंचायतों में भी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त होने वाले हैं।

**श्री गिरधारीलाल** : हम यह चाहते हैं कि डेमोक्रेसी ज्यादा से ज्यादा पनपे और अच्छी तरह से न्याय और इन्साफ मिले। उसके लिए कानून व नियम बनाये जाते हैं। कोई लूप होल न रह जाय उसके लिये कानून में प्रावधान है।

ऐसा सुझाव है, एक ने तो यह कहा कि इस सेक्शन को ही डिलीट कर दिया जाय। यदि सेक्शन डिलीट कर दिया जायगा तो फिर कैसे वेटेरिनरी कौन्सिल चलाई जा सकती है? इलेक्शन समय पर नहीं कर सके तो चार और एक, पांच आदमी चुन कर नहीं आयेंगे तो यह जो संस्था चलानी है वह किस प्रकार चलेगी? ऐसी अवस्था में जब चुनाव नहीं करवा सकते उस हालत के लिए यह प्रोविज़न रखा गया है। यदि यह नहीं रखा जायगा तो सारा काम निरर्थक हो जायगा। इस बिल के जरिये जो फायदा देना चाहते हैं, मेडिकल प्रेक्टिश्नर्स राजस्थान में काम करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाय, वह मंशा समाप्त हो जायगी......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : लोगों को राहत देने का सवाल नहीं है, गाय-भैंस को राहत देने का सवाल है।

**श्री गिरधारीलाल** : क्लॉज़ ३ के बारे में बताया कि वह इसकी मंशा की पूर्ति करता है लेकिन क्लॉज़ ३ और चीज है। उसमें एस्टेब्लिशमेन्ट ऑफ कौन्सिल है। इसलिये क्लॉज़ ३ इसकी मंशा की पूर्ति नहीं करता। इस प्रकार की व्यवस्था आपने जो हायर सैकन्ड्री बोर्ड एक्ट पास किया है, मेडिकल एक्ट पास किया है उनमें की है और उनमें भी स्टेचुटेरी प्रोविज़न है, जिसमें यदि इलेक्टेड पर्सन्स, जो चुने जाने हैं वे समय पर नहीं चुने जावें तो उस बोर्ड में इस प्रकार के मेम्बर्स गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त करके काम चलाया जा सकता है। इसलिए मेरी अर्ज है कि यह जो अमेन्डमेन्ट रखा गया है वह निरर्थक है, उसको रखने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के डिलीशन का मैं समर्थन करता हूं। जो अमेंडमेंट पेश किया गया है उसकी मन्शा इसके डिलीशन से पूरी हो जाती है। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि यह बड़ा आवश्यक है। अगर यह सेक्शन नहीं हुआ और ऐसी अवस्था में अगर चुनाव न हुए तो क्या किया जायेगा? चुनाव करने से पहले से यह भावना रखना कि चुनाव नहीं हो सकेगा, किस मनोवैज्ञानिक तथ्य का परिचय देता है, यह अपने आप में स्पष्ट है।.........

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर): प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स की बात है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अगर चुनाव कराना है तो चुनाव हो, इसमें कोई प्रश्न नहीं है और अगर चुनाव नहीं कराना है तो चुनाव नहीं होगा।

दूसरी दलील यह है कि नोमीनेटेड रजिस्टर्ड ग्रेजुएट को रख कर कौंसिल का काम चलाना चाहते हैं और नोमीनेटेड प्रेसीडेंट से काम चलाना चाहते हैं तो फिर प्रजातंत्र का नाटक करने की क्या जरूरत है? स्पष्ट है कि यह प्रोविज़न सरकार इसलिए रखती है कि उनके हाथ में प्रजातंत्र जहां कहीं है और उनकी इच्छानुसार नहीं चल

# Page No.55



( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

रहा है, उनकी पॉलिसी नहीं चल रही है, वहां अपनी पॉलिसी और इच्छा को उस पर हावी करने के लिए इस प्रकार के नोमीनेशन के द्वारा कार्यवाही कर सकती है और उनकी पॉलिसी को मोड़ दे सकती है। इसके अलावा यह और किसी प्रवृत्ति का परिचायक नहीं है। आपको एक डेमोक्रेटिक कौंसिल कन्स्ट्रेक्ट करनी है, प्रेक्टिशनर्स को रजिस्टर करने के लिए तो उसके अन्दर इफ्स एण्ड बट्स लगाने का कोई कारण समझ में नहीं आता है। एक डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन टेक्निकल आदमियों की सेट-अप की जाय, उसमें इफ्स एण्ड बट्स लगाने का कारण क्या है ? अगर कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, चुनाव नहीं हो पाता है तो डेफिनिट पीरियड हो कि महीने में हो जायगा, दो महीने में हो जायगा। आखिर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आपके पास मशीनरी है, आपने विधान सभा के चुनाव करवाये हैं, पार्लियामेंट के चुनाव करवाये हैं, तो रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स की कौंसिल का चुनाव कराना कोई बड़ी भारी समस्या नहीं हो सकती है कि जिसके कारण नोमीनेशन करने होंगे। प्रेक्टिशनर्स रजिस्टर्ड हैं, सो, दो सो, रजिस्टर होते हैं। अब आपको वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स कौंसिल बनानी है। जो प्रिन्सिपल है वह बाइ ऑर्डर आपको नोमीनेट कर देना है। डाइरेक्टर आपका मौजूद है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव कराने में क्यों कठिनाई है ? लेकिन आप एक मोरी रख कर उसके द्वारा अपने पिछलग्गुओं को प्रवेश करा कर डेमोक्रेटिक सेट-अप पर हावी करने के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं और फिर उस पर लगातार हावी बने रहने के अलावा इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा सरकार से और उन माननीय सदस्यों से जो इसके लिए दलील तलाश करते हैं कि इससे उनको लाभ नहीं होने-वाला है इसलिए इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** ( टोंक ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल पर काफी अमेंडमेंट्स हैं और काफी सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए जो इसके सपोर्ट में बोलें वे पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहस इस विषय पर चल रही है कि जो संशोधन माननीय सदस्य गंगासिंहजी ने प्रस्तुत किया है वह कहां तक उचित है ? क्लॉज़ ५ जो कि अभी वर्तमान में है, उसमें राज्य सरकार को बिना किसी नीति के यह अधिकार दिया है कि चुनाव न होने की दशा में वह अपनी ओर से किसी व्यक्ति को नोमीनेट कर सकती है......

**श्री रघुनाथ विश्नोई** ( सांचोर ) : डिस्क्रीन्नरी है, मेंडेटरी नहीं है।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** : कर सकती है। अब प्रश्न यह आता है कि यह क्लॉज़ ५ इस प्रकार रखने की आवश्यकता क्यों हुई, जबकि क्लॉज़ ४ के अनुसार डाइरेक्टर प्रिन्सिपल जो हर एक कॉलेज के हैं और दो मेम्बर्स, जो रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर्स हैं, वे सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे ? इस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

तरह से आधी से ज्यादा संख्या पूर्ण हो जाती है और उसका कॉन्स्टीट्यूशन उसी समय समाप्त हो जाता है। उसके बाद बचे हुए कभी इलेक्ट करके लिये जाते हैं। इस इलेक्शन के बिना भी कौन्सिल का काम नहीं रुकता है। लेकिन क्लॉज़ ४ में जब निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया है तो उसके स्थान पर नोमीनेशन प्रणाली को स्वीकार करना उस पर कुठाराघात करना है। क्योंकि नोमीनेशन न करने से कौन्सिल के काम में बाधा नहीं पहुंचती है। जब नहीं पहुंचती है तो क्लॉज़ ५ की आवश्यकता नहीं रहती है। आप यह चुनाव पांच साल तक हैल्ड-अप कर सकते हैं और आप सहूलियत से तीन महीने में, साल में, दो साल में अगर करवाना चाहते हैं तो वह करवा सकते हैं। जहां तक पंचायत समिति और इसके कम्पोजीशन का सवाल है, कॉन्स्टीट्यूशन का ताल्लुक है कौंसिल का, उसके साथ साथ जैसा कि हमारे देश का कॉन्स्टीट्यूशन बना हुआ है, उसके अन्दर भी ध्यान देना आवश्यक है। रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ़ पीपुल्स एक्ट बना है, इलेक्शन की प्रणाली को उसमें स्वीकार किया गया है, उसका ऑल्टरनेटिव कहीं भी नोमीनेशन प्रणाली नहीं है। राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि धारा सभा में वेकेन्सी हो तो राष्ट्रपति या गवर्नर नोमीनेट कर दें, यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पद्धति नहीं है। जनता ने अपना कॉन्स्टीट्यूशन स्वीकार किया है। उसमें नोमीनेशन को नोमीनेशन रखा है और इलेक्शन को इलेक्शन रखा है। उसमें डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का अन्तर दिखाई देता है। जब किसी बात की नितान्त आवश्यकता नहीं है तो उसको अलग क्लॉज़ के द्वारा रखना, जहां इलेक्टेड आदमी आ सकते हैं वहां नोमीनेट करने की चेष्टा करना, मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों के विपरीत है। इसलिए अगर यह पांचवां क्लॉज़ नहीं होता तो सबसे अच्छा होता लेकिन फिर भी यह समझा कि अगर कोई कॉन्स्टीट्यूएन्सी अनरिप्रेज़ेन्टेड नहीं रह जाय ऐसी हालत में नोमीनेशन टेम्पोरेरी कर दिया जाय। उस हालत में यह किया जा सकता है। पहले आर्टिकल १९३ ऐसा था, जिसको बुरा समझते थे, जिसके तहत प्रजातंत्रीय प्रशासन को समाप्त करके गवर्नर अपना रूल कर सकता था। हम लोग उसे बहुत बुरा समझते थे, हर एक भारतीय बुरा समझता था। उसमें प्रतिबन्ध था कि छः महीने तक ही कॉन्स्टीट्यूशन को सस्पेन्ड कर सकते थे। अगर उससे अधिक अवधि होती तो पार्लियामेन्ट की स्वीकृति लेनी होती थी। उन्होंने उस इलेक्शन को इतना महत्व दिया। लेकिन यहां जो हम क्लॉज़ ४, सब क्लॉज़ (१) (सी) और (डी) के आधीन उन निर्वाचितों को अधिकार दे रहे हैं उनके अधिकार को सरकार उनके हाथ से छीन रही है। तो इसलिए यह चाहे व्यवहार में इतना महत्वपूर्ण नहीं हो लेकिन भावना के आधार पर जरूर दुःखदायी है और हमारे जो मंत्री महोदय हैं, वे लोकतंत्रीय विकेन्द्रीकरण के एक प्रमुख प्रशासक रहे हैं, लोकतंत्र की भावनाओं से वे परिचित हैं; इसलिए मैं तो यह विश्वास करूं कि वे इस भावना को जरूर समझेंगे, समझ रहे हैं और साधारणतया ही इस संशोधन को स्वीकार करने में अपनी स्वीकृति देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : Minister-in-charge.

**महारावल लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): एक मिनट के लिए मैं बोल सकता हूं, उपाध्यक्ष महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज़ ४ सब क्लॉज़ (ई) पर जो संशोधन प्रस्ताव था वह गिर चुका है; तो सिद्धान्ततः इस बिल की योजना के अन्तर्गत नोमीनेशन, नामजदगी का प्रिन्सिपल आ जाता है, वह चाहे जितना रीएक्शनरी हो लेकिन वास्तविकता को देखते हुए चूंकि क्लॉज़ ४ (ई) पर अमेंडमेंट गिर चुका है इसलिए कुछ न कुछ भूल में हमको क्लॉज़ ५ रखना पड़ेगा क्योंकि क्लॉज़ ५ एक कॉन्सीक्वेन्शियल प्रोविजन है। इसको रखते हुए अगर आप कोई लिमिट नहीं करते हैं तो नोमीनेशन को पर्मानेन्टली लीगेलाइज़ करते हैं। मेरे ख्याल से यह बड़ा अशोभनीय है; क्योंकि यह सदन बालिग मताधिकार के आधार पर चुना गया है। नोमीनेशन के सिद्धान्त को रखें, ठीक है उसको कोई कारणवश रखें; लेकिन इसको पर्मानेन्सी न दें in the provisions of clause 5. मेरे ख्याल से यह बहुत ही reprehensible, repugnant and repulsive provision है। एक माननीय सदस्य ने क्लॉज़ ३४ बताया था। मैंने क्लॉज़ ३४ भी देखा। अगर क्लॉज़ ५ में कोई लिमिट ३ महीने की या उसके बजाय ६ महीने बढ़ा दें तो भी ३४ क्लॉज़ के अमेंडमेंट के कन्सिस्टेन्ट है, इन हारमॉनी है। I do not see where the repugnancy arises.

मेरे ख्याल से माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि इस लिमिट को ६ महीने के लिये या तीन महीने के लिये मान लेना चाहिये। सर्वोत्तम तो यह होता कि क्लॉज़ ४ (बी) में अमेन्डमेंट था उसको स्वीकार करते। यदि उसको स्वीकार कर लेते तो क्लॉज़ ५ की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया इसलिये क्लॉज़ ५ की कोई न कोई लिमिट रखने के सिद्धान्त को मान लेना चाहिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ के बारे में दो अमेन्डमेंट विरोधी दल की तरफ से रखे गये हैं, उन पर काफी लम्बी-चौड़ी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर रख कर उसका समर्थन किया और यह कहा गया कि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के खिलाफ है। मेरे ख्याल से क्लॉज़ ५ की मंशा, जैसा उन्होंने कहा है, वैसी नहीं है और मैं समझता हूं कि इसको ठीक तरह से वे समझ नहीं पाये। इससे (ई) का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो रहेगा, नोमीनेशन रहेगा। यह कब किया जा सकता है, जब कि इलेक्टेड मेम्बरों का प्रावधान (डी) और (ई) में रखा गया है। हर एक वेटेरिनरी...

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): अन-लिमिटेड बेसिस पर।

**श्री नाथूराम मिर्धा:** मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरा यह कि चार रजिस्टर्ड वेटेरिनरी प्रेक्टिशनरों के नुमाइन्दे चुने जावेंगे। दोनों प्रकार के नोमीनेशन्स होने चाहिये। इसके लिये तारीख होगी। समय निर्धारित होगा। इस टाइम लिमिट में चुनाव हो जाना चाहिये। इन चुनावों के हो जाने के बाद इस क्लॉज़ ५ की कोई कद्र नहीं है। बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टान्सेज़ में किसी बोडी को समय दिया जाता है...

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह:** लेजिस्लेटिव सिद्धान्त ये हैं। नॉन-पर्मानेन्ट प्रोविजन्स को भी आप पर्मानेन्सी देंगे तो यह रीट्राड्रेड स्टेप है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह पर्मानेन्सी किसी सूरत में नहीं। मैं इसको एक परसेन्ट भी नहीं मानता हूं। वह कब हो सकती है, चुनावों की पद्धति होते हुए भी चुनाव कराने में नाकामयाब होते हैं।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : मीन्स को विशिएट नहीं करती है। यह आप किसी लीगल एक्सपर्ट से मालूम कर सकते हैं।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): पंचायत समिति में किसी का चुनाव नहीं हो तो ६ महीने के बाद में हो सकता है। वैसे ही यहां हो सकता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: वहां चुनाव नहीं होने की गुंजाइश नहीं लगती है। इसलिये यह क्लॉज डेड लैटर की तरह से पड़ा रहेगा और डेड लैटर का असर इस क्लॉज का रहेगा। सो में से एक परसेन्ट भी गुंजाइश नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए इसका कोई उपयोग नहीं होगा। कानून में इन्कोर्पोरेट वैसे ही होगा।

**श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा): आप कन्डीशनल कर दीजिये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वह तो है; अगर किसी भी सूरत में चुनाव कराने में कामयाब नहीं हों। फिर यह कहना कि तीन महीने का समय रहेगा या चार महीने का रहेगा, उचित नहीं है। हम ऐसे लोगों को ही नोमीनेट करके भेजते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। फिर उनको यह कहना कि तीन महीने रहोगे या ६ महीने रहोगे, मैं इस चीज को उचित नहीं मानता।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री गंगासिंह! क्या आप इसको विथड्रा करेंगे या प्रेस करेंगे?

**श्री गंगासिंह** (जायल): I press it, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप संक्षेप में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, डिस्कशन नहीं हो सकता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ पर श्री गंगासिंह ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए?

(मतदान के पश्चात्) ना पक्ष जीता।

**एक माननीय सदस्य:** हां पक्ष जीता।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप एक दफा यह कह दें कि 'हां' पक्ष जीता तो कम से कम वे लोग अपने उत्तरदायित्व को तो समझेंगे और उनको सबक मिलेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की मंशा है कि इसे फिर वोट पर रखा जाए?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): इसका नतीजा यह होगा कि कांग्रेस के लोग आकर सीटों पर तो बैठ जावेंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): Best traditions of democracy must be maintained. Democracy is the rule of compromises.

अगर हठधर्मी से आप यह चाहते हैं कि अपोजिशन की एक बात भी नहीं मानी जावे तो you have the majority. So long as you have majority, you are entitled to have it,

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द):** आपकी वाजिब बात हो तो मानी जा सकती है। वाजिब नहीं मानते।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं प्रश्न को पुनः वोट पर रखता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री गंगासिंह ने जो संशोधन क्लॉज ५ पर रखा है उसे स्वीकार किया जावे ?

( मत-दान के पश्चात् )

'ना' पक्ष जीता।

**एक माननीय सदस्य : 'हां'** पक्ष जीता।

**श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) :** यह व्यवस्था का प्रश्न है। चेयर की तरफ से जो प्रश्न रखा गया वह यह था कि जो पक्ष में हों वे हाँ कहें और जो विपक्ष में हों वे ना कहें। डेफिनिट 'ना' शब्द कहें। मगर कुछ माननीय सदस्यों ने 'नो' कहा, 'ना' नहीं कहा, इसलिये उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

(मत-विभाजन की घंटी)

( २. म. प. )

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं पुनः प्रश्न रखूंगा। क्लॉज ५ में श्री गंगासिंह का जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसे स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड ६, ७, ८ और ९।

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज ६, ७, ८ और ९ विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज ६, ७, ८ और ९ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

( विराम )

क्लॉज १०, श्री विजयसिंह झाला।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : उपाध्यक्ष महोदय क्लॉज १० पर मैंने दो संशोधन रखे हैं। एक संशोधन के अनुसार जो इस कौंसिल की अवधि ५ वर्ष की गई है उसके बजाय ३ वर्ष की कर दी जाय। दूसरे संशोधन के अनुसार यह है कि रीनोमीनेशन का प्रोविजन रखा है वह हटा देना चाहिये। ४ और ५ के संशोधन स्वीकार नहीं हुए हैं तो इस प्रकार की कौंसिल की अवधि अधिक नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि सरकार इसमें अपने नुमायन्दे भेजेगी, पर वे नुमायन्दे अधिक साल न रह कर कम रहें ताकि सरकार और अधिक नुमायन्दों को खुश कर सके। इसमें सरकार को तो फायदा ही है, क्योंकि इस तरह ज्यादा नुमायन्दों को खुश करके अपना कार्य चला सकेगी। इस प्रकार की कौंसिल जिसमें ज्यादा नोमीनेटेड होते हैं वह डिक्टेटरशिप का रूप धारण करती है। इसलिए उसकी अवधि ५ साल न रख कर ३ साल की होनी चाहिये।

इसलिये मैं आशा करता हूं कि हमारे मन्त्री महोदय इन दोनों संशोधनों को स्वीकार करेंगे, ५ साल के बजाय ३ साल की अवधि होने से सरकार और अधिक अपने नुमाइन्दों को खुश कर सकेगी।

श्री गंगासिंह ( जायल ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस क्लॉज़ में अमेंडमेंट यह है कि इस कौंसिल की अवधि ५ साल न रख कर ३ साल रखी जाय। जहां तक नोमीनेटेड मेम्बर्स का प्रश्न है वहां तक तो कोई बात नहीं रहती कि एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल या पांच साल तक रहें; पर इलेक्टेड बॉडी के लिये यह जरूरी है कि ऐसी अवधि तक रहे कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को उसमें भाग लेने का मौका मिले। दूसरी संस्थाओं का जहां तक सवाल है, जो एक्ट यहां पास हुए हैं उनको देखने से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा अवधि म्यूनिसिपैलिटीज़ की और दूसरे ऐसे इलेक्टेड इन्स्टीट्यूशन्स की तीन साल तक की रखी गई है। इसलिये मैं यह वाजिब समझता हूं कि इस कौंसिल की अवधि ५ साल न रख कर तीन साल की रखी जाय।

श्री अब्दुल जब्बार ( निम्बाहेड़ा ) : Mr. Deputy speaker, clause 10 reads as under :

"Term of office of members.-(1) The term of office of a member of the Council shall be five years from the date of his acceptance of office." It is clear. But as far as clause 10, sub-section (2) is concerned- "A person ceasing to be a member by reason of the expiration of his term of office shall be eligible for re-election or re-nomination."

Now it is not necessary to keep this provision, because it is clear, it is an established fact that a person, who has been elected once will be a member, will continue to be a member till the time of his election fixed by law.

Under such circumstances, positively after the expiration of that term; he will cease to be a member and, according to the Act, there will be fresh election and, under such circumstances, the Constitution gives right that he can contest next election. No one can check him from doing that.

Under such circumstances, it is not necessary to bring such provision that a person ceasing to be a member at the expiration of the term of his election, will be eligible for re-election or re-nomination.

Thus the Bill cannot be supposed to be the safety for a certain person or certain group of persons. Thus clause(2) should be removed from the Bill. which has been mentioned under clause 10.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १० की जो भाषा है वह बड़ी ही अजीब है :

"The term of office of a member of the Council shall be five years from the date of his acceptance of office."

यदि किसी का नोमीनेशन एक वर्ष बाद हुआ तो वह भी चार वर्ष पुरानी कौंसिल के समाप्त होने के बाद एक वर्ष आगे तक और रह सकेगा। यह मेरे ख्याल से बैड ड्राफ्टिंग का ही एक नमूना है। और नोमीनेटेड की धारा स्वीकार की गई है, उसमें उनको अधिकार होगा कि कौंसिल की टर्म समाप्त होने पर भी रहेंगे, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** ( बयाना ) : माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १० में दो प्रोविज़न्स हैं-एक प्रोविज़न इसकी टर्म्स के बारे में है और दूसरा ऐसा मालूम पड़ता है कि सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करनेवाला यह क्लॉज़ है। मेरी यह मान्यता है कि अगर इलेक्शन्स जल्दी जल्दी होंगे तो इससे ऐसा होगा कि नये व्यक्तियों को, नई विचार-धारा के व्यक्तियों को, नये खून को आने का मौका मिलेगा। मेरी मान्यता है कि नये व्यक्ति आते हैं तो नई नई पॉलिसीज़ को लेकर आते हैं। ऐसे आदमी कोशिश करते हैं इलेक्शन्स से आने की, जो प्रेज़ेन्ट पॉलिसी एवं प्रोग्राम से असहमत होते हैं और वे चाहते हैं कि चुनावों के जरिये आकर दूसरी विचार धारा को रखें; जैसा कि आज तक सरकार का रुख रहा है, मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल की जनतान्त्रिक पद्धतियों को ठुकरा देने तक की नीति रही है, जैसे उन्होंने प्रेस्टिज का पोइन्ट बना लिया हो। मुझे उससे सरोकार नहीं। मैं समझता हूं कि उनकी ऐसी भावना उनको मुबारिक हो; पर इस तरह वे राजस्थान को एक ऑटोक्रेसी, तानाशाही की तरफ खींचना चाहते हैं। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा कि ५ साल की जगह ३ साल की टर्म रख दी जाय तो नये दृष्टिकोण के व्यक्ति आते रहेंगे, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

जहां तक दूसरे सब-क्लॉज़ का सवाल है, यह बिल्कुल सुपरफ्लुअस है, इसको बिल्कुल हटा देना चाहिये। क्यों ? यह तो एक मिसाल आ जाती है कि 'खाय मरे या लद मरे'। मैं वह क्लॉज़ पढ़ देता हूं। सब-क्लॉज़ इस तरह से है :

"A person ceasing to be a member by reason of the expiration of his term of office shall be eligible for re-election or re-nomination."

डिसक्वालिफाई ही क्यों नहीं कर दिया ? क्या एक्ट में ऐसा कहीं लिख दिया है कि जो एक दफा नोमीनेट कर दिया गया है वह दुबारा नहीं नोमीनेट होगा ? अगर कोई ऐसी आपत्ति नहीं है, गड़बड़झालेवाली बात नहीं है, तो मैं समझता हूं कि सरकार का मतलब यह नहीं होगा कि जो व्यक्ति गड़बड़घोटाला कर रहे हैं, डिसक्वालिफाई होने पर भी उनको थोपा जाय। ऐसी सरकार की मंशा नहीं है तो फिर इस क्लॉज़ को टोटल्ली डिलीट कर दिया जाय। इसको रखने की आवश्यकता क्या है ? एक आदमी दुबारा दस दफा चुन कर आये, हम उसका स्वागत करते हैं। सरकार उसको रीनोमीनेशन के योग्य समझती है तो दस दफा उसको नोमीनेट करे। मैं अपना यह दृष्टिकोण रखता हूं। लेकिन इस तरह का क्लॉज़ सुपरफ्लुअस है, रिडन्डेन्ट है। इसे बिल्कुल हटा देना चाहिये। यह तो ड्राफ्ट्समैन की ओवर-इन्टेलीजेन्स की बात है। ओवर-इन्टेलीजेन्शिया को थोप दिया जाय तो बिल की मंशा खतम होती है। यदि इसको रखेंगे तो यह होगा कि विधान सभा में इस प्रकार की व्यर्थ की बातें रख देने के आदी हैं। इसलिए यह सुपरफ्लुअस है और इसको डिलीट कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि तीन साल की अवधि मान ली जाय तो उत्तम बात होगी।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ...

# Page No.62



**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (श्रासपुर) : In one minute, I would only say that the amendments moved by Hon'ble Member from Nathdwara are sound, good in law. It takes away reactionary sting provision of the Act and, therefore, I would submit that they should be accepted.

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नाथद्वारा से श्रानेवाले माननीय सदस्य ने तो श्रमेन्डमेन्ट मूव किया नहीं, नागोर से श्रानेवालों ने किया है कि पांच साल के बजाय तीन साल कर दिया जाय।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मेरा ही है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : श्री गंगासिंहजी ने व श्री विजयसिंहजी ने, दोनों ने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा है कि टर्म श्रॉफ मेम्बर का पीरियड पांच साल के बजाय तीन साल का रखा जाय श्रौर यह भी संशोधन रखा है कि दूसरे क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि दूसरे क्लॉज़ को स्पेसिफिकली रखना जरूरी है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : दूसरे सारे क्लॉज़ को डिलीट करने की बात नहीं है केवल रीनोमीनेशन की बात को ही करना है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : वही श्रर्ज कर रहा हूं। नोमीनेशन के क्लॉज़ के वक्त मैंने श्रर्ज किया था कि कई ऐसे श्रादमी जो बहुत काबिल हों श्रौर इलेक्शन में पड़ने की बात को पसन्द नहीं करते हों तो उसके लिये क्लॉज़ ४ में प्रोविज़न रखा है। ऐसे व्यक्ति सिलेक्टेड फ्यू होते हैं। यह भी मान लीजिये कि दूसरा श्रादमी सुटेबल नजर न श्राता हो तो उसको नोमीनेट करने से डेमोक्रेसी का गला घुटता नहीं है। यह विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को सोचना चाहिये। ऐसे प्रोविज़न रख कर डेमोक्रेसी का गला घुटता हो तो वैसी बात नहीं है, न वाजिब ही है।

दूसरा उन्होंने कहा कि पांच के बजाय तीन साल का पीरियड कर दिया जाय। मैं निवेदन करूंगा कि कई प्रान्त ऐसे हैं जहां तीन साल का पीरियड है। श्रपने यहां भी कई संस्थानों में तीन साल का पीरियड रखा गया है। श्राप लोगों का श्राग्रह हो कि कुछ मेम्बर्स को बार बार श्राने का श्रवसर मिले श्रौर थोड़े समय के लिये लोग सेवा करके दूसरे लोगों को सेवा करने का श्रवसर दें श्रौर दूसरे लोग तैयार हों तो इसमें मुझे कोई जिद् नहीं है। तीन साल का टर्म मानने के लिये तैयार हूँ। यह टर्म भी काफी होता है श्रौर कौंसिल में बैठ कर सेवा कर सकते हैं। उस पार्ट को मैं मानता हूं श्रौर मैं उसको स्वीकार करता हूं। इससे विरोधी दल के माननीय सदस्यों को संतोष होगा। श्राशा है दूसरा जो श्रमेन्डमेन्ट है उसको वे विथड्रा करेंगे श्रौर श्रागे के क्लॉज़ेज़ पास करेंगे।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : रीनोमीनेशन को पर्मानेन्ट या पर्पिचुएट करना उचित नहीं है। कौंसिल का काम कोई रुका हुश्रा नहीं रहेगा जिस कारण रीनोमीनेशन का प्रावधान पर्पिचुएट या पर्मानेन्ट किया जाय। श्राप न मानें तो न मानें, श्रापका बहुमत है, उस सिद्धान्त के कारण श्रापकी जैसी इच्छा है वैसा कर सकते हैं, किन्तु रीनोमीनेशन की बात श्रखरती हुई है, श्रच्छी नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : हमारे पास में योग्य आदमियों की कमी है और एक दो आदमी यदि चुनाव में नहीं पड़ना चाहें कोई और उनको रीनोमीनेट कर दिया जाय तो कोई इस सम्बन्ध में गलतफहमी नहीं होनी चाहिये । कानूनी बाधा न हो इसलिये इसको रखा गया है ।

**श्री विजयसिंह झाला** : केवल राजस्थान में दो ही आदमी होंगे जो योग्य होंगे आप ऐसा क्यों मानते हैं ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : नहीं हैं जब ही जरूरी हुआ है, नहीं तो जरूरी नहीं होता ।

**श्री विजयसिंह झाला** : ऐसा क्यों अनुमान लगाते हैं कि दो ही आदमी ऐसे होंगे सारे राजस्थान भर में कि उनको ही दुबारा-दुबारा बीस साल तक रखना जरूरी होगा ? राजस्थान में दो से अधिक मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** : कौंसिल के पर्सोनल को तो देखिये । कितने नोमीनेशन्स हैं जितने रेम्युनरीज हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उन सबको कौंसिल में रखा है । टेक्निकल गाइडेन्स से एनरिच्ड कौंसिल है, फिर भी रीनोमीनेशन रखना हो तो रखिये ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज १० के सब क्लॉज (१) की दूसरी लाइन में जहां पांच साल की अवधि की चर्चा आती है उस जगह तीन साल की अवधि करने के जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला और श्री गंगासिंह ने रखे हैं उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १० के सब क्लॉज़ (२) में जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि यथा संशोधित क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

खंड १०, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

खंड ११

**श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल) : [संशोधन इस प्रकार है : ' Replace the word 'five' by the words 'one-third' of the total number in sub-clause (1)'' ] माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ११ के सम्बन्ध में— कोरम के सम्बन्ध में मेरा अमेन्डमेन्ट है । इसके अन्दर कोरम में पांच मेम्बर्स का होना रखा गया है । मैंने जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसकी मन्शा यह है कोरम के अंदर संख्या न रख कर टोटल मेम्बर्स का कुछ हिस्सा रखना मुनासिब होगा और वह १/३ मेम्बर्स का कोरम में होना ही ज्यादा मुनासिब होगा । हो सकता है हम पहली बार ही यहां कौंसिल का कम्पोजीशन कर रहे हैं, उसके अन्दर हमारे यहां कृषि कॉलेजेज़ ज्यादा न होने के कारण अभी तो पांच मेम्बर्स का कोरम पर्याप्त माना जा सकता है लेकिन जब वेटेरिनरी कॉलेजेज़ की संख्या बढ़ती जायगी उस समय हो सकता है उनके

# Page No.64



( श्री गंगासिंह राठौड़ )

प्रिन्सिपल्स भी ज्यादा होने के कारण पांच का जो कोरम है वह पर्याप्त नहीं होगा इसलिये मेरा यह संशोधन है कि कुल मेम्बर्स के १/३ को कोरम माना जाय ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है कोरम का जिसमें कोरम के लिए पांच मेम्बर्स का होना रखा गया है वह बिल्कुल ठीक है। इस पर जो माननीय सदस्य ने अमेन्डमेन्ट रखा है वन-थर्ड का है,उसका मैं वेहेमेन्टली विरोध करता हूं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात से १/३ का रखा है । जब हम कुल स्ट्रेन्थ ही ९ आदमियों की बनाते हैं, उनमें से तीन आदमी मीटिंग कर सकते हैं, वहां हमने रखा है कि ९ में से पांच आदमी उपस्थित रहते हैं तभी मीटिंग हो सकेगी । हमारा जो क्लॉज़ है वह ज्यादा डेमोक्रेटिक है । १/३ का जो सुझाव आया है उसका एक माननीय सदस्य, जो विरोधी पक्ष में हैं, ने विरोध भी किया है । मैं समझता हूं जो हमने रखा है वह ज्यादा डेमोक्रेटिक है ।

**श्री रामकिशन** (वैर) : हम सही काम का हमेशा समर्थन करेंगे ।

**श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल): I want to withdraw it.

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि श्री गंगासिंह को अपना संशोधन वापिस लेने दिया जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

**श्री गंगासिंह राठौड़** (जायल) : मैं मेरा अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

क्लॉज़ १२

**श्री गंगासिंह राठौड़** ( जायल ) : [ संशोधन इस प्रकार है : "Insert the word 'registered' between the words 'by' and 'letter', occurring in sub clause(2)"] उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ के अन्दर जब नोटिस दिया जाता है वह किस प्रकार से दिया जायगा, उसका वर्णन है । वह सम्मन जो होगा वह बाई लैटर भेजा जायगा, यह लिखा है । मैं उसके लिये समझता हूं कि लैटर की जगह बाई रजिस्टर्ड लैटर रखा जाय तो ठीक रहेगा, क्योंकि लैटर कहीं मिसप्लेस भी हो सकता है और यदि तीन कॉन्सीक्वेन्ट मीटिंग्ज़ से कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है । इसको मद्देनजर रखते हुए सेफ साइड के लिये मेरा अमेन्डमेन्ट है कि 'लैटर' की जगह 'बाई रजिस्टर्ड लैटर' रखा जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष** : He wants to make it a registered letter.

# Page No.65



**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में खाली लैटर ही रखना काफी है। रजिस्टर्ड रखने से पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे। कौंसिल में जो भी सदस्य हैं उनके सब के परमानेन्ट एड्रेस रहेंगे, उसके लिये लैटर ही रखना काफी है। अगर माननीय सदस्य की बड़ी जिद् है तो रजिस्टर्ड रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल**(बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि रजिस्टर्ड लैटर पहुंचने में चार रोज का समय लग जाय। कौंसिल की मीटिंग बुलाना बहुत आवश्यक हो जाय और उसी रोज मीटिंग करनी हो तो वैसी हालत में अगर हम रजिस्टर्ड की बंदिश लगा देते हैं तो कन्डक्ट ऑफ बिजनेस में देरी हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खाली नोटिस ही रखा जाय तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : What is your view. Hon'ble, Minister ?

**श्री नाथूराम मिर्धा** : लैटर ही ठीक रहेगा।

**श्री गंगासिंह** : मैं सदन से अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत के लिये प्रार्थना करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की राय है कि श्री गंगासिंह को अपना संशोधन वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

( स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री गंगासिंह** : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज १२ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज १२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड १३ से २५

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ से २५ तक विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

खण्ड १३ से २५ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड २६

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : [ संशोधन इस प्रकार है : "Substitute the words 'District Judge' for the words 'State Government occurring in sub-clause (1)"] उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज २६ में यह प्रोविजन है कि जो कौन्सिल की अपील होगी वह स्टेट गवर्नमेन्ट को होगी। मेरा यह संशोधन है कि इसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में जब कि सारे नुमायन्दे सरकार द्वारा नामजद होंगे ऐसा कोई निर्णय कौन्सिल करे, उस केस में सही डिसीजन कन्सर्न्ड मिनिस्टर या स्टेट गवर्नमेन्ट नहीं दे सकती। खण्ड २३ और २५ में अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को दिया गया है। कोई वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर अपील करेगा कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेन्ट को उसमें निर्णय देने का अधिकार नहीं होना चाहिये। क्लॉज २५ के अन्दर रिमूव करने का डिसीज़न लेती है तो उसकी

( श्री विजयसिंह झाला )

अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को होगी. जबकि कौन्सिल का स्वरूप अनडेमोक्रेटिक वे में हुआ है उसे कौन्सिल के निर्णय की अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को न होकर डिस्ट्रिक्ट जज को होनी चाहिये तभी जाकर सही न्याय मिल सकता है । अगर हमारे संशोधनों को मान्य करते हुए उस प्रकार से कौन्सिल का निर्माण होता तो आशा कर सकते थे कि जो भी निर्णय होगा वह उपयुक्त होगा । जबकि कौन्सिल का निर्माण ही अनडेमोक्रेटिक वे में किया गया है वैसी हालत में उसके निर्णय की अपील स्टेट गवर्नमेन्ट को न होकर डिस्ट्रिक्ट जज को होनी चाहिये, यह मेरा प्रस्ताव है । आशा है, इसको माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे ।

**श्री गंगासिंह राठौड़** ( जायल ) : [ संशोधन इस प्रकार है : "Replace sub clause (1) by the following 'An appeal shall be to the High Court from every decision of the Council under Section 23 or Section 25.' " ] उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस क्लॉज़ के अन्दर अमेन्डमेन्ट है । वह यह है कि अपील ही वह हाई कोर्ट में होनी चाहिये । जहां तक इस अपील से संबंधित प्रोविज़न का सवाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं यह समझता हूं, क्लॉज़ २५ के अन्दर जुडिशियल टच भी दिया गया है, किस-किस कारण से मेम्बर्स को खारिज किया जा सकता है । उसको ध्यान में रखते हुए क्लॉज़ २५ (ए) के अन्दर है- "(a) who has been sentenced by a criminal court or a court-martial to imprisonment for an offence indicating in the opinion of the Council such defect in character as would render the entry or continuance of his name in the register undesirable, or" यह जो डिस्क्रीशन दिया है वह जुडिशियल डिस्क्रीशन है । वैसी हालत में जुडिशियल कोर्ट में उसकी अपील होनी चाहिये । उसके लिये मैं हाई-कोर्ट उपयुक्त समझता हूं ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सेट-अप बनाया जा रहा है इसका ऐसे व्यक्तियों से भी वास्ता पड़ेगा जो स्वतन्त्र रूप से इस प्रोफेशन में आना चाहेंगे । जिस तरह से आज जन-स्वास्थ्य पर बल दिया जा रहा है, उसी तरह से एक समय जरूर आना है जब कि इस क्षेत्र में हमें स्थान स्थान पर प्राइवेट वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स भी ज्यादा तादाद में दिखाई देंगे । तो उस स्थिति को ध्यान में रख कर भी हमें चलना है । एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब किसी एक व्यक्ति विशेष से सरकारी पक्ष नाराजगी रखता हो या कोई व्यक्ति अपने आपको एग्रीव्ड समझता हो कि कौन्सिल के निर्णय से मेरे अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो ऐसी सूरत में हमें कौन्सिल के गठन की तरफ भी दृष्टिपात कर लेना चाहिये । डाइरेक्टर और उनके सुझाव पर नोमीनेटेड दो व्यक्ति, इसके अलावा सरकार द्वारा चलाये गये कॉलेजेज़ के दो प्रतिनिधि; ये सब सरकार के नौकर होंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में यह स्थिति भी लाई जा सकती है कि सरकार की मर्जी के खिलाफ किसी का नोमीनेशन नहीं हो सके । तो अगर वे नाराज हो जावें या मिनिस्टर टेलीफोन पर नाराज हो जावें तो सरकार की मर्जी चल जावेगी । अब अगर उनके खिलाफ हम सरकार के पास

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

अपील में जावेंगे तो क्या हम उनसे न्याय की आशा कर सकेंगे ? ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट में रिट ले जा सकते हैं और २२६ के अन्दर यह ठीक भी है कि हम अपने मूलभूत अधिकारों की दुहाई दे सकते हैं। आर्टिकल १९ अगर नहीं होता तो ये और भी जुल्म ढा सकते थे। पर इतना होते हुए भी लम्बा रास्ता है हाई कोर्ट तक जाने का। आम जनता के लिये वह इतना सस्ता और सुलभ नहीं है, खासतौर से आज जब कि न्याय प्रणाली बहुत महँगी है। इस स्थिति में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से न्याय प्राप्त करने का जो प्रोविज़न रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह सवाल पॉलिसी का नहीं है, बल्कि अधिकारों की रक्षा और उसकी प्राप्ति का है।

मैं समझता हूं कि इसे इसी दृष्टि से देखा जावेगा और कम से कम ऐसे निर्णय के खिलाफ, जिसमें किसी व्यक्ति के भावी जीवन और उसके कैरेक्टर, केरियर और उसकी रोटी-रोजी पर आँच आ रही हो, तो ऐसा अधिकार उसको दे दिया जाना चाहिये कि वह नजदीक से नजदीक न्यायिक अधिकारी से अपना न्याय प्राप्त कर सके। अगर कौन्सिल ठीक फैसला नहीं करती है तो वह लॉ कोर्ट में अपना मामला ले जा सके and we should have no objection. मेरा हम्बल सब्मिशन है कि इसे स्वीकार कर लिया जाय।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** ( आसींद ): यह अमेन्डमेन्ट है कि अपील का अधिकार सरकार के पास न रह कर डिस्ट्रिक्ट जज या हाईकोर्ट के पास होना चाहिये, मैं इसका विरोध करता हूं।

एक तरफ जब हम देखते हैं कि हाई-कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील दायर करने में कितना खर्चा होता है तो हम इसका समर्थन नहीं कर सकते, जब कि बिना किसी खर्चे के हम स्टेट गवर्नमेन्ट के पास अपील कर सकते हैं और अगर थोड़ा बहुत खर्चा हुआ भी तो उन कोर्टों के खर्चे के मुकाबले में नगण्य होगा। अब रहा सवाल सरकार द्वारा पक्षपात करने का, सो यह मेरे ख्याल से कल्पना ही हो सकती है; वास्तविक बात नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मेडिकल प्रेक्टिशनर्स एक्ट भी लागू है, उसमें भी ऐसा प्रावधान पहले से है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): ऐसा नहीं है। आप एडवोकेट्स एक्ट पढ़िये लीगल प्रेक्टिशनर्स एक्ट की जगह।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : माननीय सदस्य ने शायद ठीक से सुना नहीं है, मैं लीगल प्रेक्टिशनर्स की बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो मेडिकल प्रेक्टिशनर्स की बात कह रहा हूं। उस एक्ट में इसी तरह का प्रोविज़न है।

यह भी कहा गया कि अनडेमोक्रेटिक तरीके से यह कौन्सिल बनाई गई है, सारे गवर्नमेन्ट के ही आदमी इसमें रखे गये हैं तो यह तो होगा ही, गवर्नमेन्ट के आदमी अपने विभाग के आदमियों को रजिस्टर करेंगे। जिस कॉलेज में वे अधिकारी हैं उस कॉलेज से डिग्री हासिल करके जो निकलेंगे और उनके रजिस्ट्रेशन का जब प्रश्न आवेगा तो उनके साथ वे ही अन्याय करेंगे, इसका प्रश्न ही नहीं आता। इस प्रकार की कल्पना करना ही ठीक नहीं है। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करना उचित नहीं है।

**श्री विजयसिंह झाला** ( नाथद्वारा ) : जब वे अन्याय नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट्स में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

**श्री मुकुटबिहारी लाल** : ट्रिब्यूनल का प्रोविज़न कर दीजिये ।

**श्री ओंधसिंह** ( गिरवा ) : अभी मेरे मित्र श्री विजयसिंह झाला ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । कहा गया कि कोर्ट में जाने से अपील ज्यादा महंगी पड़ेगी और सरकार के पास अपील ज्यादा सस्ती पड़ेगी । मैं समझता हूं, यह सोचना उपयुक्त नहीं है । सवाल यहां सस्ती-महंगी या पैसे का नहीं है, सवाल है न्याय प्राप्त करने का । जनतन्त्र में यह मानी हुई बात है कि अगर एक सबोर्डिनेट गलती करता है तो उसके ऊपर का अफसर उसके खिलाफ जाकर सही तरीके से न्याय नहीं दे सकता । इसलिये मेरा यह मानना है कि कोर्टों में जाने का अधिकार होना चाहिये और इस आधार पर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

**श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में दो प्रश्न उठते हैं; कौन्सिल, यह एक्सपर्ट्स की समिति है । यह विशेषज्ञ समिति के रूप में भी काम करेगी । पर सवाल यह है कि जो वह निर्णय करेगी क्या वह सब हालतों में बराबर निष्पक्ष होगा ? अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि उसमें पक्षपात होने या निष्पक्ष होने की भावना को लेकर अपील का अधिकार देते हैं तो किसी इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल के पास ही यह जाना जरूरी है । पर अगर यह समझते हैं कि इसमें केवल विशेष पॉलिसी का ही सम्बन्ध है, अधिकार प्राप्त करने या न्याय प्राप्त करने की बात नहीं है और राजस्थान की जैसी पॉलिसी है उसको इम्पलीमेन्ट करना ही कौन्सिल का काम है तो अपील सरकार अपने पास भी रख सकती है । इसलिये अगर इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चाहता है, उसको वह नहीं मिलता है और पॉलिसी का सवाल भी नहीं रहता है तो इस पर वह अपील करने की भावना रखता है, इसलिये कि वह कौन्सिल के निर्णय से क्षुब्ध है और निष्पक्ष न्याय की अभिलाषा करता है तो ऐसी सूरत में डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट में अपील करने का उसको अधिकार होना जरूरी है । इसके विपरीत केवल पॉलिसी की बात हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार के पास भी अपील की पॉवर रहे । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को स्वीकृत किया जावे तो विश्वास की भावना ही मेडिकल प्रेक्टिशनर्स में बढ़ेगी और इससे नुक्सान कुछ नहीं होगा ।

**श्री दुर्गालाल वाढ़दार** (हवा महल, जयपुर): Deputy Speaker, Sir, I want to take a few minutes. I do not want to impute anything whether the State Government will be impartial or partial, nor do I think it proper to impute all these provisions, but the question is plain and simple, i. e. whether we can get justice. It is not a question of decision on the basis of partiality or impartiality, but the question is if any person, who is aggrieved, comes before the court of law or before some judicial tribunal with some grievances and these grievances are to be decided

( श्री दुर्गालाल बाढ़दार )

on certain facts, decisions are arrived at either on interpretation of the law or any fact, which is placed before it. Though judicial minds, who have got long experience of deciding particular things, just passing judgment and doing good interpretations of law, I, with due respect to all those members and persons, who are holding same position in the Government, do not want to say anything in respect of their capability of deciding things. But I say they are not experienced in this particular matter on the basis of experience. If this particular part of the job is given only to those persons who are experienced in these things, I think, they are competent persons to decide it and some Judicial Tribunal is to be appointed for that purpose and this function is to be entrusted to that body.

It is a very significant amendment and I hope, the learned Minister will agree to this. That is my request.

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ २६ में दो संशोधन विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने पेश किये -एक तो यह कि इसकी अपील का प्रोविज़न सेशन्स कोर्ट का कर दिया जाये और दूसरे माननीय सदस्य के संशोधन के अनुसार अपील को हाईकोर्ट में कर दिया जाये। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे एक्ट की स्कीम ऑफ थिंग्स हमें देखना पड़ेगा और क्लाज़ २७ में स्पेसिफिकली कोर्ट के जुरिस्डिक्सन के बाहर रखा है। इसके अलावा यह मान कर चलना गलत है कि स्टेट गवर्नमेन्ट के पास जो अपीलें होती हैं उनमें इन्साफ नहीं होता या उनमें एक्सपीरियन्स की कमी होती है। ऐसा कई बार विरोधी दल के माननीय सदस्य मान कर चलते हैं, पर ऐसा मान कर नहीं चलना चाहिए। वैसे इस प्रकार के कानून बम्बई, यू० पी० में बने हैं और हमारे यहां भी मेडीकल एक्ट बने हैं उनमें स्कीम ऑफ थिंग्स हैं और उसमें टू-थर्ड मेजोरिटी से बैठते हैं। वह एक चीज का फैसला लेंगे, उसकी अपील करने का मौका स्टेट गवर्नमेन्ट के पास होता है; उसके बाद में स्टेट गवर्नमेन्ट के साथ में या तो सेशन्स कोर्ट को जोड़ दें या हाईकोर्ट को जोड़ दें। वैसे हाईकोर्ट सब के लिए खुली है। फिर भी उसके बाद में जब हमने स्पेसिफिकली कोर्ट्स के जुरिस्डिक्सन को डिबार किया है एक क्लॉज़ के नीचे तो ऐसी स्थिति में सेशन्स कोर्ट और हाईकोर्ट में अपील प्रेक्टिशनर्स के लिए ले जाना आवश्यक नहीं है। स्टेट गवर्नमेन्ट ही राइट ऑथोरिटी है और दूसरी स्टेट्स में भी इसी तरह का प्रोविज़न है। इसलिए माननीय सदस्य का जो संशोधन है उसको मैं मानने में असमर्थ हूं और आशा करता हूं कि वह भी सारी स्कीम ऑफ थिंग्स को देखते हुए संशोधन वापिस ले लें और संशोधन को प्रेस न करें।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह ....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): एक मिनट के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल दूं।

( महारावल श्री लक्ष्मणसिंह )

मेरे ख्याल से तो यह एक अजीब सी बात है। गवर्नमेन्ट एक्ट बनाये, गवर्नमेन्ट ही रूल्स बनाये . . .

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मेरे ख्याल से मेरे कहने के पहले आप कुछ फर्मा देते तो अच्छा रहता।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** I will submit to the ruling of the Chair. If there is closure I will sit down.

**श्री मुकुटबिहारीलाल ( बयाना ):** उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है........

**श्री नाथूराम मिर्धा :** The Hon. member was entitled to speak before I replied. Now if he says something after I have replied, then again I have to reply. Then this procedure will continue. Therefore, I have demanded the ruling,

**श्री मुकुटबिहारीलाल :** उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था का सवाल है ......

**श्री उपाध्यक्ष :** साधारणतया यह रिवाज़ है कि जो बिल रखने वाले मंत्रीगण हैं वे अपना जवाब दे चुकें, उसके बाद में कोई विशेष ही पूछने की बात रह जाये वह पूछ ली जाये, लेकिन उसके ऊपर भाषण करें तो उसका अन्त नहीं होगा। इसलिए यह साधारणतया रिवाज़ है कि उसके बाद में कोई बहस नहीं हो सकती।

**श्री मुकुटबिहारीलाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का सवाल रेज़ कर रहा था ..

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** In my humble opinion, I would very respectfully submit that the convention should be that after the Minister-in-charge has made his final reply there should be no discussion. But this is a matter of extraordinary importance. This is a matter that affects the fundamental rights of citizens of this country and I would venture to submit that I should be allowed to speak only for one minute. If you wish that I should not be given an opportunity to speak, I shall very gladly submit to the ruling.

**श्री उपाध्यक्ष :** I have no mind to disallow any clarifying point from you, but the general convention is that there should be no speeches after a statement has been made by the Minister or Member in-charge of the Bill.

**श्री मुकुटबिहारीलाल :** एक व्यवस्था का सवाल है ....

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** There is no hard and fast rule to that effect, but again I submit that I shall submit to your ruling,

**श्री उपाध्यक्ष :** I concede that you can ask if you like anything,

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह :** मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि गवर्नमेंट ही कानून बनाये और गवर्नमेंट ही रूल्स बनाये और गवर्नमेंट ही अपने आदमियों को नोमीनेट करे, एक संस्था जो ऑटोनोमस है उसके अन्दर; तो उस संस्था की ऑटोनोमी तो भंग हो चुकी। खैर, यह भी ठीक है।

( श्री महारावल लक्ष्मणसिंह )

अगर कोई इश्यू जस्टीफायेबल है तो उसके लिए भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिबार किया जाये, मेरे ख्याल से यह सर्वथा न्यायोचित नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ही तो एक पार्टी है और गवर्नमेंट ही जज है इस इश्यू के ऊपर। मेरे ख्याल से तो यह एक ऐसी चीज है कि जो आज के जमाने में इस जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार मेरी तो समझ के बिल्कुल बाहर है। लेकिन अगर माननीय मिनिस्टर महोदय यह समझें कि जस्टीफायेबल इश्यू के ऊपर भी हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर दिया जाये तो दूसरी बात है; नहीं तो मैं समझता हूं कि कम से कम माननीय सदस्य जो जायल से आये हुए हैं उनका संशोधन मान लेना चाहिए।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) : एक व्यवस्था का सवाल है......

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जितने भी नियम और परम्परा इस सदन के अन्दर बनती हैं वे सदन की कार्यवाहियों की सहूलियत के लिए ही बनती हैं और जब कि प्रत्येक सदस्य को काफी समय पूछने अथवा उसके ऊपर वाद-विवाद करने के लिए, जो बिल का प्रस्तावक है उसके पहले मिल जाता है और उस सब को सुनने के बाद अपना स्पष्टीकरण दे चुका होता है, उसके बाद यदि हम किसी प्रकार की बहस जारी रखें तो इस सदन के कोई नियम और परम्परा नहीं रहेगी और वाद-विवाद का कहीं भी अन्त नहीं होगा। इसलिए मैं इस बात पर जोर दूंगा कि भविष्य में माननीय सदस्यगण इस बात का ख्याल रखें कि जितनी भी पूछताछ अथवा विवाद है वह जो सम्बन्धित मंत्री हैं या जो बिल के प्रस्तावक हैं उनके आखिरी स्पष्टीकरण के पहले पहले कर लें।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (गोयल) : मैं ने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था। सवाल यह है कि क्या ही अच्छा होता यदि चेयर... मैंने यह कोई आधी दर्जन बार ट्राई किया और व्यवस्था का सवाल भी उठाया.....

**श्री उपाध्यक्ष** : What is your point of order ?

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : वही मैं रख रहा हूं। अच्छा यह होता कि चेयर अपनी व्यवस्था देती। पहले मेरे पोइन्ट को डिसाइड कर दें और शायद उसमें वह बात आ जाती......

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं इस विषय में स्पष्टीकरण कर दूं। मैंने व्यवस्था नहीं दी है। मैंने केवल परम्पराओं और नियमों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : नियमों के अन्दर ही बात कह रहा हूं। तो एक पोइन्ट इसमें यह है कि जब विरोधी पक्ष के नेता बोल रहे थे और विरोधी पक्ष के नेता ही खड़े हुए तो उन्होंने यह रिग्रेट करते हुए कि मिनिस्टर महोदय का राइट ऑफ रिप्लाई हो चुका है इसलिए जब चेयर की तरफ से इशारा दे दिया गया तो वे खड़े हो गए। उस सूरत में मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल द्वारा ज्यादा से ज्यादा आपत्ति हो सकती थी, लेकिन उन्होंने डाइरेक्टली जाकर

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

उनको टोक दिया, यह सदन की परम्परा के खिलाफ है। उनको चाहिए यह था कि वे चेयर का ध्यान आकर्षित करते। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डाइरेक्टली हिट करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इस पोइन्ट पर चेयर व्यवस्था दे।

दूसरा पोइन्ट एक और मैं रेज़ करना चाहता हूं, वह यह है कि एक अमेंडमेंट रखा गया है और एक अमेंडमेंट के बारे में यहां पर सदस्यगण कुछ बोलें, उन्होंने मोशन्स रखे, अमेंडमेंट मोशन्स रखे, उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा और मिनिस्टर महोदय ने अपना जो जवाब दिया रिबटल का या जिस प्रकार से राइट ऑफ रिप्लाई हुआ करता है। मैं समझता हूं कि विरोधी दल के लोग, जो उस बिल के ऊपर बहस करना चाहते हैं वे अपने राइट को रिजर्व रखते हैं रिप्लाई देने को तो उस राइट को तो कम से कम नहीं छीना जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसके प्रति बराबर व्यवस्था दी जानी चाहिए कि मिनिस्टर महोदय का रिप्लाई हो जाने के बाद भी यदि कोई आवश्यकता समझी जाय, मैं नहीं कहता कि वे उन अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे . . ,

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मन्त्री): इस प्रकार का कन्वेन्शन हाउस में है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं नहीं समझता हूं कि कन्वेन्शन की बात कहना चाहते है, परम्परा के नाम पर आप बात कहना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि काम (calm) थिंकिंग के बाद चाहे आप इसे रिजर्व रख कर व्यवस्था करें, चाहे सब पक्ष के लोगों से कन्सल्टेशन के बाद में नीति-रीति को निर्धारित करें, परन्तु ऐसी परम्परा जरूर होनी चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि मिनिस्टर महोदय के रिप्लाई से संबंधित पक्ष वाले सेटिस्फ़ाइड नहीं हों, अगर कुछ असन्तुष्ट हों, अगर मिनिस्टर महोदय के रिप्लाई के अन्तर्गत कोई नई तरह की बात होती हो तो इसके मायने यह नहीं कि हम बिल्कुल ही डिबार कर दिये जायं फर्दर इल्यूसिडेशन ऑफ दी मैटर से। इसलिए मैं हम्बली सब्मिट करूंगा कि यह अहम सवाल है और प्रक्रिया से संबंधित सवाल है। विरोधी पक्ष के नेता जब बोल रहे थे तब बीच में उठ कर उनको टोकना, यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन दोनों पोइन्ट्स पर व्यवस्था दी जानी चाहिए।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कोई डाइरेक्टली बात नहीं की। मैंने तो आपसे ही निवेदन किया था कि दुबारा बोलने पर वह विवाद चालू रहता है और वह बड़ा लम्बा होगा। मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल चुके थे। मैं तो देर से खड़ा होता हूं, आप सब बोल लेते हैं उसके बाद तो बीच में रोक कर खड़ा हुआ हूं, ऐसा माननीय सदस्य ने......

**एक माननीय सदस्य** : आदत मालूम पड़ती है।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जैसा आप समझते हैं वैसा विरोधी पक्ष के नेता नहीं समझ रहे हैं।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द कि 'विरोधी पक्ष के नेता नहीं समझते हैं' ये वापिस लिये जाने चाहिए ।

( ३ म० प० )

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य भी स्वस्थ परम्पराओं का ध्यान रखें, the Chair is on its legs. मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं और उन्होंने जो यह प्रश्न उठाया है कि माननीय मंत्रीजी ने विरोधी पक्ष के माननीय नेता को टोका तो इस विषय में मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने टोका नहीं, बल्कि मुझे एक संकेत किया है कि इस प्रकार का नियम हैं और यह मुझ पर निर्भर हैं कि मैं क्या निर्णय देता हूं । उसके पश्चात् जब मैं अवसर दे देता हूं तो इस प्रकार के ऐतराज का कोई सवाल ही नहीं रहता । इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भंग करने का प्रश्न आता नहीं है ।

दूसरी बार और उनको अवसर दिया जाय, इस बारे में परम्परा क्या है, नियम क्या हैं, तो अवसर देने की बात जहां तक है तो सेक्शन २७७ के अन्दर यह आप पढ़ेंगे कि सिवाय सरकारी पक्ष के अथवा अगर स्पीकर किसी माननीय सदस्य को एलाउ कर दे तो उसके सिवाय किसी को जवाब होने के बाद अपना उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती । इस बात को ध्यान में रखते हुए भी मैंने उनको विशेष अवसर दिया, उनकी प्रतिष्ठित स्थिति को देखत हुए; तो इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं रहती कि जिसके ऊपर विवाद किया जाय ।

श्री विजयसिंह झाला ।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूं माननीय मंत्री महोदय के जवाब से ।

**श्री उपाध्यक्ष** : You press it ?

**श्री विजयसिंह झाला** : जी हां ।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने क्लॉज २६ में रखा हैं उसको स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्)

**श्री मुकुटबिहारीलाल** (बयाना) : सरकारी पक्ष की तीन आवाजें हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : Would you like the bell to be rung again ?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर ) : क्लीयर है कि ७ आदमी उधर हैं और १७ आदमी इधर हैं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : यह जरूरी नहीं है कि सभी हाउस में रहें । यह तो क्लियर प्रश्न है ।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यहां हाउस में जितने बैठे हैं वे आपकी नजर में बैठे हुए हैं । अगर नहीं हैं तो गिने जा सकते हैं, ५+३=८ और २ =१० हैं ।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल से अॅपोजिशन के जो माननीय सदस्य हैं इसमें दो, तीन दफा ऐसा कर चुके हैं। बैठने और नहीं बैठने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो आप और वे खुद समझते हैं कि क्या कन्वेन्शन्स हैं तथा क्या बात हैं।

**एक माननीय सदस्य :** कन्वेन्शन कोई यह नहीं है ......

**श्री नाथूराम मिर्धा :** विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, जो प्रोसीजर उसका होता है, उसको जानते हैं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** कन्वेन्शन कभी भी यह नहीं है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उधर १० हैं और इधर ३० हैं तो निश्चित रूप से प्रस्ताव गिर गया है। यह आवश्यक नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस, ट्रेज़री बैन्चेज के लोग, जब हाउस में लेजिस्लेशन का सवाल होता है, यह एटीट्यूड रखते हैं कि पूरे हाउस को अटेन्ड नहीं करते हैं। मंत्री महोदयों की संख्या बढ़ती जा रही है, उप-मंत्री बढ़े हैं लेकिन हाउस में एक भी मेम्बर नहीं है, केवल मंत्रीजी बैठे हैं। गुटबाजी के आधार पर उनको छोड़ कर चले जायं और कोई साथ नहीं दे रहा हो और वे अकेले फेस कर रहे हों हाउस के क्रिटिसिज्म को ! आखिर सदन की प्रतिष्ठा सबकी है। मैं समझता हूं हमारे प्रधान मंत्रीजी भी पूरे हाउस को अटेन्ड करते हैं। सब मंत्रियों को बैठना चाहिये। आप एक बार कह दीजिये कि 'हां' पक्ष जीता" और संशोधन स्वीकार हुआ तो सब बैठना शुरू कर देंगे।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य की भावना का पूर्ण आदर करता हूं, परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं उस समय केवल वामपक्ष की ओर देख रहा था इसलिए अन्दाज नहीं हुआ। घंटी बजाता हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** घंटी की जरूरत नहीं है। हम डिविजन क्लेम नहीं करना चाहते हैं। जितने बैठे हैं उसके हिसाब से देख लें और जैसा भी आप उचित समझें वैसा ठीक है।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि यह कौन्सिल तो क्रीचर ऑफ दी गवर्नमेंट है। इस बिल को लेजिस्लेचर के सामने आने की ही जरूरत नहीं है। यह क्रीचर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है। यह क्रीचर ऑफ दी गवर्नमेंट है, ऐसी स्थिति के अन्दर हाउस को मेजोरिटी और माइनोरिटी का प्रश्न पैदा नहीं होता है। हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिनाई हो रहा है नोमीनेशन्स हो रहे हैं, जब स्कीम ऑफ दी एक्ट बिल्कुल डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इस स्थिति में हाउस की मेजोरिटी और माइनोरिटी का कोई प्रश्न नहीं है। यह सुटेबल इनेक्टमेंट फोर दिस लेजिस्लेचर ही नहीं है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने यह जो कहा कि यह कानून इस हाउस के लायक नहीं है तो मेरे ख्याल से यह कानून एक तरीके से बना है, कानूनी तरीके से यहां आया है और विधान के अन्दर आया है, यह कहना मेरे ख्याल से वाजिब नहीं है कि क्रीचर ऑफ दी गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल से सदन में कानून बन रहा है

( श्री नाथूराम मिर्धा )

उस पर विचार कर रहे हैं । उसके बाद भी विरोधी पक्ष के माननीय नेता का यह ख्याल आवश्यक नहीं है ।

श्री विजयसिंह झाला ( नाथद्वारा ) : कानून लाने की आवश्यकता क्या थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टेट के कन्सोलिडेटेड फंड से उसका खर्चा कर रहे हैं । विधान के अन्दर यह कानून एक्ट बनेगा । उसकी अगर आवश्यकता नहीं थी तो क्यों रखा गया, यह आपके विचार के लिए है और आपका समय किसलिए लिया गया है । आखिर में; यह कहना विरोधी पक्ष के नेता के लायक नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कानून लायक है अथवा नहीं वह सदन निर्णय करता है । इसमें उतावली करने की आवयश्कता नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): सदन की परम्परा को लिया गया है तो सही निर्णय रेकॉर्ड किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : जब वह निर्णय हो जायगा तो मालूम पड़ेगा कि वह लायक है या नहीं, I put the question again.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : दुबारा तो नहीं हो सकता है । जो एक बार आवाज हो गई उस आधार पर हां पक्ष की आवाज जोरदार है इसलिए संशोधन स्वीकार किया गया । उसके बाद में डिविज़न क्लेम किया जा सकता है । जब आप यह कहते हैं "हां" पक्ष की आवाज जोरदार है और ना पक्ष की आवाज कम है और संशोधन गिर गया तो जब "हां" पक्ष की आवाज जोर से हुई तो फिर दुबारा क्यों पूछते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मने इस विषय में निर्णय तो दिया नहीं । जोर की आवाज सुनी इसलिए मुझे थोड़ा भ्रम है ।

It is upto the Chair whether it should be put to vote again.

श्री विजयसिंह झाला : इसके पहले निर्णय देने की आवश्यकता है । इस प्रकार कितनी ही बार हुआ है जब कि विरोधी पक्ष की आवाज जोर से होती है तब कह दिया जाता है कि गिर गया । उधर से होता है तो दुबारा क्यों क्लेम किया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : इस बार पूर्णतः ध्यान रखेंगे ।

श्री मुकुटबिहारीलाल ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह कर दूं कि हम यहां पर एक डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन में बैठे हैं । हमें सदन की मर्यादा के अनुसार परम्पराएं बनानी हैं । जिन भावनाओं को लिए हुए गवर्नमेन्ट होती है हम समझते हैं कि चेयर अपने उच्च आसन से ऊपर उठ कर अपनी मर्यादा रखे, चाहे उसके फलस्वरूप गवर्नमेन्ट फेल हो जाय, चाहे रहे । आप की उच्च परम्परा इस किस्म की होनी चाहिये कि आप पार्टी छोड़ कर उस तरीके से देखें । यह स्पष्ट है कि उधर से केवल दो-तीन आवाजें थीं और इधर पूरे सदस्यों की आवाज थी । हम यह चाहते हैं कि चेयर से निर्णय हो । कन्वेन्शन के नाम पर सच्चाई के साथ नीति के आधार पर आपको आज्ञा सुनानी चाहिये और गवर्नमेन्ट पक्ष वाले डिविज़न क्लेम करते हैं तो उनको.........

# Page No.76



**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री विजयसिंह झाला ने क्लॉज २६ के अन्दर प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : यह तो बराबर की आवाज हो गई।

**श्री उपाध्यक्ष** : (राज्य पक्ष से) Do you claim division ?

(विराम)

हां पक्ष जीता।

**श्री नाथूराम मिर्धा (पशुपालन मन्त्री)** : आवाज पर यह फैसला कैसे हो सकता है कि 'हां' पक्ष जीता या 'ना' पक्ष जीता।

**श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)** : आप कोई डिविजन क्लेम करते।

**श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)** : मैं समझता हूं अध्यक्ष की आज्ञा है उसका पालन करना चाहिये।

**श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री)** : आपका जो निर्णय था, इधर बैठनेवाले उसकी इन्तजारी में थे कि 'हां' पक्ष जीता या 'ना' पक्ष जीता, उसके बाद ही हम डिविजन क्लेम कर सकते थे।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)** : उधर बैठने वाले सोते रहें तो चेयर उसके लिये जिम्मेदार नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

**श्री विजयसिंह झाला** : चेयर की तरफ से कह दिया गया था कि डिविजन क्लेम किया जाय। ऐसी अवस्था में जब डिविजन क्लेम नहीं किया गया तो 'हां' पक्ष जीता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर)** : 'हां' पक्ष के जीतने की घोषणा हो चुकी है। यह प्रोसीडिंग में देख लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : इस समय ध्वनि की आवाज से मुझे 'हां' पक्ष जीता मालूम होता है।

**श्री हरिदेव जोशी (घाटोल)** : We claim division.

(मत विभाजन घंटी)

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार केवल निर्णय सुनाया जाता है; किन कारणों से हुआ है, ध्वनि से हुआ है या हैण्ड्स गिनने से हुआ है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपने जो निर्णय दिया वह ध्वनि से मालूम होता है। So with due respect to the Chair, I may submit that these words are superfluous and they should not be taken as a precedent for the future.

**श्री उपाध्यक्ष** : I am inviting the attention of the Hon'ble Member to Rule 286 (2) which says "The Speaker shall then say: 'I think the Ayes or the Noes, as the case may be have it'. So he can say, "I think", if he is not very sure of a certain thing. That is why I said, "I think"

# Page No.77



( श्री उपाध्यक्ष )

अब मैं इस प्रश्न को एक बार फिर रखता हूं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ के अन्दर श्री विजयसिंह झाला ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकार किया गया।

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा): डिविज़न क्लेम हुआ है उस पर डिसीजन होना चाहिये। "'हां' पक्ष जीता," यह व्यवस्था पहले दे दी गई है।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): हम डिविज़न क्लेम करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : Under the Rules I have the liberty to ascertain whether one side or the other has it by any means, either by asking the Members to stand up or by voice vote or by other means. If ultimately it is to be done by division it can still be done by a divsion.

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ): But when the decision of the Chair is challenged......

**श्री उपाध्यक्ष** : The opposition is still at liberty to challenge. On many occasions, the opposition party has also claimed division and the question has again been put to voice vote, and if a division has not been pressed, then the voice vote has been accepted.

**श्री राधाकृष्ण गोयल** ( टोंक ): माननीय उपाध्यक्ष, यह जो राइट था डिविज़न क्लेम करने का वह चेयर ने एग्ज़ॉस्ट कर दिया, उसके बाद डिविज़न क्लेम किया। डिविज़न क्लेम करने का उस समय ही अधिकार था......

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! If you want to challenge it you are still at liberty to challenge it.

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : यह भी चैलेन्ज कर दिया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष** : दूसरे ध्वनि वोट में मैंने 'ना' पक्ष जीता कहा है। यदि आपको ऐतराज हो तो डिविज़न क्लेम कर दें।

**श्री भैरोंसिंह** : We claim division, Sir.

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : यह पहले ही क्लेम कर दिया गया है। हम डिविज़न क्लेम करते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : जो 'ना' पक्ष में हैं वे 'ना' लॉबी में जावें और जो 'हां' पक्ष में हैं वे 'हां' लॉबी में जावें।

( मत विभाजन के पश्चात् )

( ३·२३ म. प. )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! डिविज़न का निर्णय इस प्रकार है . . .

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी-बाजार, जयपुर) : On a point of order, sir, उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि परिणाम आप सुनायें, मैं एक व्यवस्था

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

यह चाहूंगा कि आपने जब यह आदेश दिया था कि 'हां' पक्ष वाले 'हां' पक्ष की लॉबी में जायें और 'ना' पक्ष वाले 'ना' पक्ष की लॉबी में जायें, उस आदेश के लगभग पांच मिनट पश्चात् तक 'ना' पक्ष की लॉबी खुली रही और कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्य कमरे के अन्दर दाखिल न होकर दरवाजे के बाहर खड़े रहे और वे इस बात के लिए मौका देते रहे कि और अन्यान्य माननीय सदस्य जो कांग्रेस पार्टी के हैं और जो बाहर या केन्टीन में थे, वे लॉबी में अलाउ हो जायं । मैं केवल दो नाम लेना चाहूंगा, जिनको मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा था और जो पांच मिनट के बाद आये थे — श्री मोतीलाल चौधरी और श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आपके आदेश के पश्चात् जो लॉबीज़ के किवाड़ खुले रह गये और उसके कारण कांग्रेस के माननीय सदस्य बाहर खड़े रहे और अनेक माननीय सदस्य आकर शामिल होते रहे और यह कार्यवाही कांग्रेस पार्टी में पांच मिनट तक चलती रही—यह संसदीय व्यवस्था और परम्परा के विरुद्ध है और यह जो डिविजन हुआ है यह नियमानुसार नहीं हुआ है । या तो उन कांग्रेस मेम्बर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाय और या फिर से व्यवस्थानुसार और परम्परानुसार डिविज़न कराया जाय ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : Rule 78 is very clear in respect of this. रूल ७८ के अन्दर साफ है और यह कन्वेन्शन रहा है कि लॉबीज़ में जाने के बाद जब तक लॉबी क्लोज नहीं रहती है और जब तक पूरे मेम्बर्स अन्दर जाते नहीं हैं तब तक मेम्बर्स जाते हैं। कोई बाहर का मेम्बर अन्दर नहीं आये, उसके लिए आइन्दा के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे डिविज़न का एक कन्वेन्शन है, पार्लियामेंट में है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कन्वेन्शन है कि जब तक लॉबीज़ क्लोज़ न हों और मेम्बर्स बाहर हों ....

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अमेरिका में क्या है ?

**श्री मोतीलाल चौधरी** : जब तक लॉबी ओपन है he has a right to give vote. रूल ७८ बहुत क्लीयर इसके बारे में है और जितने कन्वेन्शन्स हैं उनके अनुसार जब तक लॉबी खुली रहेगी, एनी मेम्बर अन्दर जा सकता है और पहले जितने डिविज़न्स हुए हैं उनमें भी ऐसा हुआ है ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय . . . .

**श्री भीमसेन** ( लूणकरणसर ) : इस स्थिति में कोई पोईन्ट रेज़ नहीं किया जा सकता है ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा का सवाल है । यह परम्परा चली है; मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अधिकतर जो लेजिस्लेचर में काम करने वाले अधिकारीगण हैं उनका नियंत्रण और निलम्बन सरकारी पक्ष के हाथ में होता है । होम मिनिस्टर, सरकारी पक्ष के और ट्रेज़री बैंचेज़ के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं । वे हाउस के बाहर खड़े रहे । बाहर खड़े रहे

( श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल )

और लोगों को आवाजें कसते रहे, बाहर से आवाज कसते रहे। मैं नहीं कहता कि उनका पक्ष नहीं जीते। वे जीतें और पचास वर्ष तक जीतें। इसकी बात नहीं है। यह परम्परा का सवाल है। हाउस की परम्परा टूटती है, हाउस का कन्वेन्शन टूटता है तो मैं समझता हूं कि यह कम से कम अच्छी बात नहीं होती। इसके बारे में उचित व्यवस्था दी जानी चाहिए। यहां पर एक माननीय सदस्य ने बाहर के देशों के कुछ उदाहरण दिये। मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्य को बहुत आदर के साथ कहना चाहूंगा कि वे परम्परा को नहीं जानते कि विदेशों में किस तरह की परम्परा है। हाउस में डिविजन की घंटी बजने के बाद तक लॉबी खुली रहे तब तक जा सकते हैं लेकिन हाउस के बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था फ्रांस में है, इस तरह की व्यवस्था इंग्लैंड और अमेरिका में है, इसी तरह की व्यवस्था स्विट्जरलैंड, जहां डाइरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है, में है। डेमोक्रेसी महान् मर्यादा और परम्पराओं के अनुसार चलती है। हाउस में परम्परा को मेन्टेन किया जाना चाहिए और हाउस को उच्च सत्ता माना जाना चाहिए। मैं कन्वेन्शन, परम्परा और व्यवस्था की रक्षा के लिए आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि हाउस के बाहर से आपका क्या मतलब है? जो व्यक्ति हाउस के बाहर है वह नहीं आ सकता?

**श्री मुकुटबिहारीलाल :** हाउस के बाहर से मतलब है कि हॉल की सीमा से जो बाहर हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं सूचना के लिए कहना चाहता हूं कि इस सदन के जितने सदस्य हैं अगर दस मील दूर भी हैं और समय पर आ पहुंचते हैं तो उनको किसी प्रकार बाधित नहीं किया जा सकता। वे मेम्बर हैं ही। बाकी, यह आखिरी निर्णय नहीं है। यह केवल अन्दर और बाहर की बात कर रहा हूं।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** ( जौहरी बाजार, जयपुर): ताली पीट रहे हैं!

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल :** सवाल यह है......

**श्री रघुनाथ विश्नोई** ( सांचोर ) : बाहर देख रहे थे तो......

**श्री रामानन्द अग्रवाल:** यह प्रश्न......

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please!

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** ( मांडल ) : आपने बाहर से आते हुए देखा है। अगर लॉबी बंद होती तो नहीं देखते। ये स्वयं चेष्टा कर रहे थे बाहर से; फिर शिकायत कर रहे हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष...

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा :** अगर लॉबी बन्द होती तो आप कैसे देखते?

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please!

Page No.80



**श्री गणपतिलाल वर्मा** (मांडलगढ़) : अगर लॉबी बन्द हो गई थी तो यह बात कैसे ......

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! Shri Ramanand Agrawal.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न, जो इस समय व्यवस्था के लिए उपस्थित हुआ है, बेशक चाहे इस डिविज़न के लिए महत्वपूर्ण न हो, परन्तु इस हाउस में, चूंकि जो भी व्यवस्था आप देंगे वह आइन्दा भी किसी भी डिविज़न के लिए लागू होगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक रूल्स इसके बारे में शायद साइलेंट हैं, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जब भी डिविज़न लॉबी में जाने पर किया जाय, तो लॉबी कितनी देर खुली रहेगी ; आया उसे बन्द करने की व्यवस्था नहीं है। क्या जब तक जरूरत हो तब तक कोई आ-जा सकता है ? इस बारे में चेयर की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए कि कितने मिनट तक लॉबी खुली रहेगी ? आज जिस तरह एक तरफ की लॉबी बन्द हो गई और दूसरी तरफ की खुली रही, यह अनइक्वल ट्रीटमेंट है और हमने महसूस किया है कि आइन्दा की व्यवस्था के लिए आप अपनी रूलिंग दें।

**श्री हरिदेव जोशी** (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय.........

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री हरिदेव जोशी।

**श्री हरिदेव जोशी** : जहां तक कांग्रेस पार्टी की मन्शा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की हर्गिज मन्शा नहीं है और न मन्शा थी कि किसी भी अवैधानिक तरीके से किसी सदस्य को अन्दर आने की इजाजत दी जाय। इसलिये पार्टी के लिये यह कहना कि लॉबी के किवाड़ इसलिए खुले रहे कि बाहर से सदस्य आ सकें, यह गलत है। और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यगण, जिनमें मैं भी एक था, बाहर इसलिए खड़े थे कि अन्दर भीड़ थी, काउन्टिंग हो रहा था और लोग अन्दर जा रहे थे। यह सभ्यता का तकाजा है कि किसी को धक्का देकर अन्दर नहीं जायं। सभी सदस्य अन्दर पहुंच गये तो लॉबी बन्द कर दी। उधर भी लॉबी बन्द कर दी, पर जिन माननीय सदस्य ने एतराज पैदा किया, जिस समय लॉबी बन्द थी वे बाहर थे और उसके बाद लॉबी के किवाड़ खोल कर अन्दर गये। मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे उन्होंने देखा वैसे ही मैंने देखा है।

( विरोधी पक्ष की ओर से शोर )

मैं आपकी नीयत पर आघात नहीं कर रहा हूं। अगर आप इन्कार करते हैं और अगर मैंने गलत देखा है तो मैं अपने शब्दों को वापिस ले लूंगा। आप कहिये कि स्थिति क्या थी ? मुझे यही अर्ज करना है कि जो प्रणाली इस सदन की रही है इस काउन्टिंग में भी वही प्रणाली रही है। आप इस सम्बन्ध में रूलिंग दे दीजिये; कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको स्वीकार करेगी। लॉबीज़ तब तक खुली रही थी जब तक कि सब लॉबी में नहीं चले गये।

यह कहना तो नितान्त वैसी चीज है, जिसे मैं कह नहीं सकता कि यहां की सर्विसेज़ गवर्नमेंट के द्वारा कन्ट्रोल नहीं की जाती हैं, इससे अधिक भ्रामक चीज और कुछ नहीं हो सकती कि काम करनेवाले लोगों ने किवाड़

( श्री हरिदेव जोशी )

इसलिये खुले रखे कि कांग्रेस पार्टी के लोग बाहर थे और वे अन्दर जा सकें। मैं पार्टी के चीफ व्हिप की हैसियत से अर्ज करना चाहता हूं कि आज इस डिविजन के कारण क्या परिणाम आने वाला है, यह किसी के ख्याल से बाहर नहीं था। तो इस तरह किसी पार्टी पर मोटिव इम्प्यूट करना ठीक नहीं होगा। तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो निर्णय आप देंगे वह हमें मान्य होगा।

( अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए। )

**श्री उपाध्यक्ष :** Anyone of you please.

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : माननीय उपाध्यक्ष......

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उपाध्यक्ष महोदय......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय,...

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** ( उपमन्त्री, शिक्षा ) : They are not able to decide between themselves. So I may have the chance, Sir,...

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं उन्होंने एक बात कही। अभी एक माननीय सदस्य जो मेरे बाईं तरफ़ बैठे हैं उन्होंने भी तर्क दिया कि मैं दरवाज़े के बाहर था, नहीं तो सरकारी पक्षवाले लोगों को कैसे देखता? मैं इतना स्पष्टीकरण कर दूं कि मेरी तरफ जाने वाले माननीय सदस्य, सम्भवतया गोकुलप्रसादजी, एक माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं, और चार, पांच माननीय सदस्य और थे जो सबसे पहले लॉबी में गये थे। मैं सबसे पहला सदस्य था जिसने रेकॉर्ड करने वाले लोगों को डिविज़न नंबर बताया था। सवाल यह उठाया गया कि मैंने बाहर से उस लॉबी में आने वाले लोगों को कैसे देखा? स्थिति यह है कि बाहर आने का प्रसंग इसलिए आया कि हमारे साथी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कांग्रेस के माननीय सदस्य के साथ चले आये थे पर श्री हरिदेव जोशी ने हमारी लॉबी में ट्रेस्पास किया। इसके लिये माननीय उपाध्यक्ष कार्यवाही करें। मैं नियम कोट करूंगा; उन्होंने हमारी लॉबी में ट्रेस्पास किया।

**श्री हरिदेव जोशी :** ट्रेस्पास कैसे किया?

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** जिस तरह कैटल को ट्रेस करते हैं उसी तरह से गोकुलप्रसादजी को वहां से उठा लाये। मैं निवेदन करूंगा कि उस समय जब उन्होंने यह कार्यवाही की तो लॉबी के किवाड़ दुबारा खोले। मेरा वोट रेकॉर्ड में है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना कि क्लर्क्स की गलती है, हमारा कोई आरोप इस तरह का नहीं है। हमारा आरोप इस प्रकार का है कि आप बाहर खड़े रहे, दरवाजे में जगह रोकली, आप आगे-बाहर खड़े रहे इसलिये अन्दर जाने को जगह नहीं रखी। आपकी और हमारी संख्या में ज्यादा अन्तर

( श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल )

नहीं है । एक आदमी का फर्क होगा । हम इतनी जल्दी घुस गये थे तो आपको लॉबी में घुसने में क्या दिक्कत थी? पर निश्चित बात यह है कि वहां तक लाइन बना कर खड़े रहे । हमारा आरोप किसी कर्मचारी पर नहीं है । हम व्यवस्था यह चाहते हैं कि डिविजन की घंटी लगने के बाद कितने टाइम बाद किवाड़ बन्द हो जाने चाहिए । एक मिनट, दो मिनट, दस मिनट जो भी आप व्यवस्था दें; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष सदैव उस निर्णय का आदर करेगा । आपकी अगर यह व्यवस्था हो कि मैं बाहर था तो मेरा वोट काट दिया जाय। उसी तरह मोतीलालजी चौधरी बाद में घुसे, गोकुल प्रसादजी और भैरवलालजी 'कालाबादल' और कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप बाद में घुसे, उनके भी वोट काटे जायं । कांग्रेस के चीफ व्हिप हमारी लॉबी में किवाड़ बन्द करने के बाद आये इसके लिए आप इनके वोट को खारिज करने की व्यवस्था दें।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य** ( उप-मंत्री, शिक्षा): मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, मैं इस प्रश्न पर जहां तक वैधानिक स्थिति है, प्रकाश डालना चाहूंगा । इसके पूर्व निवेदन करूंगा, लॉबी में जाने के प्रश्न पर, माननीय सदस्य 'Ayes' में, 'Noes' में बड़ी सरलता से गये, बाद में व्यग्रता, उग्रता की उत्पत्ति हुई, फिर भी मैं इसे उग्रता नहीं मानता । पर मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न सदन की कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी के बीच का नहीं है । प्रश्न यह एक ही डिसीजन पर आधारित है, यह है हाउस के प्रशासन का । जहां तक काउन्टिंग का प्रश्न है, किवाड़ बन्द करने का प्रश्न है, उसका सम्बन्ध कांग्रेस पार्टी से कतई नहीं है । इसका सीधा सम्बन्ध स्वतन्त्र दल, स्वतन्त्र प्रशासन से है, जिसका सम्बन्ध सेक्रेटेरियेट से है ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि यह इस प्रशासन से शिकायत है........

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** बिल्कुल गलत है ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न काउन्टिंग का है। किवाड़ समय पर बन्द किये गये, दस्तखत समय पर किये गये, इसका सम्बन्ध यहां के प्रशासन से है ।

हम बड़ी आसानी और स्नेह से इधर उधर गये हैं । माननीय गोकुलप्रसादजी का नाम आया । मुझे बड़ा दुख होता है, गोकुलप्रसादजी आप अपना स्टेटमेंट मत दीजिये । लेकिन यहां से लगा कर वहां तक नम्रता से इनको खींचते हुए ले जा रहे थे । हमने समझा कि मोहब्बत का तकाजा है । इसके बाद इतनी उग्रता आयेगी, यह अन्दाजा नहीं था । हम लोग कुछ थक गये हैं । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठा है । हमेशा ऐसें प्रश्न उठते आये हैं हमारे सेक्रेटेरियेट में ।

**श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : आपके जमाने में तो और भी अधिक उठे हैं ।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** मैं तो इसमें अपना निर्णय दे दिया करता हूं । यह वैधानिक स्थिति है, जो सम्यक् रूप से चलती रही है । दोनों तरफ के इसमें एक मत हैं ।

**श्री मानसिंह महार** ( आमेर ): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री मुरलीधर व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट इस संबंध में कहना चाहता हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अब अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

( शोरगुल )

**श्री मानसिंह महार** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कुछ कहना चाहता हूं ।

( शोरगुल )

**श्री मुरलीधर व्यास** : वह निर्णय....

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !! Order please !!

**श्री निरञ्जननाथ आचार्य** : Sir, you may give your Observations now.

( शोरगुल एवं व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !! Order please !!

( शोरगुल एवं अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए )

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** (नसीराबाद): जब तक तीन खड़े रहेंगे मैं खड़ा रहूंगा ।

( शोरगुल )

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपकी ओर से नाम नहीं सम्बोधित होगा तब तक दस खड़े रहेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री मुरलीधर व्यास ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ....

**श्री उपाध्यक्ष** : बहुत बहस हो चुकी है आप मुख्तसर ही फरमाइये ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : जहां तक व्यवस्था का सवाल है पहले भी कई दफा व्यवस्था दी जा चुकी है और वह इस प्रकार रही है कि जब डिविजन क्लेम हो जाय और चेयर की ओर से अन्तिम आदेश दे दिया जाय कि डिविजन हो तो जितने भी सदस्य-गण यहां सदन में उपस्थित होते हैं वे जिस पक्ष में जाना चाहें जा सकते हैं, ऐसी व्यवस्था चलती रही है । आदेश के बाद यदि कोई सदस्य लॉबी में प्रवेश करता है तो वह उचित नहीं है । आज ही जब डिविजन हुआ और आदेश के बाद लोग इधर से उधर लॉबीज में जाने लगे, मैंने प्रवेश भी किया, लेकिन मैं इसलिए बाहर निकल गया कि डिविजन का ऐलान हो चुका था । ऐसी स्थिति में मैं भी एक वोट दे दूं, यह अच्छा नहीं होगा । मैंने इसको अच्छा नहीं समझा और मैं बाहर निकल गया । यह एक बड़ी भारी बात है, विधान सभा में केवल एक वोट का ही फर्क है, इस प्रकार की यहां स्थिति है, उधर एक ही वोट ज्यादा है ....

**श्री निरंजननाथ आचार्य :** Point of order, Sir, this is a question of privilege, Sir. The Hon'ble Deputy Speaker has not announced the result and still he knows the result.

**श्री मुरलीधर व्यास :** इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो स्थिति है वह पहले से विपरीत है। एक वोट भी यदि कम होता है तो विरोधी पक्ष जो चाहता है वह चीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपकी ओर से जो पहले निर्णय था, उसके मायने हैं कि कभी भी कोई डिविज़न क्लेम किया जाय और चेयर से अन्तिम आदेश दे दिये जायं कि डिविज़न हो। इसके बाद कोई कहीं बाहर खड़ा हो या कहीं खड़ा हो, प्रवेश नहीं कर सकता है।

**श्री भीमसेन :** ऐसे ऑर्डर्स नहीं हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** व्यवस्था ऐसी हुई है पहले। यदि उसको नहीं मान्य करते हैं तो चेयर की ओर से व्यवस्था हो जानी चाहिये। सारे सदस्यगण चाहते हैं......

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष :** Order ! Order !! Order please !!

माननीय सदस्यगण मुझे अवसर देंगे तो मैं निर्णय दे सकूंगा।

**श्री मानसिंह महार :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** Order ! Order !! Order please !!

प्रश्न यह है कि एक लॉबी अधिक समय तक खुली रही और दूसरी बन्द हो गई और उस पर यह प्रश्न उठाया गया कि जो खुली रही उसमें बराबर सदस्य प्रवेश पाते रहे। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान रूल २८७ की ओर आकर्षित करूंगा। उसके सब-रूल्स हैं (१) से लेकर (६) तक। उनके अन्दर स्पष्टतया डिविज़न की क्या हद होनी चाहिये, वह उल्लिखित है। इसमें लॉबीज़ को कब बन्द किया जाय, यह कहीं उल्लेख नहीं किया गया है; बल्कि इतना और कहा गया है सब-रूल (४) में--

"A member who is unable to go to the Division Lobby owing to sickness or infirmity may, with the permission of the Speaker, have his vote recorded either at his seat or in the Lobby before the result of the Division is announced."

सब-रूल (५) में यह है : "If a member finds that he has voted by mistake in the wrong Lobby, he may be allowed to correct his mistake, provided he brings it to the notice of the Speaker before the result of the Division is announced."

तो डिविज़न का रिज़ल्ट अनाउन्स होने से पहले इतनी तक आजादी दी गई है प्रत्येक सदस्य को कि वह किस प्रकार से अपना वोट रेकॉर्ड करा सकता है; अथवा गलत वोटिंग कर दिया है तो सही करा सके और अपने वोट को रेकॉर्ड करा सके। हमें इसको इसी भूमिका में देखना होगा कि चुनावों के बाद ही जन प्रतिनिधि के नाते विधान सभा के सदस्य बन जाने से आपको अन्तर्निहित हक

( श्री उपाध्यक्ष )

हैं कि आप किसी विषय में इधर के पक्ष में या उधर के पक्ष में अपना वोट दें और उस अधिकार को सुरक्षित रखते हुए जो रूल्स बने हैं उनमें इस बात की चुप्पी सांधी गई है कि किस समय लॉबी को बन्द किया जाय और न किया जाय। कोई सदस्य किसी कारणवश बाहर रह गया है और उसको लाया जाय तो मैं समझता हूं कि वह बिल्कुल संगत है और उसके प्रिविलेज और हकों को अलाऊ करते हुए उसके बाद भी कोई सदस्य आये हैं तो उसमें कोई असंगत बात नहीं हुई है।

अब प्रश्न यह रहता है कि कांग्रेस पक्ष के व्हिप उस पक्ष में गये तो यह कहा गया कि वे क्रिमिनल ट्रेस्पासर हो गये। मैं यह कहूंगा ......

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** It may be something criminal, but not trespass.

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please !

मैं यह कहूंगा कि यदि मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस को भी आप देखें, और भी कई परम्पराओं को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इधर या उधर के व्हिप्स को शंका अथवा एतराज हो तो वे इधर या उधर जाकर वोटिंग को चैक कर सकते हैं। इसलिए अगर इधर के व्हिप किसी संशय से गये तो क्रिमिनल ट्रेस्पासर नहीं हो जाते हैं। वे अपने हक में गये हैं। आपको अधिकार था कि अपना व्हिप भेजते और चैक कराते। आपको यह लगता है कि यह संशयात्मक बात हुई तो आपका व्हिप आजाद था कि उस बात को चेयर के सामने लाते। आप इस बात को लाना अनुचित समझते हैं और इस रूलिंग के अनुसार......

( शोरगुल )

**श्री मुरलीधर व्यास :** आपकी रूलिंग के अनुसार, आपकी जो यह व्यवस्था है उसके अनुसार मेरा वोट उसमें शामिल कर लिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं आपका यह वोट रेकॉर्ड करता हूं।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :** On a point of order, Sir, I object to this inclusion.

**श्री उपाध्यक्ष :** No, it is quite all right.

जब तक रिज़ल्ट अनाउन्स न हो तब तक किसी मेम्बर ने वोट नहीं दिया है और रह गया है तो स्पीकर की इजाजत से दे सकता है।

आप किसमें देना चाहते हैं ?

( शोरगुल )

**श्री मुरलीधर व्यास :** 'हां' पक्ष में।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** उपाध्यक्ष महोदय......

**अनेक माननीय सदस्य :** चेयर के रूलिंग को चैलेन्ज कर रहे हैं।

**श्री मानसिंह महार (आमेर) :** एक और नाम एड कर लीजिये।

# Page No.86



**श्री उपाध्यक्ष :** मैं इस प्रकार एड नहीं कर सकता।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** उपाध्यक्ष महोदय, काफी वोट रह गये हैं।

( शोरगुल )

**श्री मुरलीधर व्यास :** आपकी ओर से रूलिंग दिया जा चुका है, मेरा वोट उसमें आ गया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** इसके सब-रूल (६) को सुन लीजिये।

" When the Division Clerks have brought the Division lists to the Table, a member who has not upto that time recorded his vote but who then wishes to have his vote recorded may do so with the permission of the Speaker before the result of the Division is announced."

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** आपको यह देखना जरूरी है कि उसने वोट किया है या नहीं ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :** लिस्ट उपाध्यक्ष महोदय की टेबल पर है।

( शोरगुल )

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** मेरा सबमिशन यह है.........

**श्री उपाध्यक्ष :** Now I shall first announce ... ..

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, ..... .

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** My point of order must be taken into consideration first.

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** That is the point of disorder.

**श्री भैरोंसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं......

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरी तरफ निगाहें हैं, आप बैठ जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक रूल्स का प्रश्न है, जो व्यवस्था उसमें दी है उस व्यवस्था का जिस तरह से उपयोग होना चाहिये उसके लिये कोई प्रोसीजर होना चाहिये, नहीं तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यहां पर दिक्कत यह है कि यह हाउस इस तरह का बना हुआ है जिसमें इन रूल्स का पूरी तरह उपयोग नहीं कर सकते। व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जिस समय डिविज़न की घंटी होती है उस समय सब माननीय सदस्य हाउस में आ जायं और हाउस के सब दरवाजे उसके बाद क्लोज़ कर दिये जायं। दरवाजे क्लोज़ होने के बाद 'एज़' वाले 'हां' पक्ष की लॉबी में जायं और 'ना' पक्ष वाले 'नोज़' की लॉबी में जायं। उनके लॉबीज़ में जाने के बाद वहां जो वोट करें वह रिज़ल्ट आपकी टेबल पर आना चाहिये। लेकिन आपका जिस प्रकार का रूलिंग हुआ है वह शिरोधार्य होते हुए भी मेरा यह निवेदन है कि आपने उसके बाद भी वोट को रेकॉर्ड करने के अधिकार को माना है वह आपने रोज की XXXX खोल दी है......

---

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : XXXX शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस शब्द को वापिस लिया जाना चाहिए। It is an insult to the Chair.

**श्री मानसिंह महार** : लफ्ज XXXX मोस्ट अन-पार्लियामेन्टरी है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : इस XXXX से तो बड़ी जिल्लत हो रही है।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस में है......

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !!

( शोरगुल )

**अनेक माननीय सदस्य** : XXXX शब्द को एक्सपन्ज किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : Order ! Order !!

**श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : श्री गोपीलाल गोठवाल का नाम भी एड कर दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir.........

**श्री विजयसिंह झाला**: श्री गोविन्दसहाय का नाम भी एड कर दिया जाय।

**श्री भैरोंसिंह** : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी जो रूलिंग दी है वह सदन को मान्य है, उसको मैं किसी प्रकार भी चुनौती नहीं देता। आपने कुछ बातों को लेकर बताया है, मैं ऐसा समझता हूं; रूल्स का जिस प्रकार से इन्टरप्रिटेशन किया है उस इन्टरप्रिटेशन में हमें इस हाउस के कन्वेन्शन्स को भी ध्यान में रखना चाहिये, रूल्स स्ट्रिक्टली फोलो होने चाहिये। रूल्स के जो डिटेल्स होने चाहिये वे रूल्स में नहीं हैं। डिटेल्स जहां नहीं होते हैं वहां कन्वेन्शन को फोलो किया जाता है। पार्लियामेन्ट, हमारी लोक सभा में जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार इस सदन ने भी उन परम्पराओं को निभाया है। मैं समझता हूं वह परम्परा इन रूल्स के अन्तर्गत हैं। मुझे याद है, हमारे भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने एक बार जब लॉबी में जाकर वोट दिया, उस समय इस सदन में आपत्ति उठायी गई थी, उस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि लॉबीज़ के बन्द हो जाने के बाद लॉबी में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। उस समय आशय यह था कि सदन के सदस्य को वोट देने का अधिकार है लेकिन उस तरह लॉबी में जाकर नहीं, अगर किसी कारणवश वह वोट नहीं दे सका है तो वह स्पीकर महोदय को कह सकता है और अपना वोट रेकॉर्ड करवा सकता है। यह गलत परम्परा होगी, एक बार हाउस की लॉबीज़ बन्द हो जाने के बाद अकारण ही कोई बाहर रह जाय और उसको इस तरह वोट का अधिकार दिया जाय। इस तरह की वोट रेकॉर्ड करने की परम्परा कर दी गई तो इसका अन्त नहीं होगा। आपने जो रूलिंग दी है उसके लिये मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन निहायत नम्रता के साथ अर्ज करूंगा कि यह रूलिंग अब तक के कन्वेन्शन के अनुसार नहीं है। इससे आयन्दा के लिये गलत प्रिसीडेन्ट कायम हो जायगा।

**श्री मानसिंह महार** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं......

---

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**श्री उपाध्यक्ष :** जो शब्द माननीय श्री ज्वालाप्रसादजी ने XXXX कहा है वह शब्द, विरोधीपक्ष की यह मन्शा है, कि अन-पार्लियामेन्टरी है, तो इसको एक्सपन्ज कर दिया जाता है।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** Point of order, Sir, it is the observation of the Chair that will count, and not the opinion of the opposition,

**श्री उपाध्यक्ष:** The Chair's observation has been given.

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** एडीशनल डिफीकल्टी का यह ट्रान्सलेशन है।

**श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :** यहां ट्रान्सलेशन की क्लास बना दी जाय।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा :** डिक्शनेरी देखने से यह पता चलता है, एडीशनल डिफीकल्टी का ट्रान्सलेशन यही है। मैं यह निवेदन कर रहा था, जिस प्रकार का निर्णय आपकी ओर से हुआ है उससे एडीशनल डिफीकल्टी क्रिएट हो जायगी आयन्दा के लिये। इसलिये मैं चेयर से पूछना चाहता हूं कि यह व्यवस्था आप देते हैं तो इससे काफी दिक्कतें पैदा हो जायंगी। जिस समय डिविज़न बैल बजती है उस समय सब सदस्यों के आने के बाद यहां के सब दरवाजे बन्द कर दिये जाने चाहिए। उसके बाद किसी ने वोट किया या नहीं किया अन-टू-वर्ड्स सर्कम्स्टान्सेज़ के अन्दर कानून को काम में नहीं ला सकते।

**श्री जगनसिंह** (दांता रामगढ़): वोटिंग को ऑब्सट्रेन किया है......

**श्री उपाध्यक्ष :** Order! Order!! The Chair is on its legs. जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर माननीय ज्वालाप्रसाद ने रखा है उस विषय में रूल २८७ का सब-रूल (६) है वह बहुत स्पष्ट है :—

"When the Division Clerks have brought the Division Lists to the Table, a member who has not upto that time recorded his vote but who then wishes to have his vote recorded may do so with the permission of the Speaker before the result of the Division is announced."

इस विषय में कोई व्यवस्था बदली जाती है तो रूल्स को अमेन्ड करना पड़ेगा। रूल्स के अन्तर्गत जिन एक सदस्य ने नाम बढ़वाया है उसको इन्कार नहीं कर सकते।

**श्री मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो रूलिंग दी है, वह शिरोधार्य है। मगर मैं कुछ नम्र निवेदन करना चाहता हूं। लॉबीज़ खुली रहें या बन्द रहें, इसके बारे में रूल्स में नहीं बताया गया है। मगर जब स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर लॉबीज़ को क्लीयर करने का ऑर्डर देता है, दो मिनट तक जो घंटी बजती है उसके बाद कन्वेन्शन यह रहा है पार्लियामेन्ट का और हाउस ऑफ कॉमन्स का और यहां भी सदन का कन्वेन्शन रहा है और जब लॉबीज़ क्लीयर हो जाती हैं उसके बाद में सदन के अन्दर जो सदस्य हैं उनके लिये सदन का दरवाजा बन्द हो जाना चाहिये। लेकिन अपनी लॉबीज़ का स्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है जिसकी वजह से लॉबीज़ को बन्द करने या न करने का प्रोविजन नहीं है। टेलर जाकर देख ले, कोई

---

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

( श्री मथुरादास माथुर )

बैठा हुआ तो है नहीं उसके बाद में हाउस के दरवाजे बन्द हो जाने चाहियें। उसके बाद एक एक सदस्य टेलर के सामने से पास होता हुआ अपना नाम दर्ज कराता रहे। दरवाजा खुला रहता है तो उसको प्रिविलेज है अन्दर आने का मगर वह हाउस में उस वोट को रेकॉर्ड नहीं करा सकता। हाउस का दरवाजा खुलने के पश्चात् कोई भी मेम्बर चाहे कि वह अपना वोट रेकॉर्ड करा ले तो वह नहीं करा सकता। लेकिन गलत तरीके से अगर नाम दर्ज हो गया है तो उसकी अपील लेकर स्पीकर के पास जा सकता है और उसको करेक्ट करा सकता है। रिजल्ट अनाउन्स होने के पश्चात् उसमें करेक्शन नहीं हो सकता। अपनी पार्लियामेन्ट और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी यही परम्परा है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि यही स्वस्थ परम्परा है। अगर हाउस के अन्दर फिर वोट को रेकॉर्ड कराने का मौका मिलेगा तो उससे असुविधा ही होगी। इससे जब भी चाहे मेम्बर्स को बुलाया जा सकता है और डिविज़न कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा। दरवाजा जब तक हाउस का बन्द न हो तब तक के समय को हम मानेंगे तो उसी में सुविधा होगी।

(४. म. प.)

**श्री मानसिंह महार :** उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी तो मौका मिलना चाहिये।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** यदि आसन का निर्णय, ट्रेडीशन्स; हमारी परम्पराओं और ऑब्जर्वेशन्स के अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह प्रश्न नहीं है, पर एक मैं सुझाव और देना चाहता हूँ।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) **:** उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी की सारी रूलिंग को चैलेन्ज करने जा रहे हैं।

**श्री निरन्जननाथ आचार्य :** यह महत्वपूर्ण निर्णय है। यह मदर ऑफ दी पार्लियामेंट के निर्णयों और परम्पराओं के आधार पर है, जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। ऐसी स्थिति में निर्णय के विरुद्ध अपील lie होती है, if the question is constitutional or relating to traadition or usages.

तो अपील लाई lie होती है हाउस को। अगर इस विषय को अपील के तौर पर रख दें और उस पर निर्णय ले लिया जावे हाउस का तो हमारी परम्पराएं जो कुछ भी हैं, आपका निर्णय भी जो है, उनके आधार पर भी और व्यवस्थाओं के आधार पर भी रह जायगा; यह व्यवस्था है। ऐसी अपील सदन को होती है कॉम्प्लीकेटेड मामलों में।

**श्री मानसिंह महार :** माननीय उपाध्यक्ष, एक मिनट . . . .

**श्री उपाध्यक्ष :** I shall allow you only one minute.

**श्री मानसिंह महार :** अगर रीज़नेबल कहूं तो दो भी कर सकते हैं। जिस वातावरण में यह प्रश्न उठा वह आज कोई महत्व का नहीं है, न कांग्रेस भाइयों पर आक्षेप है। मैं निवेदन करूं कि हमेशा के लिये आज जो भी रूलिंग दें वह बहुत सोच-समझ कर दें तो ठीक है; नहीं तो यह प्रश्न हमेशा के लिये

( श्री मानसिंह महार )

बड़ा दिक्कत का होगा । जब डिविज़न बैल बजती है तो वह दो, तीन मिनट तक बजती है । इतनी देर में सबको आगाह किया जाता है कि अपनी अपनी सीट पर आ जावें । उस बैल के बन्द होते ही यह ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है कि the doors are closed और यह होने के बाद आप प्रश्न पुट-अप करते हैं हाउस के सामने । और अगर डिविज़न मांगा जाता है तो फिर किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं होता कि बाहर से अन्दर आए । यह कन्वेन्शन आज तक यहां पर १९५२ से ५७ तक रहा ।

**श्री रामकिशन** : १९५७ से अब तक क्या हुआ ?

**श्री मानसिंह महार** : मैं यहां १९५७ तक रहा और पार्लियामेंट में भी दो चार बार गया और वहां भी डिविज़न देखा तो वहां पर भी यही चीज देखी । इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कॉमन्स के बारे में भी कई अंग्रेजों से बात की थी . .

( शोरगुल )

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : मैं तो वहां खुद देख कर आया हूं . .

**श्री मानसिंह महार** : मेरा अंग्रेजों से बहुत सम्पर्क रहा है । तो मैं निवेदन कर दूं कि वहां पर भी यही चीज है । अगर इस प्रकार का प्रिसिडेन्ट कायम कर दें कि एक आदमी ने आकर कहा, वह जो रूल्स में जो चीज है, अगर कोई आदमी ठीक ढंग से वोट न दे या वंचित रह गया हो या ग़लती से इधर उधर चला जावे तो वह अपने को करेक्ट करा सकता है । कोई बाहर खड़ा रह जावे तो भी वाजिब है । पर बाहर से आ-आ कर कहने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जावेगी; क्योंकि इस विधान सभा में हममें केवल एक का अन्तर है और आज तो जब कि हमारे स्पीकर नहीं हैं और चेयर पर आप हैं तो मामला बराबर का भी है । तो........

**श्री उपाध्यक्ष** : You have made the point very clear to me. You will now allow me to announce the result.

**श्री मानसिंह महार** : मैं आशा करूंगा कि मेरे विचारों को सुन कर आप उचित निर्णय लेंगे ।

**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (आसपुर): Mr. Deputy Speaker, Sir, in my humble opinion you have given your decision in accordance with the provisions of Rule 287, I think any more arguments on this issue is just hair splitting and aimless,

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने अभी जो निर्णय दिया था यह केवल इस विषय में था कि एक लॉबी खुली रहो और एक बन्द रही तो उसमें प्रवेश कोई प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। इस विषय में मैंने रूल्स को आपके सामने इन्टरप्रेट करके उसके मुताबिक जो रूलिंग थी पेश की। इसके पश्चात् एक बात यह उठाई गई थी कि आया एक पक्ष का वोटर दूसरे के कमरे में जा सकता है या नहीं। उस विषय में भी मैंने परम्परा को यहां कोट करके बताया।

अब डिविज़न रिज़ल्ट में पहले अनाउन्स करता हूं और इसके पश्चात् जो अभी का प्रश्न है उसके विषय में मैं आपको अपना निर्णय निवेदन करूंगा।

अभी जो डिविज़न हुआ उसका निर्णय इस प्रकार है :

हां पक्ष ४५

ना पक्ष ५६

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' पक्ष के सदस्य :

श्री ए. जब्बार
श्री बालूराम चौधरी
श्री भैरोंसिंह
श्री छत्रसिंह
श्री चोसरसिंह बाबेल
श्री दयाचन्द सौन
श्री डूंगाराम राजोरिया
श्री दुर्गालाल बाढ़दार
श्री फ़तेसिंह
श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल)
श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
श्री हीराभाई
श्री जयनारायण सालोदिया
श्री ठा० जीवराजसिंह
श्री जोधसिंह चौहान
श्री केदारनाथ
श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
श्री लक्ष्मीचन्द
कु० श्री महेन्द्रसिंह गॉवड़ी
श्री मानिकचन्द सुराणा
रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री मावा
श्री मोहरसिंह राठोड़
श्री मूलचन्द चौधरी
श्री मुकुटविहारीलाल गोयल
श्री नाना राठोड़
मास्टर श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़)
श्री नत्थीलाल
श्री प्रभूलाल 'सेन्टर'
श्री राधाकृष्ण गोयल

# Page No.92



( श्री उपाध्यक्ष )

श्री रामानन्द अग्रवाल
श्री रामकिशन.
श्री रामसिंह
श्री श्रवणलाल
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्री सतीशकुमार शर्मा
श्री शिवनारायण छाछिया
श्री श्योपतसिंह
श्री उदयलाल वर्दिया
श्री उमरावसिंह ढाबरिया
श्री विजयपाल कटारा
श्री विजयसिंह झाला
श्री विट्ठल

विभाजन के अनुसार 'ना' पक्ष के सदस्य :

श्री अलदाराम मेणा
श्री बरकतुल्ला खां
श्री भगराज चौधरी
श्री भवानीशंकर नन्दवाना
श्री भीखाभाई
श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
श्री भीमसेन
श्री भीमसिंह
श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
श्री देवीलाल मीणा
श्री धर्माराम आर्य
श्री दिनेशराय डांगी
श्री गणेशलाल
श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डोली)
श्रीमती गौरी पूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री गोकुलचन्द
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
श्री गोविन्दसिंह (पिडावा)
श्री हनुमानसिंह चौधरी
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
श्री हरिराम घारू (सिवाना)
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हरलाल
श्री जगनसिंह
श्री जयकृष्ण शर्मा
श्री जेठमल बरबड़
श्री जुझारसिंह
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
श्रीमती कमला बेनीवाल
श्री कानाभाई नुवाल
श्री केशरीसिंह जोजावर (खारची)
श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
श्री लालाराम
श्री माधोलाल खानपुरिया
श्री मजलिसखां
श्री मालमसिंह
श्री मथुरादास माथुर
श्री मोतीलाल चौधरी
श्रीमती नगेन्द्रबाला

( श्री उपाध्यक्ष )

श्री नाथूराम (बागीडोरा)
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरंजननाथ आचार्य
श्रीमती निर्मलादेवी नाहर
श्री परसराम मदेरणा
श्री फूलचन्द जैन
डॉ० पोहूमल ईसरदास
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रघुनाथ बिश्नोई
श्री रामप्रसाद लढ्ढा
श्रीमती सुमित्रा
श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
श्री तेजाराम गहलोत
कुमारी उमा माथुर
श्री विरधाराम फुलवारिया ]

इसके पश्चात्, जो इस समय अभी सब-रूल (६) के मुतल्लिक वाद-विवाद हुआ और जो इश्यू उठाया गया उस विषय में मैं कहूंगा कि वास्तव में सब-रूल (६) में यह बिल्कुल स्पीकर के डिस्क्रीशन पर छोड़ा गया है कि वह किसी वोट को रेकॉर्ड करे या न करे। अब केवल यह देखना है कि उप-खंड (४) या (५) के अन्तर्गत अगर कोई वाकई अशक्त है अथवा किसी प्रकार से बाधित है अपना हक इस्तेमाल करने में, तो वह उसको अवकाश दे सकते हैं। पर यह नहीं हो सकता कि मेज के ऊपर सारा नतीजा आये बाद एक के बाद दूसरा अपना नाम लिखवाता रहे। और जो मैंने इस विभाजन पक्ष का निर्णय दिया है वह उसी को मद्देनजर रखते हुए दिया है, कोई नया वोट इसमें रेकॉर्ड नहीं हुआ है।

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : आपने पहले व्यवस्था दी थी, उसके अनुसार . . . .

**श्री मोतीलाल चौधरी** ( डीडवाना ): इस पर निर्णय हो चुका है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने व्यवस्था दी है उस पर मैंने वोट रेकॉर्ड कराया है। अब या तो कहिये व्यवस्था ठीक नहीं थी, या कहिये ठीक थी।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने व्यवस्था इस प्रकार की नहीं दी थी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : दी थी और इसके बाद वोट रेकॉर्ड हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैंने कहा था कि मैं रेकॉर्ड देखता हूं, लिस्ट देखता हूं। सारे तथ्यातथ्य को तोलने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचा था कि इसका कोई अन्त नहीं रहेगा कि एक तरफ से एक लूं और दूसरी तरफ से चार लूं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : तो इसमें सुधार कर दीजिये।

(एक साथ अनेक माननीय सदस्य बोलने लगे)

(कोलाहल-अश्रव्य)

**श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):** व्यवस्था सही होते हुए भी उसको अमेन्ड करके यह व्यवस्था दे रहे हैं और उसमें संशोधन भी किया है। पहले आपने यह कहा कि अगर हम इसको रखेंगे तो हमको नियम को बदलना पड़ेगा। यह बात सही है और हाउस का भी मूड यह है कि बाद में बहस होने के बाद और व्यवस्था इस तरह खुली रखने के बाद दिक्कतें पेश हो जावेंगी। तो चेयर को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, पहली व्यवस्था में संशोधन करने में यदि पहली व्यवस्था जल्दी में दी गई मानते हैं तो, वर्ना वास्तविकता तो यह है कि पहले व्यवस्था दे दी गई। वोट रेकॉर्ड कर लिया गया और बाद में व्यवस्था में चेन्ज किया जा रहा है। चेन्ज किये जाने में आपत्ति नहीं है; पर फैक्ट जैसे हैं वैसे ही रेकॉर्ड होने चाहियें।

**श्री उपाध्यक्ष:** मैं यह निवेदन करूंगा कि कोरा रूल्स का इन्टरप्रिटेशन पेश किया था मैंने। रूल्स के अन्तर्गत अगर इसको करना है तो रूल्स को बदलना पड़ेगा; पर इसमें इन्टरप्रिटेशन मौजूद है, उसके पीछे रही हुई भूमिका को देखना पड़ेगा। इसलिये उस भूमिका के अनुसार ही निर्णय पर पहुंचना पड़ेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास:** वही तो आपने निर्णय दिया है पहले।

**श्री उपाध्यक्ष:** I don't think now there is any need for further discussion.

इस बहस का कोई अर्थ नहीं।

**श्री मुरलीधर व्यास:** इस बहस का बड़ा भारी अर्थ है। एक व्यवस्था दे चुके हैं, दूसरी दे दी। इसके मायने?

**श्री उपाध्यक्ष:** मैंने व्यवस्था नहीं दी, आप प्रोसीडिंग देख लें।

(शोरगुल - अश्रव्य)

**श्री मुरलीधर व्यास:** कोई चोरी नहीं की है... ठीक बात है...

(व्यवधान : अश्रव्य)

व्यवस्था के अनुसार तब मैंने खड़े होकर कहा कि मेरा वोट भी रेकॉर्ड किया जावे। इसके बाद में रेकॉर्ड किया।

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल):** यह कहां व्यवस्था दी गई थी? यह कहा गया था कि चाहें तो नाम जोड़े जा सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास:** यह बात मत कहिये आप।

(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष:** Order please! Order please!!

**श्री मुरलीधर व्यास:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुद वोट नहीं देना चाहता था। मैं यहां से चला गया था, परन्तु आपकी व्यवस्था के कारण अपना वोट दिया है।

**श्री उपाध्यक्ष:** मैंने जो पहले कहा था आप प्रोसीडिंग्ज को मंगाकर देख सकते हैं; उसके अन्दर भी अपनी अनुमति प्रकट की थी कि अगर इस प्रकार का मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं तो रूल्स को चेन्ज करना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक कोई समय निर्धारित नहीं है कि किस समय लॉबीज़ को बन्द कर दिया जाये अथवा नहीं किया जाये।

**श्री मुरलीधर व्यास :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि हो सकता है कि मैं गलत होऊं लेकिन मेरा दिमाग ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मामले में आपके निर्णय के अनुसार ही मैंने अपना वोट रेकॉर्ड कराया है। आपने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दी है, अगर नहीं दी होगी तो वह रेकॉर्ड में यहां है ; अगर नहीं दी है तो वह रेकॉर्ड में मिल जायेगी। वह रेकॉर्ड आप देख लीजिये और फिर व्यवस्था दीजिये, मैं उसको मान लूंगा।

**श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि चेयर की तरफ से ऐसा रूलिंग हुआ था कि कोई सदस्य १० मील दूर भी है और समय पर आ पहुंचता है तो उसको मतों की गिनती में शामिल किया जायेगा और इसी आधार पर माननीय सदस्य श्री मुरलीधरजी व्यास ने वोट रेकॉर्ड कराया और चेयर की तरफ से भी इसकी अनुमति प्रदान की जा चुकी थी। तो १० मील की दूरी और उसकी सदस्यता के आधार पर चेयर की तरफ से रूलिंग देकर यह व्यवस्था दी जा चुकी है कि प्रोनाउन्स करने के पहले अपना मत रेकॉर्ड करने का अधिकारी है।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please ! There is no point in discussing this.

तब तक दूसरा जो संशोधन क्लॉज २६ के अन्तर्गत श्री गंगासिंहजी का है. . . .

**श्री मुरलीधर व्यास :** उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपने क्या व्यवस्था दी ?

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रोसीडिंग्ज मंगाई जा रही हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास :** यह व्यवस्था मौजूद है कि आपने इस संबंध में पहले व्यवस्था दी है।

**श्री मोतीलाल चौधरी :** आप सुनते तो हैं नहीं।

**श्री उपाध्यक्ष :** Order please ! I am just consulting the proceedings.

**श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :** माननीय सदस्य बोलते ही बोलते हैं, सुनते ही नहीं हैं इसलिए यह गड़बड़ होती है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस बात है।

**श्री उपाध्यक्ष :** इसलिए ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं प्रोसीडिंग्ज मंगा रहा हूं। यदि ऐसी व्यवस्था है तो I am open to correction.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद दिलाऊं कि गृह मंत्रीजी उठे तो उन्होंने यही कहा कि आपने जो रूलिंग दी वह शिरोधार्य है, लेकिन उससे दिक्कत होगी। यही बात माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने भी कही थी कि आपने जो रूलिंग दी है वह शिरोधार्य है, लेकिन उससे दिक्कत होगी और तीसरे माननीय सदस्य ने भी यही कहा तो आपने पहले रूलिंग दे दी थी जो अब आप बदल रहे हैं। तो ऐसा ही कह दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : I reserve the ruling till I consult the proceedings. Meanwhile I proceed with the next amendment by Shri Ganga Singh.

**श्री गंगासिंह राठौड़** ( जायल ) : I press it.

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ में जो संशोधन श्री गंगासिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ।

( अस्वीकृत )

संशोधन अस्वीकार किया गया

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६ विधेयक का अंग बने ।

( स्वीकृत )

खंड २६ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया ।

( विराम )

खंड २७ और २८

**श्री मुकुटबिहारीलाल** ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि क्लॉज़ २७ को अलग से लिया जाये और २८ को अलग से लिया जाये; क्योंकि क्लॉज़ २७ को बिल्कुल ही हटाने के लिए कह रहा हूं ।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके लिए पहले आपको नोटिस देना चाहिए ।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं कहता हूं कि क्लॉज २७ को अलग ले लें और दूसरे क्लॉज़ेज़ को अलग ले लें ।

उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २७ के तहत एक प्रोविज़न किया गया है, उसके अन्दर यह बात कही गयी है कि जितने कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं उनमें किसी भी मैटर पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जायेगा । इसका मतलब यह होता है कि क्लॉज़ २६ के तहत एक बात स्वीकार कर चुके हैं और वह यह स्वीकार कर चुके हैं कि कौंसिल जो निर्णय करेगी उसकी अपील सरकार में होगी । इसके मायने यह हैं कि कौन्सिल में बहुमत होगा सरकारी पक्ष के लोगों का । इसके मायने यह हुआ कि सरकार अपने दृष्टिकोण से उस अपील में जो व्यवस्था करेगी वह करेगी ही । इसके मायने यह हुए कि क्लॉज़ २७ के अन्दर फिर भी आगे के दरवाजे बन्द कर दिये जा रहे हैं । क्लॉज़ २७ के तहत यह बात कही गयी है "No suit or other legal proceedings shall lie..."

'shall' वर्ड यूज़ किया गया है । इसके मायने मेन्डेटरी हैं; इसके और मायने नहीं हो सकते "... . lie in respect of any act done in the exercise of powers conferred by this Act on the State Government or the Council or any of it's members or office-bearers."

इसके मायने यह हुए कि चाहे कितने ही गलत काम करें– उनके कर्त्तव्यों को हम चैलेन्ज अदालतों में नहीं कर सकेंगे । इस संबंध में इस तरह की व्यवस्था है । मैं आपका - मिनिस्टर इन–चार्ज का उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कौंसिल के गठन की जो धारा ३ है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि यह कौंसिल कॉर्पोरेट बॉडी होगी:—

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

"body corporate having perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued."

इसके मायने यह हुए कि कौंसिल के गठन के बारे में यह बात कही गयी है कि यह जो कौंसिल होगी उसमें लीगल पर्सन्स होंगे। लीगल पर्सन्स की हैसियत से हम कौंसिल के नाम पर दावा कर सकेंगे। कौंसिल अपने नाम पर दूसरे व्यक्तियों के ऊपर दावा कर सकेगी। हमारी इस प्रकार की भावना है तो धारा २७ के द्वारा फिर से इन दरवाजों को बन्द कर दिया। मैं समझता हूं कि यह हमारी फण्डामेन्टल लिबर्टी का भी सवाल है। इस तरह से हम अदालतों के दरवाजों को बन्द करते चले जायेंगे तो यह फण्डामेन्टल अधिकारों को छीनने की बात है। इसलिए यह क्लॉज़ बिल्कुल ही डिलीट कर दिया जाना चाहिए। इसके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा प्रोविज़न नहीं किया जाना चाहिए। जनतन्त्र के अन्दर अदालतें गार्ड्स के रूप में होती हैं और जनता के अधिकारों की रक्षक होती हैं। खासतौर से ऐसी स्थिति में जो प्रोविज़न कर लिया तो जो व्यक्ति आवेंगे उनके अधिकारों को किक-आउट किया जायेगा खण्ड २५ और २३ के अनुसार ऐसा ही निर्णय सरकार लेगी और अदालतों में जाने से रोकती है और खण्ड २७ के तहत हमारे मूलभूत अधिकारों पर भी कुठाराघात करना चाहती है कि अदालतों में नहीं जायें। यह बहुत ही सन्देहास्पद बात आती है। इसकी मिसाल तो यह है कि मारो और रोने भी न दो। वह एक मिसाल है कि मारें तो मारें और रोने का सवाल आये तो कहें कि रोओ मत। चुप! यह कॉन्स्टीट्यूशन के मूलभूत सिद्धान्तों के भी खिलाफ है, अगर आज इस जनतन्त्र के युग में इस प्रकार की तानाशाही युग की व्यवस्था रखें। मैं समझता हूं कि आज के आधुनिक युग में फ्रान्स की बात होती, पाकिस्तान में कोई व्यवस्था होती, सालाजार के समय पुर्तगाल में ऐसा होता तो हम मान लेते, लेकिन हम तो स्वतन्त्र भारत में स्वतन्त्र राजस्थान की विधान सभा द्वारा कोई बात पास करने जा रहे हैं। हम अयूब के शासन में नहीं बैठे हैं जिसमें कि कौंसिलों के निर्णय बिल्कुल अहम होंगे और उनको हम अदालतों में भी चैलेंज नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार की पद्धति हमारे प्रजातन्त्र के साथ मेल नहीं खाती। मैं तो समझता हूं कि इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए और इस क्लॉज़ का टोटल रिजेक्शन करके इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए। यह मेरी अपील है।

**महारावल श्री लक्ष्मण सिंह** (आसपुर): This, Sir, is not only an estoppel; it is a clog - C L O G.

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मंत्री ): माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ २७ के बारे में माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है कि इसको डिलीट कर दिया जाय, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। इस क्लॉज़ को डिलीट करने से क्या मतलब? हम कोई भी ऐसी बात करने जा रहे हों कि कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को कम करने के लिए कदम उठाया हो या लोगों को बचाया हो, ऐसी बात नहीं है। हमने इसी विधान सभा में बैठ कर ऐसे कानून पास किये हैं। मेरे पास

( श्री नाथूराम मिर्धा )

करीब ३० कानूनों की लिस्ट है। पांच एक्ट्स सन् १९५३ के हैं; नवां, ग्यारहवां, तेरहवां, चौदहवां। १९५५ के कई कानून हैं; जैसे २, ८, १२, १५, २४ व २८। १९५७ का ३१, ४२, ५२। इसी तरह से १९५९ के पांचवाँ, आठवां और तेरहवां आदि कई कानून हैं, जो हमने यहां इसी विधान सभा में बनाये हैं। उनमें जो कुछ कार्यवाही है वही इसी में है। इसमें कौन्सिल के जरिये, गवर्नमेंट के जरिये, उनके अधिकारियों के जरिये जो कुछ भी काम होगा उसके लिए उनको सिविल कोर्ट्स में घसीटते फिरेंगे और सिविल कोर्ट्स और दूसरी कोर्ट्स में जाकर उनको अपने मामले तैयार करवाने पड़ेंगे..........

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): अगर कोई गलती अब तक होती आई है तो उसको अधिकार नहीं माना जाना चाहिए।

**श्री नाथूराम मिर्धा**: आपने काफी कह लिया है, आपको सब्र रखनी चाहिए, जब कि मैं बोल रहा हूं।

इस प्रकार की व्यवस्था हर कानून में रहनी आवश्यक है, इसी वजह से कि इसके अधिकारियों को, कौन्सिल के और गवर्नमेंट के हर किसी मामले में तकलीफ न दे सकें अनावश्यक रूप से। इसलिए उन्हें बचाना अनिवार्य है, जरूरी है। इस क्लॉज को रखना जरूरी है। यह सब जगह हैं। बम्बई में है। मैंने इसीलिए कह दिया कि यह क्लॉज़ बहुत जरूरी है। इसको रखा जाना न डेमोक्रेसी के खिलाफ है और न यह प्रजातन्त्र की हत्या करती है। इसलिए जो डिलीट करने का सुझाव रखा है वह मैं मानने को असमर्थ हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि क्लॉज २७ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज २७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड २८, २९, ३०, ३१, ३२......

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ): ३२ को छोड़ दें।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि खण्ड २८ से लगा कर ३१ तक के खण्ड विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

खंड २८ से ३१ तक विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

( विराम )

क्लॉज़ ३२

**श्री भैरोंसिंह** ( किशनपोल, जयपुर ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज ३२ के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का यह क्लॉज़ इस व्यवस्था के लिए रखा है......

**श्री उपाध्यक्ष**: यह आपका निगेटिव है?

**श्री भैरोंसिंह:** जी हां, बिल्कुल निगेटिव है।

उससे जो सरकार की अव्यवस्था के कारण आज कुछ चिकित्सा संबंधी प्रावधान नहीं कर सके तो उसकी वजह से लोगों को काफी हानि उठानी पड़ेगी। राजस्थान सरकार स्वयं महसूस करती है और जनता भी इस बात को महसूस करके चल रही है कि राजस्थान के पशु-धन की दृष्टि से जितने वेटेरिनेरी हॉस्पिटल्स यहां होने चाहिए, जितने डॉक्टर्स होने चाहिए—उतने नहीं हैं। हमने राजस्थान में केवल एक वेटेरिनेरी कॉलेज अब तक चालू किया है और उससे जितने डॉक्टर्स निकलते हैं, उनके अनुपात में जितनी डिस्पेन्सरीज़ हम खोलते जा रहे हैं, इन दोनों को ध्यान में रख कर हम चलें तो यह समस्या केवल १-२ वर्ष तक नहीं; बल्कि आगामी १०-१५ वर्ष तक रहेगी। सरकार ने कई वार इस चीज को स्वीकार किया है।

**श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री):** वह मैं कह चुका हूं कि डाक्टर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस प्रोग्राम से हम चल रहे हैं, उससे इस साल भी डॉक्टर्स सरप्लस हैं और आगे भी रहेंगे।

**श्री भैरोंसिंह:** आपने कह दिया वह बिल्कुल सही है और आप जो कह रहे हैं और जो केल्क्युलेशन्स लेकर चल रहे हैं वह डिस्पेन्सरीज़ कितनी हैं केवल इसी बेसिस पर केल्क्युलेट करके चल रहे हैं। वेटेरिनेरी कॉलेज से इतने डॉक्टर्स निकले और इतनी डिस्पेन्सरीज़ खोलते जायं। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वेटेरिनेरी डॉक्टर्स की पोज़ीशन को देखते हुए जितनी डिस्पेन्सरीज़ राजस्थान में होनी चाहिए उस आवश्यकता को पूरी कर कर सके। बदकिस्मती है कि डॉक्टरों की कमी है और जितनी डिस्पेन्सरीज़ खुलनी चाहिए उतनी नहीं खोल पा रहे हैं। ऐसी हालत में आज अगर हम राजस्थान की सारी स्थिति को देखें, पशुओं में जिस प्रकार की बीमारी है उसको ध्यान में रख कर हम चलें तो इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि राजस्थान में डॉक्टर्स के और डिस्पेन्सरीज़ के अभाव में कुछ इस प्रकार के लोग हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो पैसा लेते हैं और कई ऐसे हैं जो पैसा नहीं लेते हैं और जानवरों के प्रति सहानुभूति के कारण उनका इलाज करते हैं। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस कानून के कारण प्राइवेट प्रेक्टीशनर्स, जो इन्कम की दृष्टि से अथवा सेवा की दृष्टि से अथवा अपने अनुभव को काम में लाने की दृष्टि से जानवरों का इलाज करते हैं यानी चिकित्सा करते हैं, क्या स्थिति रहेगी? मैं मिसाल के तौर पर एक उदाहरण पेश करता हूं कि राजस्थान के अन्दर सरकार यह कह सकती है कि हमारे पास ऊंट का इलाज करने वाले बहुत हैं; लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि रेबारी बोर्न डॉक्टर है, उसको किसी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। वह ऊंटों का इलाज जितना ज्यादा अच्छा कर सकता है उतना अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी उसके मुकाबले में नहीं कर सकता है। उस स्थिति में किसी प्रकार का रोग गांव में चला जाय लेकिन गांव के लोग इस प्रकार से दवा बता कर इलाज करते हैं तो अब क्वेश्चन यह आता है कि आज के कानून के अनुसार जब कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं जब तक कि वे कोई डिप्लोमा होल्डर

( श्री भैरोंसिंह )

नहीं हों और वह रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकें तो उनके प्रेस्क्रिप्शन की कोई दवा नहीं दी जा सकेगी, उनका सर्टीफिकेट कानून की दृष्टि से मान्य नहीं किया जा सकेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को डिस्पेन्सरी के किसी क्वालिफ़ाइड डॉक्टर, जो कि रजिस्टर्ड डॉक्टर है, के पास बीमार जानवर को लेकर डिस्पेन्सरी में जाना चाहिए या दूर से उस डिस्पेन्सरी के डॉक्टर को फीस देकर बुलाना चाहिए और तब वे उस जानवर को देखें और उसके लिए सर्टीफिकेट दे। ह्यूमन बॉडी को तो गाड़ी में बैठा कर ले जा सकते हैं, ट्रेन में बैठा कर ले जा सकते हैं, लेकिन जानवर बीमार हो जाय और उसका किसी प्रकार से सर्टीफिकेट लेना हो तो वह सर्टीफिकेट आसानी से नहीं लिया जा सकता है। जब तक कि वह डिस्पेन्सरी से डॉक्टर को नहीं बुलाये तब तक उस बीमार जानवर को वहां पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। आज की स्थिति में जब हम उनको पाबन्द कर दें कि राजस्थान का कोई केमिस्ट उनके प्रेस्क्रिप्शन पर मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करे तो इसका इन्डाइरेक्टली मतलब यह होगा कि रजिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स के अभाव में जो लोग इलाज करते हैं वे नहीं कर पायेंगे और अगर सर्टीफिकेट लेना होगा तो उस जानवर के मालिक के लिए परेशानी होगी। अगर हम जयपुर को ही लें तो यहां इस वक्त एक डिस्पेन्सरी है। घाट गेट में कोई जानवर मर जाय और उसका सर्टीफिकेट लेना हो तो यह डॉक्टर साहब तो जाकर देने से रहे और जिस पर्पज़ के लिए सर्टीफिकेट लेना है और कानून की सहायता के लिए जिस सर्टीफिकेट को प्राप्त करना है वह किसी प्रकार भी प्राप्त नहीं होगा। यह सही है कि प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स के अभाव में कई लोग कई प्रकार की अनुचित कार्यवाहियां कर बैठते हैं, हम उनको रोकने की कोशिश करें; लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकल जाय कि अभी जो डॉक्टर, वैद्य या दूसरे इलाज करनेवाले व्यक्ति हैं वे इलाज करने से महरूम रह जायं। साथ ही जिस बिल से हम पशुधन की सेवा करना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करना चाहते हैं और जिस तरह से जानवरों के सुरक्षा की बात करते हैं वे तीनों मतलब खफ्त हो जायेंगे। जो क्वेक्स हैं, जिनके लिये जगह जगह भारत में हर स्थान पर आवाज बुलन्द की जा रही है कि क्वेक्स की प्रेक्टिस बंद की जाय लेकिन जो लोग गांवों में जानवरों का इलाज करते हैं, जो उनके बारे में समझते हैं, उनको भी क्वेक्स की संज्ञा देकर रोकेंगे तो निश्चितरूप से जानवरों की हानि होगी और उनके मालिकों को कठिनाई होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय। यदि सरकार क्लॉज़ को रखना चाहती है तो यह अमेन्डमेन्ट इसमें करे कि जो गांवों में इलाज करते हैं, डिस्पेन्सरी यदि उन गांवों से दूर है, वैसी हालत में यदि वे सर्टीफिकेट दें तो केमिस्ट दवा दे सकें और उनको मान्यता दी जा सके। यदि ५-६ मील के इर्द गिर्द डिस्पेन्सरी हो तो डॉक्टर से सर्टीफिकेट लिया जाय वर्ना उन लोगों के दिये हुए सर्टीफिकेट को मान्यता देनी चाहिये। जैसलमेर का एरिया सब जिलों के एरिया से बड़ा है और वहां बहुत कम डिस्पेन्सरीज़ हैं। रामगढ़ तहसील का

( श्री भैरोंसिंह )

व्यक्ति जैसलमेर में आकर सर्टीफिकेट नहीं ले सकता। यदि रामगढ़ का व्यक्ति जैसलमेर सर्टीफिकेट लेने जायगा तो जानवरों में बीमारी पैदा हो जायेगी और लाशें सड़ जायंगी, वैसी हालत में यदि इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सरकार की मंशा समझ में आ सकती है। लेकिन सरकार की अच्छी मंशा है, रेगुलेट करने की है तो उनको प्रोत्साहन देना होगा। इसलिए मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस क्लॉज को रखें और इस क्लॉज के साथ उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलता हो तो मिलता रहे और बाधा उपस्थित न हो।

**श्री मानसिंह महार** (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष जो ३२ वां क्लॉज आया है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि इस प्रोविजन को रखने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहें इसमें दुबारा अमेन्डमेन्ट ला सकते हैं। आज स्थिति स्पष्ट है। मैं नागौर के लिये नहीं कह सकता, नागौर से मंत्रीजी खुद जीत कर आये हैं, मुमकिन है उस इलाके में इतनी डिस्पेन्सरीज होंगी कि वहां उन लोगों की जरूरत न हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि दूर मत जाइये, जयपुर के आसपास जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि डिस्पेन्सरीज नहीं हैं। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि जिन डॉक्टरों को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं उनको आज जानवरों की चिकित्सा के लिये समुचित तजुर्बा नहीं है। आज आप चले जाइये देहात में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसा जानवरों का इलाज लोकल आदमी करते हैं वैसा इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते।

**एक माननीय सदस्य**: आदमियों का भी?

**श्री मानसिंह महार**: आदमियों का भी, काबिल से काबिल आदमी हैं जो दूसरों का इलाज करते हैं, वहां मोनोपोली डॉक्टरों की नहीं है। मैं जो मोनोपोलिस्टिक टेन्डेन्सी है हमारी, उससे एग्री नहीं कर सकता। आज से २० रोज पहले जयपुर में एक आदमी की भैंस का पेट फट गया......

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): Swatantra Party believes in the principle of monopoly. How do you oppose it?

**श्री मानसिंह महार**: आप बिलीव नहीं करते होंगे। गलत काम करते हैं।

**श्री मोतीलाल चौधरी**: So you are against the Swatantra Party.

**श्री मानसिंह महार**: I am against the Congress party. I don't say about other parties, but I am definitely against you. That is certain.

तो उपाध्यक्ष महोदय, उस भैंस के बगल में चीरा तो दे दिया लेकिन वह बहुत घबराया। मालिक उसको घर ले आया, वह रोने लगा। उस भैंस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हालांकि काबिल से काबिल आदमी हैं, अमेरिका में शिक्षा प्राप्त की है, और भी कई जगह गये हैं लेकिन यहां आकर बिल्कुल कामयाब नहीं होते।

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): सुनी हुई बात है।

**श्री मानसिंह महार** : वह मेरे यहां नौकर है, आपसे मिला दूंगा । आपके भैंस हो तो उसका भी इलाज करा दूंगा ......

**श्री गिरधारीलाल व्यास** : नीम हकीम खतरये जान ।

**श्री मानसिंह महार** : उसने भैंस को दवाई दी और १५ मिनट में भैंस ठीक हो गई । दवाई बाजार से लाया और भैंस ठीक हो गई । आप इस प्रकार से उनको बंद कर देंगे तो हम लोग थोड़ा बहुत इलाज करा लेते हैं वह भी नहीं होगा । मेरे इलाके में १५ मील में कोई डिस्पेन्सरी नहीं है वेटेरिनेरी की । माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि डॉक्टर बहुत हैं हमारे यहां यह है, वह है । मैं चैलेन्ज करता हूं कि वे आज यह कहें कि हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर्स और डिस्पेन्सरीज़ हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वे गलत कहते हैं, यदि वे ऐसा दावा करते हैं तो गलत करते हैं । वे खासकर उस इलाके से आये हैं जो जानवरों के लिये प्राउड करता है । वे इस प्रकार की बात करें तो दुःख है । इस कुर्सी पर बैठ कर दिमाग पता नहीं कैसा हो जाता है ? वे इस कुर्सी पर से हट जायं तो दिमाग ठीक हो जाय । मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर पर्याप्त नहीं हैं, जानवरों के डॉक्टर तो क्या मनुष्यों के डॉक्टर पर्याप्त नहीं हैं । आप इस प्रकार की बात कह कर लोगों को मुगालते में डालना चाहते हैं । यह हमारे लिये और सदन के लिये शर्म की बात है । उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त हैं, आपकी योजनाएं फेल होती जाती हैं........

**श्री मोतीलाल चौधरी** : You are going against facts.

**श्री मानसिंह महार** : आपकी प्रथम योजना फेल हुई है, आपकी द्वितीय योजना फेल हुई और आपकी तृतीय योजना खड्डे में जा रही है, आपको शर्म होनी चाहिये ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)** : "इल्लत" शब्द अनपार्लियामेन्टरी है तो क्या "खड्डा" अनपार्लियामेन्टरी नहीं है ?

**श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)** : "इल्लत" को खड्डे में डाल दीजिए ।

**श्री मानसिंह महार** : मेरी समझ में नहीं आया कि दिमाग कहां रख आये— अजमेर के कोने में या नसीराबाद में रख आये ? दुःख इसी बात का है । यह क्लॉज़ रखना जरूरी नहीं है । यह यदि नहीं हटा दिया जायगा तो बड़ी भारी हानि होगी । यदि इसको रखा गया तो गरीब किसानों की गाय या भैंस इस प्रकार के प्रेस्क्रिप्शन के तहत न आने से मर जायेंगी तो यह जनता के साथ घोर अन्याय होगा । मैं आपके सामने गांवों की नजीर देता हूं । ऊंटों में एक प्रकार का तिबतिया रोग होता है । उसको मिटाने के लिये इंजेक्शन लगाना होता है । इसके लिये किसी डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं है । रेबारी खुद इंजेक्शन देते हैं । वे जाते हैं या कागज पर लिख देते हैं उसको हम केमिस्ट के यहां से ले आते हैं और वे ऊंट के लगा देते हैं । यदि आप कानून बना देंगे तो दवाइयां मिलनी बंद हो जायंगी । आप ठंडे दिमाग से सोचिये, मंत्री के दिमाग से मत सोचिये । मंत्री का दिमाग आसमान में होता है । मंत्री समझ नहीं सकते कि जनता को क्या तकलीफ है......

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( कृषि मंत्री ) : माननीय सदस्य सीमाओं में रह कर बोलें तो अच्छा है ।

**श्री मानसिंह महार** : मैं बिल्कुल सीमा में हूं । मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे जरूर मनुष्यता में रहें । उनका ध्यान कठोर बातें लाकर आकर्षित करना चाहता हूं । वे देहात से दूर रहते हैं, उनकी ओर ध्यान ले जावें । कोई आपका ठेका नहीं है । आपने भी जागीरदारों से हाथ मिला कर चुनाव जीता है । रींयां ठाकुर ने आपको जिन्दगी दी है । यह सब बात होते हुए मैं यह समझता हूं......

**श्री मोतीलाल चौधरी** : विषय से बाहर बोल रहे हैं कहां चुनाव की बात है और कहां दिमाग की बात है; he should speak within the clause. Why unnecessary ......

**श्री मानसिंह महार** : I am not speaking American English. I am speaking English English.

**श्री मोतीलाल चौधरी** : Point of order, Sir..... ...

**श्री मानसिंह महार** : Sir, I am in possession of the floor. I will request the Hon'ble Member ........

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : इस तरीके से रिमार्क्स पास करना ठीक नहीं है ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : Point of order, Sir.......

**श्री मानसिंह महार** : डिस-ऑर्डर है इनके दिमाग में ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : I have raised a point of order. The point is that the general discussion has taken place. Now in the clause by clause discussion whether the speech of the type which the Hon'ble Member is giving is relevant or irrelevant should be considered. We are here to utilise the time properly. He is referring to some things for which it becomes incumbent upon us to reply, and again there will be waste of time. So we want your ruling about it. He should confine himself to the discussion on the clause only.

**श्री मानसिंह महार** : डिप्टी स्पीकर, सर, मैं समझता हूं कि मैं अपने दायरे में ही बोल रहा हूं ।

**श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा** : I have raised a point of order and I want Chair's ruling.

**श्री मानसिंह महार**: All right, Sir.....

**श्री नाथूराम मिर्धा**: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने के लिये सिर्फ पांच मिनट का समय निर्धारित किया गया था । अब समय कम रह गया है और इस बिल को आज ही पास करना है और जिस तरह से माननीय सदस्य लहजे से आकर बोल रहे हैं उससे यह पांच मिनट में समाप्त नहीं हो सकता, फिर भी कहते हैं कि मैं अच्छी तरह से कह रहा हूं अपने हृदय की बातें । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पांच मिनट का जो टाइम रखा गया था उसको सीमा का ध्यान रख कर कोई बात कहें तो अच्छा रहेगा ।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपने भाषण को विषयान्तर न करें। पांच मिनट की सीमा में ही रहें। पांच मिनट समाप्त हो चुके हैं। एक मिनट में समाप्त कर दें।

**श्री मानसिंह महार :** I am concluding Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सदन के समक्ष दलीलें दीं कि क्लॉज़ ३२ को हटा दिया जावे, इस सम्बन्ध में मैं केवल दो शब्द कहूंगा कि हमारे माननीय मन्त्री इस ओर ध्यान दें कि इस क्लॉज़ से गांवों के लोगों को बहुत दिक्कत हो जावेगी। लोग गांवों में डिसपेन्सरीज़ की उम्मीद लगा रहे हैं, मगर मैं आपको अपने गांव की बात कहता हूं। सामोद में तीन दिन से डॉक्टर पहुंचता है ...

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्री इसका जवाब दें।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : मैं आधा मिनट में कुछ कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यदि आसन का कहना नहीं मानेंगे तो सदन की व्यवस्था कभी रह नहीं सकती है। इसलिये यदि मैंने माननीय मंत्री को कह दिया है जवाब देने को तो आपको मुझे सहयोग देकर आपको मुझे अवकाश देना चाहिये कि वे कुछ कहें।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज के बारे में दो माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। उनको मैंने गौर से सुना। मुझे ऐसा लगता है कि उनको कुछ डर है और मेरे ख्याल से वह काल्पनिक डर है। इस क्लॉज़ के नीचे दो व्यवस्था की गई हैं--एक तो यह कि वे जो रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनर होंगे उन आदमियों को ही सर्टीफिकेट देने का अधिकार होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसे ही रजिस्टर्ड प्रेक्टिशनरों द्वारा नुस्खे लिखे जावेंगे और उनके आधार पर केमिस्ट लोग दवा देंगे। माननीय सदस्यों ने इसके बारे में डर बताया है। इसके साथ दो, तीन बातें कही गई हैं। मगर मैं जैसा पहले कह चुका हूं, हो सकता है माननीय सदस्य उस समय यहां नहीं हों, राजस्थान में पशुधन को देखते हुए हॉस्पिटल काफी हैं। करोड़ों की संख्या हमारे जानवरों की है। उसके लिहाज से हमें कहीं हॉस्पिटल आदि खोलने हैं। अब हमारा क्या प्रोग्राम है, उसको मैं फिर दोहराना चाहता हूं। तीसरी योजना में इसके लिये जितने डॉक्टर और प्रेक्टिशनर चाहिये वे पर्याप्त मात्रा में होंगे; कुछ सरप्लस की तरफ जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले इसके लिये ८० या १०० स्टूडेन्टों को भर्ती करते थे लेकिन अब नम्बर को घटा कर ४० कर दिया है। डॉक्टर ज्यादा निकल जावें और प्राइवेट प्रेक्टिस कर सकें, यह स्टेज अभी नहीं आई है। इसलिये तीसरी योजना में कमी नहीं रहेगी। यह बात मैंने सुबह कही और अब भी कह सकता हूं। हो सकता है कि शायद वे इस सदन में उस समय नहीं थे।

अब जो हमने यह क्लॉज़ रखा है वह इसीलिये रखा है और अगर इस क्लॉज को नहीं रखें तो इस कौंसिल और कानून का कोई मकसद नहीं रहता है। आप चाहते हैं

( श्री नाथूराम मिर्धा )

कि कोई ऐसा प्रावधान जोड़ा जावे कि जो काम करते आये हैं उन पर किसी प्रकार बर्डन नहीं पहुँचे। चूंकि हम इस प्रकार के लोगों को रजिस्टर करना चाहते हैं जो ट्रेन्ड हों और इस प्रकार के व्यक्तियों को रजिस्टर्ड नहीं करना चाहते जो ट्रेन्ड न हों। इसकी व्यवस्था इसलिये नहीं कर रहे हैं, चाहे जो लोग अपने तरीकों से इलाज करते रहें। हम उनको रोकते भी नहीं हैं, वे अपने तरीकों से, अजवाण, फिटकड़ी, जीरा और लूण आदि से इलाज करें। हम उनको इस प्रकार की दवाइयां देने से पाबन्द नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को सर्टीफिकेट देने का अधिकार नहीं है और न एक्सपर्ट के तौर पर उनको बयान देने का अधिकार है, न उनके बयान माने जावेंगे। डिसपेन्सरीज़ खोलने का प्रावधान किया है। इससे उन लोगों का जो काम करते हैं उनका काम बन्द हो जावेगा, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसलिये इस क्लॉज़ को हटाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि जो पुराने लोग काम करते हैं उनको भी इसमें जोड़ा जाए। हो सकता है कि उनको बहुत ऊंचा ज्ञान हो, मगर फिर भी जिस प्रकार के विज्ञान के युग में बिना किसी योग्यता और डिग्री के व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दें तो यह उचित नहीं है। यह सारे एक्ट की मंशा के विपरीत होगा। उन लोगों को हम प्रेक्टिश्नर और एक्सपर्ट की तारीफ में नहीं जोड़ सकते। इससे उन लोगों को रुकावटें आती हों, ऐसी बात नहीं है। इसलिये जिस खतरे और बाधाओं की बात कर वे बार बार चेलेंज कर रहे हैं उसके लिये वे खुद सोचें कि इस प्रकार की कल्पना वाजिब नहीं है। इसलिये मैं इस प्रकार की बातों को मानने में असमर्थ हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३२ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ३२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

क्लॉज़ ३३

**श्री गंगासिंह (जायल):** उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३३ में दूसरी लाइन में शब्द '५ साल' के बजाय '३ साल' करने का मेरा संशोधन है। इस क्लॉज़ का सम्बन्ध क्लॉज़ १० से भी है। ऐसी सूरत में यह लाजमी होता है।

**श्री नाथूराम मिर्धा :** मैं इसको स्वीकार करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३३ में श्री गंगासिंह ने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३३, एज़ एमेन्डेड, विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

खंड ३३, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

खण्ड ३४ और ३५।

( विराम )

प्रश्न यह है कि खण्ड ३४ और ३५

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): मैं क्लॉज़ ३५ पर बोलना चाहता हूं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): हम इसको बिल्कुल हटाना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : Yes. Excuse me, please. कौनसा क्लॉज़ है ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्लॉज़ ३५।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह कि क्लॉज़ ३४ स्वीकार की जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ३४ विधेयक का अंग बना।

(विराग)

धारा ३५

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक राजस्थान वेटेरिनरी प्रेक्टिश्नर्स बिल का ताल्लुक है, इसका जो सारा ढांचा है वह कौंसिल पर ही निर्धारित है और कौंसिल के रूप में काफी वाद-विवाद हो चुका है; लेकिन अंत में यह क्लॉज़ ३५ है, यह सरकार को इस प्रकार का अधिकार देता है कि सरकार किसी समय भी इसको समाप्त कर सकती है। वैसे तो इसमें इस चीज की गुंजाइश काफी प्रकट की गई है और यह चीज इसमें दर्शायी गई है कि अगर कौंसिल से कोई गलती होती है, गड़बड़ी होती है या किसी प्रकार की गलती होती है तो उस दिशा में सरकार उसको नोटिस देती है, सरकार उसके सारे दोषों को बताती है और बाद में उसको भंग करती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यह कौंसिल सरकार की मर्जी के अनुसार काम नहीं करती है; सरकार ने जिन्हें नामजद करके भेजा वे उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं करते हैं, पॉलिसी को केरी-आउट नहीं करते हैं या कौंसिल पर कोई चीज सरकार थोपना चाहती है और वे लोग नहीं करते हैं तो सरकार उसको समाप्त कर सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मनोवृत्ति इसकी है कि इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने हाथ में रखे। एक तरफ तो सरकार विकेन्द्रीकरण की बात कहती है और जनता के हाथ में अधिकार प्रजातन्त्र के युग में बांटना चाहती है ........

**एक माननीय सदस्य** : डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइज़ेशन कर दिया गया है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : अवश्य कर दिया है। दूसरी ओर सरकार एक ब्यूरोक्रेसी को पेरेलल कायम रखेगी कि किसी समय भी वे प्रजातन्त्र के गले को काट दें। यदि इस प्रकार के क्लॉज़ की आवश्यकता थी तो इस प्रकार के नाटक की क्या आवश्यकता थी कि इसमें चुने हुए चार सदस्य हों ? अच्छा होता कि सरकार इसको पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक बनाती। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ ऐसा है कि किसी समय भी सरकार बिल को कौंसिल पर थोप सकेगी। इसलिए मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा कि इस क्लॉज़ को डिलीट किया जावे। इसका एक और कारण भी है मेरी दलीलों का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि हम जो भी एक्ट और बिल बनावें उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्रजातान्त्रिक बनाने की कोशिश करें। अगर उसके अन्त में इस प्रकार

# Page No.107



( श्री योगेन्द्रनाथ हांडा )

का वे क्लॉज़ एड कर दें तो उसका मकसद पूरा नहीं होता। यही ट्रेडीशन चल रहा है। सारे सदस्य जो इस पक्ष के हैं और उस पक्ष के हैं अगर वे खुद सोचें तो मालूम होगा कि इस कौंसिल में एक भी सदस्य ऐसा नहीं रखा गया जो नॉन टेक्निकल हो और प्रेक्टिश्नर नहीं हो। प्रिंसिपल्स हैं वे भी टेक्निकल हैंड हैं। रजिस्टर्ड प्रेक्टिश्नर्स को सरकार ने चुन कर बैठाया है और नामजद करने की बात को पास कर दिया है। चार चुने हुए और एक डाइरेक्टर वेटेरिनरी है। ऐसी दशा में कहां पर यह बात पैदा होती है कि किसी तरह की गलती हो सकती है? अगर कोई गलती हो जाती है रजिस्टर्ड प्रेक्टिश्नर्स से हो तो उसकी ट्रायल हो सकती है और उसकी अपील का प्रावधान रखा गया है। फिर मेरी यह समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के अधिकार सरकार अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है कि इस कौंसिल को समाप्त करें? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को समाप्त कर दिया जावे और अगर इसको रखना ही चाहें तो इस रूप में रखा जा सकता है कि अगर कौंसिल के डिसिजन रोंग हों तो उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रोंग किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि कौंसिल कोई निर्णय करेगी वह २।३ मेजोरिटी से करेगी। इसलिए इस क्लॉज़ की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए इसको हटा दिया जावे।

( श्री मुरलीधर व्यास बोलने के लिये खड़े हुए )।

**श्री उपाध्यक्ष** : इससे पहले कि श्री मुरलीधर व्यास बोलें, मैं सदन से अनुमति चाहूंगा कि समय बढ़ाया जावे।

**श्री नाथूराम मिर्धा** ( पशु-पालन मन्त्री ) : हाउस के एजेंडा में इस बिल को आज पारित करने को है।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : इसको अभी समाप्त कर दिया जावे। इस क्लॉज़ ने, जो इस बिल की इम्पोटन्स है, उसको बिल्कुल दफना दिया है। अगर कौंसिल कोई गलती करती है तो गवर्नमेंट उस पर डाइरेक्ट प्रतिबन्ध करती है। गवर्नमेंट को चाहिये कि पहले वह उस पर शो–– कॉज़ नोटिस सर्व करे। उसके बाद जवाब आने पर पूरा निर्णय दे।

**श्री हरिदेव जोशी** (घाटोल) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं कि कल इसको ले लिया जावे, मगर कल नॉन ऑफिशियल—डे है! अगर सदन आज का समय नहीं बढ़ाना चाहे तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। इसे कल ले लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों का ध्यान बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी ने जो निर्णय दिया है, जो एडॉप्ट किया जा चुका है, उसकी ओर आकर्षित करूंगा। उसके मुताबिक इस विधेयक को आज ही पारित कर दिया जाना चाहिये। इसलिए सदन का समय आधा घंटे के लिये बढ़ा दिया जावे तो अनुचित नहीं होगा अथवा १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जावे और बाद में आवश्यकता समझी जावे तो आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जावे।

**श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का सुझाव रखता हूं। यह बिल इसलिए आज पास नहीं हो सकेगा। रूल्स ऑफ प्रोसीजर के नियम ८५ के उप-नियम (२) की ओर मैं आपका ध्यान

( श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल )

आकर्षित करना चाहूंगा । नियम ८५ का उप-नियम (२) है, उसमें यह है कि :

"(2) Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

तो निवेदन है कि विशष परिस्थितियों में ही अलाउ करेंगे तीसरे वाचन के लिए। अगर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होता तो आज ही पारित किया जा सकता था ; पर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं चाहे वे स्लाइटस्ट ही क्यों न हों । जब तक कि विशेष तौर की परिस्थिति नहीं हो तीसरे वाचन के लिये उसी रोज अलाउ नहीं किया जाता । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इसे तीसरे वाचन के लिये आज अलाउ नहीं किया जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष :** मैं माननीय सदस्य की बात समझ गया हूं, पर बिजनेस एड्वाइजरी कमेटी की रिपोर्ट हाउस ने अडॉप्ट कर ली है और हाउस की मंशा का सम्मान करते हुए इसे आज ही पास किया जाना चाहिये। इसलिये सदन की अगर इजाजत हो तो मैं हाउस की मीटिंग आधा घंटा और बढ़ा दूं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अन्तिम क्लॉज रखा है, मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिये इसको इसमें से बिल्कुल ही हटा दिया जाना चाहिये । इसके लिये मैं कुछ दलील सदन के सामने रखना चाहता हूं । इसमें जहां तक कि इस परिषद् को भंग करने का सवाल है, उसके लिए यह कारण दिया है कि अगर परिषद्, जो निर्णय हैं, उनको ठीक तरह से केरी आउट नहीं करती है और ठीक तरह से कार्य नहीं करती है तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को अधिकार है कि परिषद् को भंग कर दे ।

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : पहले टाइम देंगे उनको सोचने का ।

**श्री मुरलीधर व्यास :** इस प्रकार की बात है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल के अन्दर कौंसिल की बॉडी है, इसमें सदस्य हैं वे अधिकांश सरकारी सदस्य हैं । उन्हें जो भी फैसला लेना है, वह केरी-आउट होता है या नहीं, अमेंड होता है या नहीं; तो यह काम तो जो लोग उसमें रह रहे हैं उन्हीं को करना है । इस क्लॉज के रहने से करने वाले दूसरे रहेंगे, हुक्म देने वाले दूसरे रहेंगे । परिषद् में मेजोरिटी सरकार की है, चेयरमैन डायरेक्टर है, दूसरे मेम्बर अधिकांश आपके हैं । वहां काम ठीक ढंग से नहीं होता है तो वे स्वयं सुधार सकते हैं । इसलिए परिषद् को बिल्कुल भंग करना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता । परिषद् है तो स्वतन्त्र, पर काम करनेवाले अधिकांश सरकारी सदस्य हैं ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना) : Then the Government has powers.

कोऑप्टेड भी जो होंगे वे सभी गवर्नमेंट की नौकरी में हैं ।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इस प्रकार की व्यवस्था है तो फिर परिषद् को भंग करने की क्या आवश्यकता है ? काम नहीं करते तो उनको हटा कर दूसरों को सरकार रख सकती है । आप ठीक काम करा सकते हैं तो ऐसा क्लॉज़ जो परिषद् के लिए बहुत बुरा लगता है उसको क्यों रखना चाहते हैं ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल में इस आखरी क्लॉज़ की कोई आवश्यकता नहीं । इसको हटाने से बिल का अपने आप में महत्व बढ़ेगा । इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लॉज़ को वे हटाने की व्यवस्था करें ।

**श्री मोतीलाल चौधरी** : इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने आपत्ति रखी है । मेरे ख्याल से इल क्लॉज़ की मंशा को, इस कानून की मंशा को, जिस मंशा से कि इसे पेश करने जा रहे हैं और डेमोक्रेसी को ध्यान में रखेंगे तो साफ हो जायगा । यह कौंसिल पूरी उन्हीं लोगों की होगी जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं । प्राइवेट प्रेक्टिश्नर्स आज नहीं हैं पर कल ऐसा समय आए कि प्राइवेट प्रेक्टिश्नर्स बढ़ जायं और कौंसिल उनके खिलाफ कोई फैसला करे तो उसकी रेमेडी के लिये वे लोग कहाँ जायेंगे ? इसकी रेमेडी क्या है ? उस हालत में गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, रेमेडी के लिये टाइम देगी । कौंसिल फिर भी डिफॉल्टर है तो गवर्नमेंट को पॉवर है कि उस कौंसिल को तोड़ दे । इसके बाद नीचे प्रोविज़ो दिया है कि इसके लिये एक एजेंसी बनायेंगे और जल्दी ही दुबारा कौंसिल बनायेंगे । एक तरफ तो माननीय सदस्य कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के हाथ में पॉवर नहीं होनी चाहिये और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पॉवर रखते हैं तो उसका विरोध करते हैं । आज जो भी क्वालिफाइड प्रेक्टिश्नर्स हैं वे सब गवर्नमेंट सर्विस में हैं । पर ५ साल बाद ऐसी समस्या आये तो वे लोग न्याय हासिल करने के लिये कहां एप्लाई करेंगे ? इसलिये यह क्लॉज़ रखा गया है कि गवर्नमेंट के फैसले को नहीं मानें तो कौंसिल को गवर्नमेंट भंग कर सकती है और उसकी जगह जल्दी ही नई कौंसिल बना सकती है ।

जो माननीय सदस्य निम्बाहेड़ा से आये हुए हैं उन्होंने नोटिस का कहा । इसमें वह व्यवस्था है । गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य ने जिस प्रकार का संदेह प्रकट किया उसके लिये भी इसमें दिया है । बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा उसकी भी इसमें व्यवस्था है । कौंसिल को भंग करते ही एजेंसी बनायेंगे और उसके बाद दूसरी कौंसिल जल्दी से जल्दी बनायेंगे ।

तो जो माननीय सदस्यों को संदेह है वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है । गवर्नमेंट को यह पॉवर रहना चाहिये । इस क्लॉज़ से ब्यूरोक्रेसी का पॉवर्स पर कन्ट्रोल रहेगा । इसलिये मैं समझता हूं कि इसका सेंस अच्छा है । माननीय सदस्यों ने संदेह प्रकट किया है वे भी इसमें आपत्ति नहीं रखेंगे ।

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री): मैं समझता हूं कि माननीय मोतीलालजी ने इस क्लॉज़ के बारे में काफी स्पष्टीकरण कर दिया है । विरोधी सदस्यों का कहना है कि गवर्नमेंट के पास यह अधिकार नहीं रहना चाहिये । वसे कौंसिल में करीब करीब सभी गवर्नमेंट सर्विस के लोग होंगे पर आगे चल

( श्री नाथूराम मिर्धा )

कर दूसरी स्टेज आये कि वेटेरिनरी के प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स हों और यह कौसिल के बावजूद यह कहने के कि गलती न करें, अपनी गलती को न सुधारें और गवर्नमेंट के फैसले को न मानें तो उस हालत में यह पॉवर गवर्नमेंट के हाथ में रहनी आवश्यक है। कौसिल में गवर्नमेंट सर्विस के लोग होंगे वे गलती करें तो उनकी गलती को रोकने के लिये इसी कानून में प्रावधान रखना होगा। इसलिये क्लॉज़ ३५ इसमें रहना चाहिये।

**श्री अब्दुलजब्बार** ( निम्बाहेड़ा ) : इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रह गई हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : There can be no discussion after the statement, please.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३५ विधेयक का अंग बने।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ ३५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

( विराम )

प्रश्न यह है कि शिड्यूल पार्ट वन और शिड्यूल पार्ट टू विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

शिड्यूल पार्ट वन और शिड्यूल पार्ट टू विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

( विराम )

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

( स्वीकृत )

क्लॉज १, प्रिएम्बल, इनेक्टिग फॉर्मूला, टाइटल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** ( बयाना ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी अपनी इस सम्बन्ध में राय व्यक्त करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि बिल हाउस के सामने तृतीय वाचन में आया है, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। इससे एक भावना जो सदन के अन्दर आई है...

**श्री मोतीलाल चौधरी** (डीडवाना): माननीय उपाध्यक्ष, एक चीज़ मैं निवेदन करना चाहूंगा।

I think, there can be no discussion in third reading.

थर्ड रीडिंग में डिस्कशन नहीं होता।

**श्री उपाध्यक्ष** : There can be general discussion over third reading.

**श्री मोतीलाल चौधरी** : वे कहते हैं कि बिल बेबुनियाद है। फर्स्ट रीडिंग में प्रिन्सिपल मानने पर ही आगे विचार होता है। इसलिए थर्ड रीडिंग में डिस्कशन नहीं हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : According to rules, a member can even propose rejection of the Bill. So it is quite in order that a member may, in general terms, speak in any way he likes on the third reading.

# Page No.111



**श्री मुकुटबिहारीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आज सरकार ने इस बिल के दौरान में, आपने तानाशाही का जिस प्रकार से परिचय दिया है वह उस मनोवृत्ति का परिचायक है ...

( शोरगुल )

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** ( सांचोर ) : 'तानाशाही' शब्द दस वार यूज किया है।

( व्यवधान )

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please ! I cannot hear so many people.

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं अर्ज करूं कि मैंने तानाशाही किस तरह से कहा है, वह मैं अभी बतलाऊंगा......

( शोरगुल )

**श्री मोतीलाल चौधरी** : I have objection to the word 'Tanashahi'. 'Tanashahi' is Nazism and it is not at all democratic.

हिन्दुस्तान में कतई नहीं है। पार्लियामेन्टरी बेसिस है। यहां कहीं तानाशाही नहीं आती है। 'Tanashahi' is complete Nazism. It is quite contrary. This should be expunged from the proceedings.

**श्री मुरलीधर व्यास** ( बीकानेर ) : यह कहाँ लिखा हुआ है ?

( शोरगुल )

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! 'तानाशाही' अनपार्लियामेन्टरी वर्ड नहीं है। यह उनके दृष्टिकोण का फर्क है, वे जिस प्रकार से देखना चाहें।

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : उपाध्यक्ष महोदय; मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने इस बिल के द्वारा अपनी तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय दिया है। मुझे ऐसा लगा, जैसा सदन में विचार-विमर्ष के दौरान में कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे अय्यूब के तानाशाही शासन में रह रहे हों और उसके आइरन क्लचेज़ में रहते हों।

( शोरगुल )

आज सरकार स्वतन्त्र दृष्टिकोण से नहीं सोचना चाहती है, सरकार तानाशाही में सोचती है और चलना चाहती है। सरकार हिटलर के पद-चिन्हों पर चलना चाहती है, सरकार नाज़िज्म और फासिज्म का सहारा लेना चाहती है। विधेयक के क्लॉज ३ (२) में कौंसिल को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गला घोंटा गया है। वह कहने को एडवाइज़री बॉडी होगी। सारी तानाशाही की मनोवृत्ति झलकती है।

सेकिंड बात यह है कि जहां कम्पोजिशन का सवाल आया तो वह भी खुले रूप में नहीं आया। कहने को डेमोक्रेसी का रूप दिया गया, लेकिन यह सोचा गया कि इलेक्शन करायेंगे, साथ साथ नोमीनेशन्स की भरमार कर दी है। डाइरेक्टर डिपार्टमेंटल हैड होता है। वह गवर्नमेन्ट की पॉलिसीज़ को एक्ज़ीक्यूट करने वाला हैड होता है, उसको इस कौंसिल का चेयरमैन बनाया गया है। यहां तक प्रोविज़न रखा गया है, जैसा क्लॉज ५ में है कि अगर चुनाव न हों तो सरकार नोमीनेट करके पूरे टर्म तक खींच कर ले जा सकती है। यह डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। यह तो एक तानाशाही तरीका ही है। केजुअल वेकेन्सीं को जहां क्लॉज़ ६ में भरने का सवाल था, उसके लिए सरकार ने अपने पास अधिकार सुरक्षित रखे हैं। तमाम बाइ-लॉज़ बनाने

( श्री मुकुटबिहारीलाल )

की जितनी पद्धति है सरकार ने एक-क्षेत्रता से यह शक्ति हाथ में रखी है। इसके आगे रजिस्ट्रेशन कैन्सिल करने के अधिकार अपने पास रखे हैं और क्लॉज २७ में तो दरवाजे ही बन्द कर दिये हैं। हम यह नहीं समझते कि हम राजस्थान में बैठ कर यह कानून पास कर रहे हैं। ऐसा लगता है, अय्यूब की तानाशाही शासनतन्त्र के नीचे बैठ कर......

( शोरगुल )

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल) : माननीय सदस्य......

( शोरगुल )

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : अय्यूब के शासन में डेमोक्रेसी कहां है ?

**श्री उपाध्यक्ष** : Order please! Order please!!

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : किसानों के नाम पर चुनाव जीत कर आने वाले हिमाकत करके भूल जाते हैं कि हमारे पशुओं के जीवन......

( व्यवधान एवं शोरगुल )

**श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** : हिमाकत करने वाले प्रतिनिधि कैसे मान लिये......

( शोरगुल )

**श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) : 'हिमाकत' शब्द क्या अनपार्लियामेन्टरी नहीं है ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : कहीं भी 'हिमाकत' शब्द अनपार्लियामेन्टरी नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : I hope, the Hon'ble Member will now please stop.

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : होना तो यह चाहिये था कि सहृदयता से हम उन भाइयों के लिए सुविधायें जुटाते, दवायें मिलने की सुविधाएँ जुटाते, चिकित्सा की सुविधायें जुटाते। एक प्रोविज़न ऐसा रखा जा सकता था......

"Provided that the Government may make rules for the protection of practitioners, unregistered practitioners, and furnish them facilities of prescriptions for the chemist.

( समय समाप्ति-सूचक घंटी )

इस तरह से प्रोविजन कर सकते थे, लेकिन उस पर भी कुठाराघात किया है। इसके साथ साथ यह भी अर्ज करूंगा कि रूल्स बनाने आदि जितनी बातें हैं उनके लिए सरकार ने अपने पास अधिकार अय्यूब की तानाशाही के रूप में रखे हैं और उन लोगों की आत्मा पर कुठाराघात किया है। साथ ही साथ यह भी अधिकार रखा है कि कौंसिल को भी भंग कर दे। आज इस प्रकार का तानाशाही कानून कहीं नहीं देखा है।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

आधा मिनट।

इस बिल को लाने के पीछे गवर्नमेन्ट की मंशा कितनी ही उत्तम रही हो, इस कानून को वे लाये हैं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं;

( श्री मुकुटविहारीलाल )

लेकिन जैसा कि यह एक होचपोच कानून उपस्थित हुआ है, वह कोई उचित नहीं लगता है। एक अच्छा कानून सामने आना चाहिये था, इसको अच्छा किया जाना चाहिये था लेकिन बुराई को इसमें और छाती से लगाया गया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि टोटल तरीके से इस बिल को आउट-राइट रिजेक्ट कर दें।

( समय-समाप्ति सूचक घंटी )

**श्री नाथूराम मिर्धा** (पशुपालन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पारण के सिलसिले में प्रजा समाजवादी माननीय सदस्य ने...

**श्री मुकुटबिहारीलाल** : मैं करेक्ट कर दूं कि समाजवादी।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : जिस प्रकार की बहस की है वह सुन कर मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है। जिन क्लॉज़ेज़ की ओर इंगित करते हुए उन्होंने 'तानाशाही' और 'अय्यूब शाही' आदि शब्दों का प्रयोग किया है, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

एक तरफ तो इस सदन के माननीय सदस्यों ने इस कानून को बहुत अच्छी दृष्टि से देखा और यह महसूस किया कि ऐसा कानून होना बहुत जरूरी है। वेटेरिनरी प्रेक्टिशनर्स का अच्छा कन्डक्ट बने उस व्यवस्था को बहुत सुन्दर क्लॉज़ेज़ में बहुत चर्चा के बाद माननीय सदस्यों ने पारित किया। उन क्लॉज़ेज़ के पारित हो जाने के बाद मैं समझता हूं, जो जो बातें मैंने प्रत्येक क्लॉज़ के सम्बन्ध में कही, उस वक्त ही सब बातों का मैं स्पष्टीकरण कर चुका हूं कि किस क्लॉज़ के पीछे क्या मंशा है। उसके बावजूद यह बात कहना शोभा नहीं देता। मैं ज्यादा अब इस बहस में पड़ना नहीं चाहता। मैं आशा करता हूं कि जिस सद्भावना के साथ माननीय सदस्यों ने इस कानून के क्लॉज़ेज़ को पास किया है उसी तरह से अब भी इस बिल को पारित करेंगे।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सक विधेयक, १९६२ पारित किया जाय।

( स्वीकृत )

विधेयक पारित किया गया।

## राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

( प्रवर समिति को)

**श्री मथुरादास माथुर** (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

मथुरादास माथुर, सभापति

श्री परसराम मदेरणा

श्री मोहनराज जैन

श्री मथुरेश बिहारी

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बिल पर बोलना चाहते हैं। पहले ही प्रवर समिति का प्रस्ताव कैसे आ गया है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : The difficulty will be that, at this stage, discussion can be held even on the question whether there should be a Select Committee or no Select Committee or it should be sent for public opinion. Now we are at the fag end of the day. It should, therefore, be not put before the House at this stage.

**श्री मथुरादास माथुर** : It is on the agenda.

**श्री उपाध्यक्ष** : साधारणतया नियम यह है कि अगर विधेयक प्रवर समिति के नामों के साथ आता है तो उसके लिये संशोधन का प्रस्ताव आना चाहिये। उसकी अदम मौजूदगी में और कोई चारा नहीं रहता सिवाय इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने के।

**श्री मथुरादास माथुर** : (जारी)

श्री भैरोंसिंह

श्री अमरसिंह

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

श्री मुकुटबिहारीलाल

श्री भीमसेन

श्री जुझारसिंह

श्री रामचन्द्र

श्री मोहरसिंह

श्री हरिप्रसाद शर्मा, मंडावर

श्री केसरीसिंह जोंजावर

श्रीमती सुमित्रासिंह और

श्री तेजाराम गहलोत।

**श्री उपाध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि राजस्थान हकशफा बिल, १९६२, पर प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, अभी जब कि बिल सिलेक्ट कमेटी में दिये जाने के लिये प्रस्ताव पेश हुआ है तो चाहे उसके बारे में संशोधन नहीं आया हो, उसको टोटली ऑपोज़ करने का अधिकार हमारा है।

**श्री मथुरादास माथुर** : You have already moved an amendment yourself.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : It is not a question of me alone. The question is that, in this way you are avoiding a general discussion. It would be much better if the Bill goes to the Select Committee after discussion in the House, so that the sense of the House is known to the members of the Select Committee and the members of the Select Committee can consider this measure in the light of the discussion in the House. That is the proper method. Now at the fag end of the day you are trying to cut out that. If, at this original stage, you are trying to introduce the Bill and send it directly to the Select Committee we have got a right to oppose it. We oppose even this motion of sending it to the Select Committee whatever may be the result of this. We have got a right and want to exercise it before this motion is put to the House for decision.

# Page No.115



**श्री मथुरादास माथुर** : You oppose it.

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : My amendment has not been circulated. It is not before the House. So it cannot be taken note of.

**श्री उपाध्यक्ष** : मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्य को कि सिलेक्ट कमेटी में देने का प्रस्ताव आ चुका है। सरकार का प्रस्ताव है; इसको कार्य-सूची में रखा है। मैं नहीं समझ सकता कि अब इस बारे में पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया जा सकता है। किसी की इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में न दिया जाय।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : I......

**श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना)** : On a point of order, Sir, माननीय सदस्य ने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है उसके लिये मेरा निवेदन है कि उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजने से आपत्ति है तो वह आपत्ति पहले हो सकती थी। वह स्टेज अब बीत गई है; क्योंकि मोशन मूव हो चुका है। मोशन मूव होने से पहले वे प्रस्ताव दे सकते थे कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट किया जाय। As per rules the motion has already been moved. यह मोशन पहले आना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी में जब भेजने का प्रस्ताव आ चुका है वैसी हालत में रूल्स के माफिक अब कोई प्रस्ताव नहीं आ सकता। पहले मोशन आ गया regarding the Bill for being moved to the Select Committee. इससे पहले मोशन मूव हो गया। वैसी हालत में अब इस पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहता। अब भी सिलेक्ट कमेटी से आजाने के बाद भी इसके प्रिन्सिपल्स का विरोध किया जा सकता है। अभी सदन का समय खराब करने से कोई फायदा नहीं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद भी आपको इससे अपोज़ करने का अधिकार है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : I shall refer to rule 67 of the Rules of Procedure and Conduct of Business. This says:

"On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on any subsequent day to which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles."

That is to say, the rule 67, sub-rule (1) allows the discussion of the principles of a Bill, whose motion has been made under rule 66. Either of the three motions;the Bill be taken into consideration, Bill may be referred to

# Page No.116



( श्री रामानन्द अग्रवाल )

Select Committee or the Bill may be circulated for public opinion may be made under rule 66. Then under rule 67, sub-rule (1), the House can discuss the principles of the Bill. Now, Sir, if a motion, that the Bill be referred to a Select Committee, is accepted; that means that this House accepts the principles of the Bill and then we have only to consider the details. I, therefore, think that it will be too much to presume on the part of the House that we have already accepted the principles of the Bill, because the legislation, which is proposed in principle is very controversial. The Supreme Court itself has given its verdict against this principle, saying that this is a law of pre-emption, law of feudal ideas, where they did not want foreign elements to be introduced in a particular family and now in a society, when we are entering a stage, where we want to do away with all these castes.........

**श्री निरंजननाथ आचार्य** (उप-मंत्री-शिक्षा) : Point of order is not being discussed.

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** It will be wrong to take that the principle of the Bill has been accepted. Under rule 67, sub-rule (1), the House can discuss and has a right to discuss the principle of the Bill even if no amendment to the motion, that the Bill be referred to the Select Committee, has been made in this House. Even then the House has a right to discuss the principle of the Bill.

**श्री उपाध्यक्ष :** सदन का समय समाप्त हो चुका है; अतः सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ५.२० बजे, शनिवार दिनांक, १३-१०-६२ के मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

## संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार, दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२)

स्तम्भ

**तारांकित प्रश्नों के शीर्षक** ४७७

किशनगढ़ के डिग्री कॉलेज का भवन।

अलवर नगर परिषद् को मनोरंजन कर का हिस्सा।

नये बाट।

चूरू कस्बे के निकट हरे वृक्षों की कटाई।

लोहा, सीमेन्ट आदि का वितरण।

पान की खेती।

नहर योजना।

कोटा नगर के औद्योगिक क्षेत्र में भूमि का अलॉटमेन्ट।

बाढ़ के पानी के निकास की योजना

कैली में मिडल स्कूल।

अकलेरा हाई स्कूल में विज्ञान की कक्षायें।

रेकॉर्ड दुरुस्ती के फैंसलों की तामील।

बनेड़ा के पास लोहे की खान।

कोआॅपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, श्री गंगानगर को गेहूं बाहर भेजने का परमिट।

स्तम्भ

रतनगढ़ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय।

वन विभाग द्वारा सीमाओं का विस्तार।

खनिज विकास निगम।

चरणोट की जमीन— देवगढ़।

कॉलेजों में विद्यार्थियों के प्रवेश का प्रश्न।

सर्किट हाउसेज़।

मिडल स्कूल, किशनगढ़ की नई इमारत।

गोचर जमीन।

बनेड़ा हाई स्कूल का हायर सैकन्ड्री में परिवर्तन।

भूमिहीन किसानों को भूमि।

गंगानगर जिले के किसानों की भूमि।

सिंचाई विभाग के तालाबों से पीवल होने वाली जमीन की पिलाई।

जैसलमेर में खनिंज सर्वे।

नहर कलां बंध, कालक से बंध छापरवाड़ा को जाने वाली फीडर कैनाल के संबंध में।

राजस्थान की उत्पादित ऊन।

# Page No.118



स्कम्भ

चम्बल नहरी क्षेत्र के खेतों में जुताई।

कोट्स मैन्यूफेक्चरिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, बूंदी।

भरतपुर जिले से विभागों को हटाना।

**विधायी कार्य**

**विचारार्थ लिया गया विधेयक**

राजस्थान, पशु-चिकित्सक विधेयक, १९६२ ५४५

श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा दिनांक ११ अक्टूबर, १९६२ को प्रस्तुत उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर, विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ से ९, ११ से ३२, ३४, ३५, अनुसूची व खण्ड १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये। खण्ड १० व ३३ संशोधित रूप में स्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में सदन द्वारा पारित किया गया।

**राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२** ७०२

श्री मथुरादास माथुर, प्रभारी मंत्री ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उपरोक्त विधेयक एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिस के निम्नांकित सदस्य हों और जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें :-

(१) श्री मथुरादास माथुर, सभापति

स्कम्भ

(२) श्री परसराम मदेरणा

(३) श्री मोहनराज जैन

(४) श्री मथुरेशबिहारी माथुर

(५) श्री भैरोंसिंह

(६) श्री अमरसिंह (जासोल)

(७) श्री योगन्द्रनाथ हांडा

(८) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल

(९) श्री भीमसेन

(१०) श्री जुझारसिंह

(११) श्री रामचन्द्र

(१२) श्री मोहरसिंह

(१३) श्री हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)

(१४) श्री केसरीसिंह जोजावर

(१५) श्रीमती सुमित्रा

(१६) श्री तेजाराम गहलोत।

सदन की बैठक ५ बज कर ३० मिनट पर शनिवार, दिनांक १३ अक्टूबर, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

**शनिवार, १३ अक्टूबर, १९६२ को कार्य-सूची**

(१) राजस्थान रिलीफ (साहाय्य) प्रतिष्ठान (विशेष प्रावधान) विधेयक, १९६२।

**( गैर सरकारी विधेयक )**

(२) गैर सरकरी संकल्प–राजस्थान सरकार की श्रम नीति सम्बन्धी।

# परिशिष्ट १

( कृपया प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर देखिये )

१. जिला भरतपुर :

तहसील बयाना व वैर के चार ग्रामों में पान की खेती होती है।

जिला बांसवाड़ा :

जिला बांसवाड़ा में खास बांसवाड़ा तथा बारी संयातल तलाई में पान की खेती होती है।

जिला उदयपुर :

मौजा कानोड, तहसील वल्लभनगर में पान की खेती होती है।

जिला डूंगरपुर :

डूंगरपुर जिले में केवल डुंगरपुर में ही पानवाड़ी में पान की खेती होती है।

जिला झालावाड़ :

जिला झालावाड़ में तहसील झालरापाटन व मौजूदा तहसील गंगधार के अन्तर्गत क्रमशः ग्राम झालावाड़ व दूधालिया व हद्द गांवड में पान की खेती होती है।

जिला बूंदी :

पान की खेती ग्राम लाखेरी, तहसील पाटन में होती है।

जिला सवाई माधोपुर :

तहसील नादोती में गढ़भोरा तथा तहसील करोली में मावली व कस्बा कासलपुर में पान की खेती होती है।

२. जिला भरतपुर :

भू-राजस्व के अलावा पान की खेती पर अलहदा लगान लिया जाता है व पान लगाने पर पहिले साल ११ आना व दूसरे साल १५ आना बहिसाब फी पाली है।

जिला बांसवाड़ा :

पान की काश्त का राजस्व लिया जाता है। राजस्व के अलावा कोई लगान पान की खेती पर नहीं लिया जाता है।

**जिला उदयपुर :**

जिस रकबे में पान की खेती होती है उसका लगान बन्दोबस्ती शरह से वसूल होता है, उसके अलावा कोई लगान अथवा लागत सरकार की ओर से वसूल नहीं होती है ।

**जिला डूंगरपुर :**

राजस्व के अलावा कोई लगान नहीं लिया जाता है ।

**जिला झालावाड़ :**

राजस्व के अलावा कोई लगान पान की खेती पर नहीं लिया जाता है । क्रमशः ग्राम गावड़ी में १८) रु० बीघा व ग्राम दूधालिया में १६) रु० बीघा राजस्व में वसूल होता है ।

**जिला बूंदी :**

पान की खेती काफी पाली ०.१९ न. पै. (३ आने) लगान वसूल होता है । इसके अलावा कोई लगान वसूल नहीं होता है और एक पाली आध बीघा की मानी जाती है । प्रति एकड़ ( १८.७५ ) ( १८ रु० १२ आने ) पान की खेती का अलग लगान बनता है ।

**जिला सवाई माधोपुर :**

तहसील नादोती गढ़मोरा में लगान ५ रु० प्रति बीघा के अलावा इरिगेशन विभाग से पिलाई और वसूल की जाती है । तहसील करोली में जिस साल पान की खेती होती है उस साल ५ न. पै. प्रति गड्ढा लगान सरकारी वसूल होता है और निश्चित राजस्व इस लगान में से कम कर दिया जाता है । क्योंकि यह पान की खेती गैर मुस्तकिल है । बन्दोबस्त ने कायम की है ।

# परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७ का उत्तर देखिये )

सूची बाबत रेवेन्यू रेकॉर्ड दुरुस्ती जो विचाराधीन है :

| क्र० सं० | सायल | गैरसायल |
|---|---|---|
| १. | भूपदान वल्द माधूदान चारण, गोमी । | तहसीलदार सांचोर । |
| २. | सोना वल्द गुणेशा बिश्नोई, केरिया । | जोधा वल्द पांचा बिश्नोई, केरिया । |
| ३. | जेमा वल्द गुणेशा वगैरह ब्राह्मण, कोड । | अमरा वल्द अंगा वगैरह, कोड । |
| ४. | जगरूपा वल्द मीरा खारी, हांडेचा । | मथुरांपुरी, चेला राजपुरी सामी, हाडेचा । |
| ५. | लम्बा वल्द भगनाथ वगैरा कलबी, जलोतरां । | पता वल्द गुणेशा वगैरा कलबी, जलोतरां । |
| ६. | चमना वल्द हरदा राजपूत, गलिफा । | रकीया वल्द दाना घांची वगैरा, आंरणाय । |
| ७. | भभूता वल्द प्रतापा बिश्नोई, जाखल । | पता वल्द रामजी वगैरा राजपूत, जाखल । |
| ८. | लीछमणसिंह वल्द भोपालसिंह राजपूत, चितलवाना । | साजन वल्द हुंकमा, बिश्नोई, परावा । |
| ९. | सदा वल्द बाला कलबी, होडचा । | धर्मा वल्द टीकमा कलबी, होडचा । |
| १०. | माना वल्द बीरा रबारी, जोडादर । | सगता वल्द भीखा वगैरा, कोलाउवा, तेवाब |
| ११. | हीरा वल्द माना कुमार, केरिया । | लच्छा वल्द भीमा वगैरा ब्राह्मण, केरिया । |
| १२. | रवां वल्द देवा रबारी, जोडादर । | जगमाल वल्द करमण गुरूडा वगैरह, उम्मेदपुरा जिला पालनपुर । |

## परिशिष्ट ३

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर देखिये )

इन्डस्ट्रियल एरिया

| क्रमांक | पार्टी का नाम | प्लॉट नं० | एरिया एकड़ में | कब्जे की तारीख | उद्योग की किस्म | उद्योग चालू होने की तिथि | राशि का बकाया लीज मनी | राशि का बकाया डवेलपमेन्ट चार्जेज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| | **लार्ज स्केल इन्डस्ट्रियल एरिया** | | | | | | | |
| १. | मैसर्स राजस्थान केबल इन्डस्ट्री व रोलिंग मिल्स | ४, १२ | १८/७५ | ५-९-६२ | केबल इन्डस्ट्रीज | चालू नहीं है | नहीं है | नहीं है |
| २. | मैसर्स राजस्थान वूल टोप्स फैक्ट्री/फोरिन इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट | ९, १०, ११ | २६/१६५ | १-५-६२ | वूल टोप्स | ,, | ,, | ,, |
| ३. | मैसर्स एसोसियेशन राजस्थान सेरेमिक इन्डस्ट्रीज, बॉम्बे | २८,२९, ३० | १८/८६ | २०-१-६२ | एच० टी० व एल० टी० इन्सूलेटर्स इलेक्ट्रिकल कम्पोनन्ट्स सेनेटरी वेयर्स | ,, | ,, | ,, |
| ४. | मैसर्स स्ट्रा बोर्ड (प्रा०) लिमिटेड कोटा | १,१५,१८ | २७/१३४ | १-९-६१ | स्ट्रा बोर्ड | ,, | ,, | ,, |
| ५. | मैसर्स राजस्थान ट्यूब व पाइपमैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, कलकत्ता | ३,१३ | १९/८० | पार्टी ने अभी कब्जा नहीं लिया है | ट्यूब व पाइप | ,, | ,, | ,, |

## परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६. | मैसर्स राजस्थान पेपर मिल्स, प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर | १७ | ९ | पार्टी ने अभी कब्जा नहीं लिया है | पेपर मिल्स | चालू नहीं है | नहीं है | नहीं है |
| ७. | मैसर्स आर० के० बागरी व जी० डी० बिनानी | ७ | २३ | „ | एक्सट्रूजन प्लान्ट्स | „ | „ | „ |
| ८. | मैसर्स जे० के० सेन्थेटिक्स | — | ७० | ८-१०-५८ | नाइलोन | चालू है | चालू है | „ |
| | **स्मॉल स्केल व मीडियम स्केल इन्डस्ट्रियल एरिया** | | | | | | | |
| १. | मैसर्स सुन्दरलाल सुरेन्द्रकुमार, सदर बाजार, देहली | १ | ३/८४ | २-१-६२ | आउटो पार्ट्स | चालू नहीं है | नहीं है | नहीं है |
| २. | मैसर्स राजस्थान रोयल इंजिन्स, डिप्टीगंज, देहली | २ | ३/६२ | २-१-६२ | टू स्टॉक कैटेड इन्जिन्स | „ | „ | „ |
| ३. | मैसर्स महालक्ष्मी लघु उद्योग, कोटा | ३ | ३/६६ | १९-५-६१ | कॉटन वेस्ट स्पीनिंग प्लान्ट्स | „ | „ | „ |
| ४. | मैसर्स कोठारी इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, कोटा | ४,५ | ४/१९ | २२-५-६१ | इन्जीनियरिंग वर्क्स | „ | „ | २२ मई तक का जमा है। |
| ५. | मैसर्स गोल्डन डेरी प्रोडक्शन, कलकत्ता | ६ | १/२५ | २२-२-६१ | स्वीटेन्डेड कन्डेन्सीड मिल्क | निर्माणाधीन है | „ | नहीं है |
| ६. | मैसर्स हरिकिशन-निजामुद्दीन रोड, न्यू देहली | ११ | ०/७२ | ४-५-६२ | आॅयरन फाउन्डरी | चालू नहीं है | „ | „ |
| ७ | मैसर्स सूरजमल केशरीलाल आवा | १२ | ०/७२ | १५-१-६२ | „ | „ | „ | „ |

## परिशिष्ट

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ८. | मैसर्स अजन्ता ऐजेन्सीज एण्ड वुड क्राफ्ट, कोटा | १३ | ०/८२ | कब्जा नहीं दिया | आॅयरन फाउन्डरी | चालू नहीं है | नहीं है | नहीं है |
| ९. | मैसर्स कोटा स्टील रोलिंग मिल्स, कोटा | १४, १५ | १/६४ | ,, | रोलिंग मिल्स | ,, | ,, | ,, |
| १०. | मैसर्स राजेन्द्रसिंह एन्ड ब्रॉदर्स, कोटा | १६ | ०/७२ | ११-१०-६१ | वुडन हैन्डल्स | ,, | ,, | ,, |
| ११. | मैसर्स इन्दरमान, कोटा | १७ | ०/७२ | २०-१२-६१ | स्टोन क्रसिंग | निर्माणाधीन है | ,, | ,, |
| १२. | मैसर्स द्वारकाप्रसाद अग्रवाल | १८ | ०/७२ | कब्जा नहीं दिया | स्टील टैंक्स व डोर विन्डो | चालू नहीं है | — | — |
| १३. | मैसर्स ईशरसिंह एन्ड सन्स | १९ | ०/७२ | ,, | सोप व कैमिकल इन्डस्ट्रीज | ,, | नहीं है | नहीं है |
| १४. | मैसर्स कोटा आॅइरन फाउन्डरी, कोटा | २५ | ०/७२ | ,, | कास्ट आॅइरन फाउन्डरी | ,, | — | — |
| १५. | मैसर्स राजस्थान कास्ट आॅइरन फाउन्डरी व इन्डस्ट्रीज | २६ | ०/७१ | १३-१०-६१ | फाउन्डरी | ,, | नहीं है | नहीं है |
| १६. | मैसर्स कुन्जबिहारीलाल एन्ड कं०, कोटा | २७ | ०/७१ | १४-९-६१ | आॅइरन फाउन्डरी | ,, | ,, | ,, |

परिशिष्ट ४

RAJASTHAN MEDICAL DEPARTMENT, JAIPUR.

**Post-Mortem Report No. 108.**

*District, Jaipur* *Dated 11th October, 1962.*

| | |
|---|---|
| Body brought by | Het Ram Beniwal and Ganga Ram— Nephew of the deceased. |
| Body identified by | By the above two persons. |
| Name, sex, age and caste. | Kurara Ram s/o Heera Ram Male, Age 25 yrs. Dhanka (Harijan), Village Hanumangarh, Distt. Ganganagar. |
| Whence brought village, thana | |

DATE AND HOUR OF

| Death | Examination of body. | Despatch of matter to Chemical Examiner. | Appearance of symptoms of poison or disease. |
|---|---|---|---|
| About 48 hours. | On 11-10-62 at 2 P.M. | On 11-10-62. | Nil. |

| | |
|---|---|
| Symptoms observed before death. | Nil. ... ... |
| Information furnished by Police. | Nil. Examination-Post-mortem done on telephonic instructions of Deputy Secretary, Medical & Public Health Govt. of Rajasthan— Shri Brijendra Singh.. |

---

## I – External Appearance

Not decomposed. Built average. Eyes closed. Cornea sunken and hazy-Pupils both normal Rigor Mortis absent all over.

*Injuries*:

| | |
|---|---|
| 1. Condition of subject: stout, emaciated, decomposed, etc. | (1) Abrasian $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ on the left scapular region near about it's middle. |
| 2. Wounds-position, size, nature. | (2) An abrasian $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$ on the left side of back of Chest in the infrascapular region. |
| 3. Brusies-position, size, nature. | (3) Abrasian $\frac{1}{4}'' \times \frac{1}{4}''$ – 2" below Injury No. 1. |
| 4. Mark of ligature on neck dissection, etc. | (4) Abrasian $\frac{3}{4}'' \times \frac{1}{2}''$ on the Infraclavicular region below the laternal 1/3 of clavicle. |
| 5. Condition of pupils. | (5) Abrasian $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{4}''$ on the left temoral region 2" above the outer end of left Eye brow. |

## II - CRANIUM AND SPINAL CORD

NOTE:—The spinal canal need not be examined, unless any indication of disease or injury.

| 1. Scalp, skull and vertebae | Membrances | Brain and spinal cord |
|---|---|---|

Scalp found in a sliched up condition transversely. On opening the skin flab-left Temporal muscle found ecchymosed. Skull-found separated in two-half with vault and Base separate. The periostium of the middle cranial fossa in it's lateral wall found contused with blood clot present on the inner table in this area. Clot also present on the vault just above the area described on the left side. The clot is anti-mortem.

## III - THORAX

| | |
|---|---|
| 1. Walls, ribs and cartilages. | Skull:—The left half of the coronal suture separate in it's lower part ($1\frac{1}{2}''$) with fracture of the anterior part of the left temporal bone. |
| Healtby. | |
| 2. Pleurae. Healthy. | Brain:—Found cut longitudually on both sides with general congestion of the brain surface. Congestion was particularly marked in the lateral aspect of the left temperal lobe round the lateral and of the sylvian tissue. In this area the brain also found contused to a substance depth of 1/8". |
| 3. Larynx and trathae. Healthy. | N.B.—In the Thorax sternum with portion of costal cartilages found separate from the ribs. The lungs were lying loose in the thoracic cavity and both were cut. |
| 4. Right lung. Healthy. | |
| 5. Left lung. Healthy. | |
| 6. Pericardium. Healthy. | |
| 7. Heart. | Healthy with chambers found out and empty. |
| 8. Large vessels. | Healthy. |

### *IV – Abdomen*

| | |
|---|---|
| 1. Walls. | Mildly distended. |
| 2. Peritoneum. | Contains dark venous fluidy blood (due to previous post mortem). |
| 3. Mouth, Pharynx and oesophagus. | Healthy. |
| 4. Stomach and it's contents. | Stomach empty and cut. |
| 5. Small intestines and their contents. | Healthy. |
| 6. Large intestines and their contents. | Healthy. |
| 7. Liver. | Healthy. |
| 8. Spleen. | Healthy. |
| 9. Kidneys. | Lying loose in peritonel cavities and both were cut already. |
| 10. Bladder. | Healthy. |
| 11. Organs of generation external & internal. | Healthy. |

### *V—Muscles, Bones, Joints.*

| 1. Injury | 2. Disease or Deformity. | 3. Fracture. | 4. Dislocation. |
|---|---|---|---|

N.B. - A stitched up wound present extending above from the chin to the symphysis pubis in the mid line of the body. The various viscera referred to above as cut are evidence of a previous post-mortem examination Viscero have been preserved for chemical analysis to exclude poisoning.

REMARKS BY MEDICAL OFFICER.

In our opinion the deceased has died of cerebral compression resulting from Extra dural haemorrhage due to fracture of skull bones.

ABSTRACT OF CHEMICAL EXAMINER'S REPORT.

The following are sent to the Chemical Examiner.
On 11-10-1962.

| Viscera of article. | | Quantity or size or weight |
|---|---|---|
| | Stomach | |
| Pieces of | Heart | |
| | Lungs | |
| | Liver | |
| | Spleen | |
| | Large intestine | |
| | Small Intestine | |
| | Kidneys. | |

## शुद्धि-पत्र

( शुक्रवार, दिनांक १२ अक्टूबर, १९६२ )

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ५०३ | ६ | श्री मोहनलांल | श्री मोहनलाल |
| ५०५ | शीर्षक | तांराकित | तारांकित |
| ५१३ | १५ | संबंधित | सम्बन्धित |
| ५२१ | ७ | ाई। | दी गई |
| ,, | ६ | ी देंगे। | ही देंगे। |
| ५२४ | १४ | श्री रामप्रसाद लडढा: | श्री रामप्रसाद लढ्ढा: |
| ५३६ | १ | (संवोट) | सांचोर |
| ५४४ | अन्तिम से ६ | १०१:३ एकड। कुल १८८:७ | १०१.३ एकड़। कुल १८८.७ |
| ,, | ,, से १० | ३५:८ एकड | ३५.८ एकड़ |
| ,, | ,, से ११ | तारवा ५१:६ एकड़ | तांखा ५१.६ एकड़ |
| ५४६ | ,, से ११ | वेयरमैन | चेयरमैन |
| ५५२ | १४ | Conncil. | Council." |
| ५५४ | १० | हाथ म | हाथ में |
| ५५५ | अन्तिम से १० | पीइंग | बीइंग |
| ५५६ | शीर्ष | (श्रीं सम्पत्तिलाल बोहरा) | (श्री सम्पत्तिलाल बोहरा) |
| ५६३ | ४ | महसस | महसूस |

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| ५६७ | १७ | श्री विजयसिह झाला: | श्री विजयसिंह झाला : |
| ५९३ | अन्तिम से १३ | श्री उप ध्यक्ष : | श्री उपाध्यक्ष : |
| ६०८ | ,, से १२ | रफ | तरफ |
| ६११ | ,, से ११ | पश्न | प्रश्न |
| ६२६ | १ | मने | मैंने |
| ६५९ | शीर्षक | १२ अक्टबर, | १२ अक्टूबर, |
| ६६३ | ,, | १२ अक्टबर | १२ अक्टूबर |
| ६६७ | ,, | ,, ,, | ,, ,, |
| ,, | अन्तिम से ३ | श्री मुकटबिहारी लाल: | श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : |
| ६७५ | १० | बलाना | बुलाना |
| ६९० | ६ | इम्पोटन्स | इम्पोर्टेन्स |
| ६९४ | अन्तिम से २ | वसे | वैसे |
| ६९८ | ,, से १२ | डिपार्टमेटल | डिपार्टमेन्टल |
| ७०८ | २ | bing | being |
| ७११ | ३ | मन्यूफेक्चरिंग | मैन्यूफेक्चरिंग |